पंचम माला, खंड 43, अंक 26, सोमवार, 26 अगस्त, 1974/4 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLIII, No. 26, Monday, August 26, 1974/Bhadra 4, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 28.8.72
Parliament Library

[खंड 43 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेंजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

31 LSS./ 74—1.

विषय-सूची/Contents

अंक 26, सोमवार, 26 अगस्त, 1974/4 भाद्र, 1896 (शक)

No. 26, Monday, August 26, 1974/Bhadra 4, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
488 चम्बल का पुल	Chambal Bridge . . .	1
490 राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशनों और एसोसियेशनों के प्रबन्ध का सरकारीकरण	Take over of management of National Sports Federations and Associations	4
492 लघु पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports	5
493 तेन्दुए एवं बाघ की खालें	Leopard and Tiger Skins . .	7
494 कृषि पदार्थों के समर्थन मूल्य	Support Prices of Agricultural Products .	9
495 गुजरात विश्वविद्यालयों संबंधी जॉन समिति	John Committee on Gujarat Universities	12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
489 मध्य प्रदेश को सप्लाई किया गया गेहूं	Wheat supplied to Madhya Pradesh .	15
491 फरक्का बांध परियोजना	Farakka Barrage Project .	16
496 रंगमंच के कलाकारों द्वारा विरोध	Protest by Theatre Artistes .	17
497 दिल्ली परिवहन निगम की बसें	DTC Buses . . .	17
498 फोर्ड ट्रैक्टरों के लिये अतिरिक्त भुगतान	Excess Payment for Ford Tractors	17
499 आवास बोर्डों तथा गंदी बस्तियों को हटाने संबंधी बोर्ड	Housing Boards and slum Clearance Boards .	18
500 दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित करना	Setting up of National Library in Delhi	18
501 दिल्ली में स्कूलों की इमारतों के भागों का गिरना	Collapse of portions of School Buildings in Delhi	18
502 आदिवासी बच्चों की कथित बिक्री	Alleged sale of Adivasi Children . .	19
503 राज्य सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Cooperation Ministers . . .	19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
504	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा रांची विश्वविद्यालय की बी० ए० (ग्रानर्स) डिग्री को मान्यता न दिया जाना	Non-recognition of Ranchi University B.A, (Hons.) Degree by Delhi University	20
505	ग्रावास स्थालों के लिये खंड-वार परियोजना प्रतिवेदन	Block-wise project Reports for House Sites	20
506	गेहूं की प्रमाणित बीज के रूप में सप्लाई	Supply of Wheat as certified seed .	21
507	ग्रनुपयोगी ढोर	Useless cattle . . .	21
ग्रता० प्र० सं० U.S.Q.Nos.			
3433	दिल्ली के ग्रावासीय क्षेत्रों में चल रहे कुटीर तथा लघु उद्योगों को नियमित करना	Regularisation of Cottage and Small Industries running in residential areas of Delhi	22
3434	विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई के लिये सहायता दिया जाना	World Bank aid for Minor Irrigation in M.P.	22
3435	गुजरात में वनारोपण ग्रौर भू-संरक्षण का कार्य	Afforestation and Soil Conservation work in Gujarat	22
3436	पांचवीं योजना में कुपोषाहार रोकने के लिये कार्यवाही	Measures to check malnutrition .	23
3437	दिल्ली विकास प्राधिकरण में भर्ती प्रक्रिया	Recruitment procedure in DDA .	24
3438	दो पहिये वाले स्कूटरों के चालकों द्वारा लोहे का टोप पहना जाना	Wearing of steel Helmets two-wheeler drivers	24
3439	खाद्यानों का थोक व्यापार राज्य द्वारा किया जाना	State Trading in Wholesale Trade of Foodgrains	55
3440	खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि	Rise in free market sugar price . .	25
3441	देश में हानि उठा रहे बन्दरगाह	Ports incurring losses	26
3442	दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के बारे में समिति का प्रतिवेदत	Committee on number of students in Delhi University	26
3443	राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद	National Council of Educational Research and Training	27
3444	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की तकनीक	NBCC Construction Technique .	27
3445	मसालों के श्रेणीकरण करने के लिये प्रयोगशालायें	Laboratories for gradation of spices .	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3446	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को दिये गये पुरस्कार	Prizes to Hindi writers of Non-Hindi Speaking States	30
3447	ग्रामीण और नगरीय समुदाय को शिक्षित करने की योजना	Plan to Educate rural and Urban Community	31
3448	माडर्न बेकरीज के और अधिक एकक	More Units of Modern Bakeries . .	31
3449	केरल में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा का विकास	Development of Higher Education in Educationally Backward Districts of Kerala	31
3450	केरल में लघु सिंचाई की सुविधाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Minor Irrigation facilities in Kerala	33
3451	दिल्ली में गेहूं पर उप-कर लगाया जाना	Imposing of wheat levy in Delhi	34
3452	"कुमाउं विश्वविद्यालय नैनीताल" को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान	UGC'C Grant to Kumaun Vishwavidyalaya, Nainital	34
3453	रेलवे हड़ताल के कारण रेल परिवहन के स्थान पर सड़क परिवहन का उपयोग	Diversion from Railway to Road Transport due to Railway Strike . .	34
3454	उड़ीसा में कृषि सहकारी संस्थाओं को सहायता	Assistance to Agricultural Cooperatives in Orissa	35
3455	अखिल भारतीय अकाल संहिता	All India Famine Code .	35
3457	डेयरी योजनाओं का अध्ययन	Study of Dairy Schemes . . .	35
3458	उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से बीजों के रूप में धान का निर्यात	Export of Paddy as seeds from Tarai Region of Uttar Pradesh . . .	36
3459	शहरों में आधुनिक आवास	Modern Buildings in Cities .	37
3460	महानगरों में बड़े-बड़े भवन	Huge Buildings in Metropolitan Cities .	37
3461	शहरों का विकास	Growth of Cities	38
3462	विदेशों में भारतीय छात्र तथा भारत में विदेशी शोध छात्र	Indian Research Students Abroad and Foreign students in India . . .	38
3463	स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के कार्यकरण की समीक्षा	Review of Functioning of Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956	40
3464	केरल राज्य आवास के लिये धनराशि का नियतन	Housing Allocation for Kerala .	40

अ॰ ता॰ प्र॰ सख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3465	सरकारी कालोनियों में पानी की टंकियों की सफाई	Cleaning of Water Tanks in Government colonies	41
3466	अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा	Budha's Statue in Afghanistan	41
3467	विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल	Cultural Delegations sent abroad . .	42
3468	सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰ इंडस्ट्रीयल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रैडिट सोसायटी लिमिटेड	C.P.W.D. Industrial Workers Cooperative Thrift and Credit Society Ltd. . .	43
3469	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल के कार्य प्रभारित कर्मचारी	Workcharged Staff of Arunachal Pradesh Circles of C.P.W.D.	43
3470	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फूड जोन के अधीन प्रत्येक डिवीजन और सर्किल का अनुमानित कार्यभार	Estimated Work Load of Each Division and Circle Under Food Zone of C.P. W.D.	44
3471	दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में कालेजों का खोला जाना	Colleges in Trans-Jamuna Area of Delhi	46
3472	मध्यम तथा कम आय वाले लोगों को भवन निर्माण सामग्री	Building Material to the Middle and Lower Income People . . .	46
3473	अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं कालेज पुस्तकालय कर्मचारी संगठन संघ की मांगें	Demands of All India Federation of University and College Library Staff Organisation	46
3474	शिशु कल्याण कार्यक्रम के बजट में कटौती	Cut in child Welfare Programme Budget .	47
3475	उचित मूल्य की दुकान संख्या 4688 पर राशन की वस्तुओं का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Rationed Articles at Fair Price Shop No. 4688 . .	47
3476	हरिजनों को भूमि का वितरण	Distribution of Land to Harijans .	48
3477	गेहूं तथा धान के उत्पादन का लक्ष्य	Target of Wheat and Paddy Production .	48
3478	रतलाम में एक केन्द्रीय विद्यालय	Central School in Ratlam . .	49
3479	गोआ के गैर-सरकारी जहाज-संचालकों के कृत्य	Functions of Goans Private Shipers	49
3480	बारानी सिंचाई संयंत्रों की स्थापना तथा भूमिगत जल क्षमता का लाभ उठाना	Dry Irrigation Plant and Exploitation of Underground water potential . .	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3481	जबलपुर सैनिक डेरी फार्म में पशु-रोग	Cattle Disease in Jablpur Military Dairy Farm	50
3482	चपाती मशीन	Chapati making machine	50
3483	अंतर्क्षेत्रीय व्यापर का संवर्दधन	Promotion of Inter Regional Trade .	50
3484	कर्नाटक में सभी पत्तनों को तटीय राजपथ से जोड़ना	Master Plan for linking all ports in Karnataka	51
3485	दिल्ली के स्कूलों के एस० वी० शिक्षकों का अभ्यावेदन	Representation from S.V. Teachers in Delhi Schools	51
3486	थोक व्यापारियों तथा परचून व्यापारियों द्वारा किया जा रहा धान/चावल का व्यापार	Paddy/Rice Trade handled by Wholesalers and Retailers	52
3487	कर्नाटक में खाद्यान्न की उगाही का बढ़ाया जाना	Enhancement of Levy on Foodgrains in Karnataka	52
3488	वसूली के लिये धान/चावल के विशिष्ट विवरण	Specifications of Paddy/Rice for the Procurement	53
3489	कर्नाटक में चावल मिलें	Rice Mills in Karnataka	53
3490	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कवार्टर	Tenements reserved for S.C. and S.T.	53
3491	ट्रैक्टर के लिये डीजल	Diesel for Tractors	54
3492	अंतर्राज्यीय तथा आर्थिक विकास योजना में उत्तर प्रदेश के कुछ पुलों को शामिल करना	Inclusion of certain bridges in U.P. in the Inter State and Economic Development Plan	54
3493	मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केन्द्र	Forest Research Centre in M.P. . .	55
3494	कृषि मूल्य आयोग का दौरा	Tourist Agricultural Prices Commission .	55
3495	वर्ष 1973-74 में मेघालय को आवंटित तोरिये का बीज	Rape seed allotted to Meghalaya during 1973-74	55
3496	कायमगंज, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल का स्थापित किया जाना	Setting up of Sugar Mill in Kayam Ganj Faruukhabad (U.P.)	56
3497	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चीनी की नई मिलें	New Sugar Mills in U.P. and M.P.	56
3499	मध्य प्रदेश के लिये चावल और गेहूं का कोटा	Rice and wheat quota for Madhya Pradesh	57
3500	विश्वविद्यालय और कालेज डिमान्स्ट्रेटर के वेतनमान	Pay Scales of University and College Demonstrators	57

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3501	विश्वविद्यालय और कालेजों में काम कर रहे डिमान्स्ट्रैटर	Demonstrators working in Universities and Colleges	58
3502	शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Educational and Research Institutions	59
3503	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन	Implementation of Wild Life Protection Act	60
3504	बिलासपुर, मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास एजेंसियों के कार्यकरण संबंधी समिति	Committee on Working of Small Farmers Development Agencies in Bilaspur, M.P.	60
3505	एल्लपि और पणजी में जहाज निर्माण सुविधायें	Ship Building Facilities at Alleppey and Panaji	61
3506	भारत के नाविकों की नैमित्तिक नियुक्ति को समाप्त करना	Decasualisation of Seamen of India	61
3507	नाविकों का रोजगार समाप्त होना	Loss of Employment by Seamen	61
3508	नाविकों के वेतन	Wages of Seamen	62
3509	कलकत्ता पत्तन में हड़ताल	Strike in Calcutta Port .	62
3510	गोदी श्रमिक	Dock Labour .	62
3511	नाविकों के लिये मैंनिंग स्केल	Manning Scales for Seamen .	63
3512	बेपोर पत्तन के विकास-कार्य के निर्मान कार्य में विलम्ब	Delay in Development works on Beypore Port	63
3513	कपूरथला प्लाट	Kapurthala Plot .	64
3514	भारतीय नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लेखे की परीक्षा	Audit of I.F.C. Accounts by C. & A.O. .	64
3515	चीनी कारखानों की स्थापना के लिये गुजरात को लाइसेंस देना	Licences for new sugar factories in Gujarat	64
3516	बेनामी भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिये कानूनी उपाय	Legal Measures to check Acquisition of Benami Land	65
3517	बैजनाथ हायर सेकेन्डरी स्कूल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of staff of Baijnath H.S. School, New Delhi	65
3518	आजादनगर (इन्दौर) में पाये गये अवशेष	Remains found in Azadnagar (Indore)	66
3519	धारनगर (मध्य प्रदेश) के राजा भोज की प्रतिमा	Idol of King Bhoj of Dharnagar (M.P.) .	66

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3520	गुजरात को खाद्यान्न	Foodgrains to Gujarat .	67
3521	कोयला परिवहन के ढांचे को पुनर्गठित किया जाना	Revision of the pattern of coal movement	67
3523	राज्यों में लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजना	Small Farmers Development Agency Projects	67
3524	भगवान महावीर के निर्वाण की 2500 वीं पुण्य तिथि	2500th Nirvan Anniversary of Lord Mahavira	68
3525	महाराष्ट्र में लघु मत्स्य-ग्रीण पत्तन	Minor Fishing harbours in Maharashtra .	69
3526	दिल्ली में विद्यार्थियों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर कापियों की बिक्री	Sale of Exercise Books to students in Delhi at Subsidised rates	69
3527	'सोफ्ट' जल के प्रयोग के बुरे प्रभाव	Adverse effects of using soft water . .	70
3528	दिल्ली की अनाज मंडियों में गेहूं उपलब्ध न होना	Non availability of wheat in grain Markets of Delhi	70
3529	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किया गया व्यवसाय	Turn over achieved by NBCC . .	70
3530	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को सहायता	UGC Assistance to Mithila University .	71
3531	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर	Class I Executive Engineers in C.P.W.D.	71
3532	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के लिये सरकारी वाहन का आवंटन	Allotment of Conveyance to C.P.W.D. Engineers	72
3533	'साफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री' में फल उत्पाद आदेश को लागू करना	Extension of Fruit Production Order to Soft Drink Industry	73
3534	दिल्ली में तम्बुओं में चलाये जा रहे स्कूल	Delhi Schools in Tents . .	73
3535	दिल्ली परिवहन निगम की शिकायती 'सफर'	D.T.C. ka Shikayati Safar	74
3536	दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Employment in Delhi Administration . . .	75
3537	पारादीप पत्तन में संभावित हानि	Likely loss in Paradeep Port .	75
3538	न्यू व्हीट सीड एज होक्स	New Wheat seed as Hoax	76
3539	'टेट्रा पैक' में दूध की सप्लाई	Supply of Milk in Tetrapack .	76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3540	हैदराबाद में खाद्य समस्या पर गोष्ठी	Seminar on Food Problem at Hyderabad	77
3541	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो संख्या 171 और 172 का कार्यकरण	Functioning of D.M.S. Depot Nos. 171 and 172	77
3542	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्लाटों का आवंटन	Allotment of Industrial Plots by DDA .	78
3543	भूमि और विकास अधिकारी, दिल्ली के पास नामान्तरण के मामले	Mutation Cases with L & D. O..	79
3544	सर्वोदय एन्कलेव, दिल्ली में पेय जल की सप्लाई	Supply of Drinking Water in Sarvodaya Enclave, Delhi	80
3545	उड़ीसा में निम्न आय वर्ग के लिये मकान	Low Income Group Houses in Orissa .	80
3547	दिल्ली के व्यापारियों द्वारा गांवों में खाद्यान्नों की जमाखोरी	Hoarding of Foodgrains by Delhi Traders in Villages	80
3548	बसन्त विहार गृह निर्माण सहकारी समिति	Vasant Vihar House Building Cooperation Society	81
3549	महारानी बाग सहकारी गृह निर्माण समिति	Maharani Bagh Cooperative House Building Society	81
3550	बागान बानिकी के लिये अग्नि संरक्षण	Fire Protection for Plantation Forestry	82
3551	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति देना	Admission and Grant of Schoolarships in Jawaharlal Nehru University . .	83
3552	मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति	Famine condition in Madhya Pradesh .	83
3553	भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म की बोरियों का प्रयोग	Use of Non standardised Bags by FCI .	84
3554	गृह निर्माण के लिये ऋण की सीमा	Limit of House Building Loan	84
3555	उर्वरक की आवश्यकता	Fertiliser Requirements	85
3556	दिल्ली विश्वविद्यालय में सोवियत रूस के इतिहास का पढ़ाया जाना	Teaching of History of USSR in Delhi University	85
3557	अनुसूचित जातियों के प्रमाणपत्र	S.C. Certificates .	86
3558	नौवहन और परिवहन मंत्रालय के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of the staff of the Ministry of Shipping and Transport . .	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
3559	चयन ग्रेड के लिये पात्र प्राथमिक स्कूल	Primary School Teachers eligible for Selection Grade	87
3560	महावीर नगर, दिल्ली में मकानों का गिराया जाना	Demolition of Construction in Mahabir Nagar, Delhi	87
3561	गहन तिलहन विकास कार्यक्रम	Intensive Oilseeds development Programme	88
3562	बासमती चावल के निर्यात के लिये समझौता	Agreement for Export of Basmati Rice	88
3563	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति	Promotion of Junior Engineers in C.P.W.D.	89
3564	अवर इंजीनियरों के रूप में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातक	Engineering Graduates working as Junior Engineer	89
3565	सूरजमुखी के बीजों में तेल की उच्च मात्रा के बारे में अनुसन्धान	Research in High Oil Content in Sunflower seeds	90
3566	अनधिकृत भूमि का पंजीकरण	Registration of unauthorised lands .	91
3567	कश्मीर हाउस, नई दिल्ली के सर्वेंट्स क्वार्टर	Servant quarters of Kashmir House, New Delhi	91
3568	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के लिये लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation scheme for H.P. J & K and U.P.	92
3569	दिल्ली दुग्ध योजना के टोकन देना वहां पंजीकृत आवेदन पत्र	Issue of D.M.S. token to applicants registered there	92
3570	पाठ्य पुस्तकों में त्रुटियों का पता लगाने के लिये संस्थान	Institutions for detecting mistakes in text Books	93
3571	दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों को दखिला	Admission of M.P., U. P. and Bihar students in Delhi University .	94
3572	आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम	Emergency Agricultural production Programme	94
3573	दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं में परिवर्तन	Changes in DTC Bus services .	95
3574	दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति	Financial Position of DTC .	96
3575	शकरपुर और आसपास की कालोनियों को नियमित करना	Regularisation of Shakarpur and nearby Colonies	97

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3576	दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम	F.C.I. Godowns in Delhi	97
3577	त्रिनगर क्षेत्र, दिल्ली के लिये अतिरिक्त बसें	Additional Buses for Trinagar Area, Delhi	97
3578	दिल्ली परिवहन निगम के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर टेलीफोन की सुविधा	Telephone facility at DTC booth in Trinagar	98
3579	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदों के लिये भर्ती	Recruitment of Junior Class I Posts in IARI	98
3580	थोक व्यापारियों तथा किसानों के पास खाद्यान्नों के स्टाक की सीमा	Limits of Foodgrains Stock with whclesalers and farmers	99
3581	ईंटों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of bricks	99
3582	विकलांगों द्वारा गणतन्त्र दिवस-समारोह देखने के लिये सुविधायें	Facilities for Disabled persons to witness Republic Day celebration . .	99
3583	कृषि उत्पादन के लिये सिंचाई सुविधायें	Irrigation Facilities fo. Agricultural Production	100
3584	धान की कुटाई के प्रभार में परिवर्तन के कारण भारतीय खाद्य निगम को हानि	Loss of FCI due to change for Paddy Shelling	101
3585	पश्चिम बंगाल में काजू का उत्पादन	Production of Cashewnuts in West Bengal	102
3586	रबी और खरीफ फसलों के उत्पादन लक्ष्य	Target of Production for Rabi and Kharif Crop	103
3587	ग्रामीण आवास के लिये पांचवीं योजना में धनराशि का नियतन	Allocation for Rural Housing during Fifth Plan	103
3588	राजस्थान में ग्रामीण जल प्रदाय योजना	Rural Water Supply Scheme in Rajasthan	103
3589	सुपर बाजार के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप	Allegation against official of Super Bazar	104
3590	ग्रामीण आवास योजना के लिये केन्द्रीय नियतन	Central Allocation of Rural Housing Scheme	104
3591	गेहूं के घटिया बीजों की सप्लाई	Supply of Spurious wheat seeds .	105
3592	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात	Import of Deep Sea Fishing Trawlers ..	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3593	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के एक अधिकारी द्वारा सरकारी आवास का अप्राधिकृत रूप से किराये पर उठाया जाना	Unauthorised letting of Government Accommodation by an Official of IARI	107
3594	संसदीय सौध	Sansadiya Soudha .	108
3595	दिल्ली में गैर-सहायता प्राप्त स्कूल	Unaided Schools in Delhi .	109
3597	उच्च शिक्षा के केन्द्र	Centres for Advanced studies . . .	109
3598	गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली द्वारा वनस्पति घी के डिब्बों पर लिखी मात्रा से कम घी वाले डिब्बों की सप्लाई	Under weight vanaspati tins supplied by Ganesh Flour Mills, Delhi . . .	110
3599	छोटे प्लाटों का विक्रय	Sale of Small plots . . .	111
3600	हिन्दू कालिज, दिल्ली में हरिजन छात्र को दाखले से इन्कार	Refusal of Admission to a harijan student in Hindu College, Delhi . .	111
3601	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्थान की हुगली में स्नान न करने की सिफारिश	Recommendation of Central Public Health Engineering Research Institute against bathing in Hooghly	111
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	112
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	112
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . . .	117
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	117
	नई दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली और बनारस आदि रेलवे स्टेशनों पर माल डिब्बों से माल का न उतारा जाना	Railway Wagons awaiting unloading at New Delhi, Ghaziabad, Lucknow, Bareilly and Banaras Railway Stations Etc.	117
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . . .	117
	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohmd. Shafi Qureshi . .	117
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	121
	28वां और 29वां प्रतिवेदन	Twenty-eight and Twenty ninth Reports	121
	बागान उद्योग तथा व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में याचिका—प्रस्तुत	Petition re. Nationlisation of Plantation Industry and Trade—presented . .	121
	उप-कुलपतियों के चयन आदि में एकरूपता के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 668 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting answer to Starred Question No. 668 re. Uniformity in Selection etc. of Vice- Chancellors .	122

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nural Hasan	122
सदस्य के आचरण के बारे में	Re. Conduct of Member	122
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under rule 377	122
पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में राजनीतिक कारणों से नजरबन्द किये गये लोगों के प्रति मानवीय व्यवहार करने और उन्हें राजनैतिक कैदियों का दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता	Need for humans treatment and grant of political prisoners' status to persons detained in West Bengal and other States	122
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974	Essential Commodities (Amendment) Bill, 1974 . . .	125
खंड 6 से 14 और 1	Clauses 6 to 14 and 1 .	125
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	127
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	127
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	128
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya	129
संविधान (34वां संशोधन) विधेयक–	Constitution (Thirty fourth Amendment) Bill—	130
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	130
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	130
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb .	131
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	133
श्री कमल मिश्र 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar'	134
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P. V. G. Raju .	134
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	134
श्री रुद्रप्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	135
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	136
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun .	137
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	138
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	138
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo.	139
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	140
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	140
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	141
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तमा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	141

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	144
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . .	145
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	146
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	146
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . .	146
श्री चिन्तामणि पाणिग्रह	Shri Chintamani Panigiahi . .	146
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	146
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	146
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma.	146
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	146

LOK SABHA

लोक सभा

सोमवार, 26 अगस्त, 1974/4 भाद्र, 1896 (शक)

Monday, 26 August, 1974/4 Bhadra, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Chambal Bridge

***488. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) When the Chambal Bridge on Bombay-Delhi National Highway had given way and the date on which decision was taken to conduct an enquiry about that;

(b) the average number of vehicles that used to pass through this Bridge daily; and

(c) the estimated expenditure to be incurred on the reconstruction of the Bridge?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) दिल्ली-बम्बई सड़क, राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 3 पर धौलपुर के निकट चम्बल नदी पर पुल का एक भाग अप्रैल, 1973 में गिरा। पहले जब इस पुल के एक भाग को हुई कुछ क्षति का पता चला, तो 24 फरवरी, 1973 को पुल पर से सभी यातायात को बन्द कर दिया गया। पुल के गिरने के कारणों की जांच करने तथा पुल के पुनर्निर्माण के उपायों के सुझाव देने के लिए 8 मई, 1973 के इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई।

(ख) पुल के एक भाग के गिरने से पूर्व, इस पुल पर से प्रतिदिन औसतन कार, जीप आदि जैसी लगभग 200 हलकी गाड़ियां तथा 650 ट्रक और बसें गुजरती थीं।

(ग) मौजूदा पुल की मरम्मत पर 1.50 करोड़ से 2.00 करोड़ रुपए तक व्यय होने का अनुमान है। यदि नया पुल बनाया जाये तो लगभग 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक लागत आने का अनुमान है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, this bridge on important highway on Delhi-Bombay road collapsed on 24 February, 1973, and a committee to enquire into the causes of the colr-lapse was constituted on 8th May, 1973 and the committee submitted their report on 31 May, 1974. But the Government has not decided so far as to whether this bridge will be repaired or a new bridge will be constructed, what is the reason for such an indecision?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अनिश्चितता की कोई बात नहीं है । पुल के गिरने की जांच करने तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु जो समिति बनाई गई थी उसने दो विकल्पों का सुझाव दिया है। एक विकल्प यह है कि पुल की मरम्मत कराई जाये, दूसरा यह कि नया पुल बनाया जाये । उसने पुल की मरम्मत के लिए कुछ लिखित प्रस्ताव दिये हैं। परन्तु इस बात को निश्चित करना है कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया जायेगा वह उसे तकनीकी ज्ञान तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा कर सकेगा अथवा नहीं। इस दृष्टि से निविदायें मांगी गई हैं कि क्या पुल फिर से बनाया जा सकता है। यदि ऐसा करना संभव न हुआ तब नया पुल बनाया जायेगा।

Shr Atal Bihari Vajpayee : Sir, my question has not been replied to. I have ask whether this bridge will be repaired or a new bridge will be constructed, who will decide this matter and why there is delay in taking such a decision ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : This question has been answered. The Committee has recommended two alternatives. One alternative is that the bridge may be repaired and this repair work will cost 1.5 crores. It is not possible to do so, then the other alternative that they have recommended is that a new bridge may be constructed. The report of the Committee is with the Government and the decision is to be taken whether to repair or to construct a new bridge. The steps have been taken to invite tenders on the basis of technical know-how required for repairs. After the tenders are received, the Committee, will decide and see as to whether the equipments, and know-how required for the repair work are available with the contractor and the bridge may be repaired. If it could be possible, then we would try to get the bridge repaired and if not, then a new bridge will be constructed.

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is not a reply to my question. He has said that the tenders are being invited. I want to know that the tenders invited are meant for repair works or for constructing a new bridge.

Mr. Speaker : He is explaining the same thing.

Shri Atal Bihari Vajpayee : This Government is a prisoner of indecision. When this is to be decided ? Sir, you may ascertain from the hon. Minister that the report was received on 31st May, 1974 and no decision has been arrived at till today.

Mr. Speaker : They are inviti g tenders and it will take one year.

Shri Atal Bihari Vajpayee : How much time the construction of the bridge will take ?

Mr. Speaker : Do not insist on it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, May I know as to who will decide this issue as to whether the bridge be repaired or a new bridge should be constructed. The Committee of experts has submitted its report and they have recommended two alternatives. Now the decision is to be taken by the Government. Why the decision is being delayed ?

Shri Kamlapati Tripathi : The decision will be taken after each aspect has been fully considered. When the tenders are received, experts will examine them and after that they will recommend whether the bridge should be repaired or a new bridge should be constructed. If they are satisfied that repairing is possible, then the bridge will be repaired and if not, then a new bridge will be constructed.

श्री जगन्नाथ राव : निविदायें पुल की मरम्मत कराने के लिए मांगी गयीं अथवा नया पुल बनाने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट है । उन्होंने बताया है कि निविदायें पुल की मरम्मत के लिए मांगी गयीं हैं।

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा है। उन्होंने केवल यह कहा है कि वे देखेंगे और यदि मरम्मत कराना संभव न हुआ तो नया पुल बनाया जायेगा।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : पहले हमने पुल की मरम्मत कराने के लिए निविदायें मांगी थीं। सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि पुल की मरम्मत संभव है। परन्तु यह कार्य देश में कुछ ठेकेदारों कुछ फर्मों द्वारा ही संभव है। इस बात का पता लगाना है कि उनके पास आवश्यक उपकरण हैं अथवा नहीं, तकनीकी ज्ञान उनके पास उपलब्ध है अथवा नहीं। निविदाओं से इस बात का पता चल जायेगा।

श्री जगन्नाथ राव : तब सीमित निविदायें मांगी जानी चाहिए।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the causes of the collapse of the bridge have been enquired into and if so, what are the results thereof? May I know whether the report of the Committee, as referred to by the hon. Minister, will be placed on the Table?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : तकनीकी समिति ने पुल के गिरने के कारणों की जांच की है और यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैं रिपोर्ट से पढ़कर सुनाता हूं : उन्होंने कहा है :

"17 नम्बर खम्बे का आधार ऊंचे नीचे स्थान की मिट्टी के ढेर पर बनाया गया था और इस प्रकार यह भार वहन कर सकने के लिए मजबूत नहीं था।"

इस कारण पुल गिरा पुल इस प्रकार का बना था कि एक खम्बा गिरते ही 4—5 पटाव की पूरी यूनिट गिर गयी ।

Shri Madhu Limaye : According io the rules, if the Government quotes one or two sentences from some document then the House have got the right to ask for placing the said document on the Table.

Mr. Speaker : There is a ruling in this matter.

Shri Madhu Limaye : You are doing this every time.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is the trouble in placing the report on the Table ?

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The hon. Minister has said that the tenders will be invited for repairing. May I know whether the tenders will be open for all or only for those who have got the required equipment and technical know-how? What are details about these tenders ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : निविदायें राजस्थान सरकार ने नहीं मांगी है। जब निविदाएँ मांगी जायेंगी तो तब राजस्थान सरकार द्वारा निविदायें मांगने की सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that this bridge is open for transportation traffic only during day time? Is it not a fact there is a rush of trucks and carriers during night time? Will these carriers be allowed to pass through the bridge during night time so that the traffic may not be blocked for miles long? May I know the exact date by which the construction of the bridge will be started ? The Central Government had sanctioned a bridge to be constructed at Palghat on river Chambal and a sum of Rs. 72 lakh was sanctioned for this project. The bridge was to be constructed jointly by Rajasthan and Madhya Pradesh Governments. Now, this project has been cancelled. May I know whether the Government will reconsider about constructing this bridge? May I also know whether the reason of the collapsing of this bridge was that this bridge was very old and the time of its utility had expired?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक रात्रि में परिवहन की अनुमति देने का प्रश्न है, यह संभव नहीं है क्योंकि वाहनों को बंजरों में ले जाने की कठिनाइयों के अतिरिक्त यह क्षेत्र डाकू आतंकित क्षेत्र है और सुरक्षा की बात भी इससे सम्बद्ध है। उनके दूसरे सुझाव पर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the exact date by which repair work will be started?

श्री प्रबोधचन्द्र : पता नहीं कौनसा उत्तर ठीक है। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि राजस्थान सरकार से इस बारे में कहा गया है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : निविदाएं राजस्थान सरकार द्वारा ही मांगी जायेंगी।

श्री प्रबोध चन्द्र : उन्होंने कहा था कि निविदायें मांगी गई हैं और निविदाओं की जांच करने के बाद वह मत देखेंगे कि फर्म के पास तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है अथवा नहीं और क्या फर्म निर्माण कर सकने की स्थिति में है। अब उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार से निविदा मांगने के लिये कहा गया है। सदन को बताया जाये कि कौन सा उत्तर ठीक है?

श्री कमलापति त्रिपाठी : सही स्थिति यह है कि हमने निविदायें मांगने का निर्णय किया है। और इसलिये राजस्थान सरकार से यथा शीघ्र निविदायें मांगने के लिये कहा गया है, एक महीने में निविदा नोटिस जारी कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशनों और एसोसियशनों के प्रबन्ध का सरकारीकरण

*490. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशनों और एसोसिएशनों के विभिन्न सदस्यों में हाल के आपसी झगड़ों को देखते हुए खेलकूद के समुचित प्रबंध एवं विकासात्मक नियंत्रण के लिये उनके प्रबंध का सरकारीकरण करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : जी, नहीं।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेल-कूद फैडरेशनों और एसोसियेशनों के विभिन्न सदस्यों में हाल के आपसी झगड़ों को देखते हुए खेलकूद के समुचित प्रबंध एवं विकासात्मक नियंत्रण की दृष्टि से उनके प्रबंध का सरकारीकरण करने का है। खेलकूद की इन विभिन्न एसोसियेशनों तथा निकायों में चल रही स्थिति पर सरकार किस प्रकार नियंत्रण पाना चाहती है? ऐसी बातें हो रहीं हैं। हाल ही में हमने देखा है कि उच्चन्यायालय के आंतरिक ऐकादेश के कारण हाकी टीम का चयन स्थगित कर दिया गया है। अतः विशेषकर इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन निकायों के प्रबंध पर नियंत्रण रखने तथा खेलकूद के विकासात्मक नियंत्रण के संदर्भ में क्या कदम उठाये हैं?

श्री अरविन्द नेताम : ये स्वायतशासी निकाय हैं और किसी फैडरेशन अथवा एसोसियेशन के प्रबंध को अपने हाथ में लेने का प्रश्न तो नहीं उठता। जहां तक इन निकायों पर नियंत्रण रखने की बात है, हमने 9 अप्रैल को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं और 15 सितम्बर तक की तारीख हैं। हमें आशा है कि फैडरेशनें 15 सितम्बर के बाद मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।

श्री अर्जुन सेठी : अपने पहलें उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि खेलकूद संगठनों में काफी समझ से बहुत व्यक्ति पद सम्भाले हुए हैं। इसी कारण सरकार ने खेलकूद विकास के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये है जिनमें कहा गया है कि वे 15 सितम्बर तक अपनी स्वीकृति

भेजें। इस संदर्भ में, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि कितने निकायों ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने की स्वीकृति सरकार को भेजी है ?

श्री अरविन्द नेताम : जहां तक उत्तर का सबंध है, हमें कुछ फैडरेशनों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सुझाव स्पष्टीकरण तथा संशोधन भेजे हैं। 15 सितम्बर के बाद उनके उत्तर पर विचार किया जायेगा।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, in every field, be it Cricket, wrestling or Hockey, politics is reigning supreme and the standard of the games and sports is gradually deteriorating. May I know whether the Government propose to constitute a high powered Committee to go into all such things so that some steps may be taken towards nationalization?

Shri Arvind Netam: The guide lines we have issued are very good and we will consider its results after 15th September. It is, only after that we will be able to decide something in this regard.

श्री ए० के० एम० इसहाक : मैं यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार खेलकूद एसोसियेशनों से इतनी सन्तुष्ट क्यों है ? अभी पीछे हमारी टीम क्रिकेट में विश्व चैम्पियन थी। लन्दन में कुछ घटना हुई। हम क्रिकेट के सभी मैच हार गये। सरकार इस बारे में सन्तुष्ट क्यों है और ऐसे परिणामों के फलस्वरूप फैडरेशनों के सबंध में कार्यवाही क्यों नहीं करती है ? खेलकूद के मामले में राजनीति नहीं आनी चाहिये। क्या सरकार अपना रवैया बदलेगी।

श्री अरविन्द नेताम : जहां तक क्रिकेट की बात है हमने भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। इस सबंध में कुछ भी कहना सरकार के लिये उचित नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार खेलकूद निकायों तथा एसोशियेशनों पर नियंत्रण रखना नहीं चाहती है। सिद्धान्ततः मत स्वीकार्य है। क्या ये मार्गदर्शी सिद्धान्त जिनका संदर्भ दिया गया है, टीम के चयन प्रबंध/निकायों के वित्तीय सबंधों के बारे में हैं ? ये मार्गदर्शी सिद्धान्त किस विषय में हैं ?

श्री अरविन्द नेताम : जहां तक मार्गदर्शी सिद्धान्तो का संबंध है, वे समस्या के वित्तीय पहलुओं से भी सम्बन्धित है। वे पदाधिकारियों सम्बन्धी शर्तों के बारे में भी हैं। आम बातें भी हैं मैं सारे मार्गदर्शी सिद्धान्त पढ़कर सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें सभा पटल पर रख देंगे। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

लघु पत्तनों का विकास

*492. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लघु पत्तनों के विकास पर सरकार ने 110 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

पांचवीं योजना मसौदा में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, छोटे पत्तनों के विकास के लिये व्यवस्था, चौथी योजना की आगे लाई गई योजनाओं के व्यय के लिये है।

110 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था 1974-75 के बजट अनुमानों में की गई है। वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्य की प्रगति और किये गए खर्च के आधार पर विभिन्न राज्यों में वितरित किया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान् जी, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि 110 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था चौथी योजना की शेष परियोजनाओं के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजनाओं की कालावधि के अन्तर्गत की गई है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में लघु पत्तनों का विकास कार्य इसलिए रुका हुआ है कि राज्यों के पास अपेक्षित धनराशी उपलब्ध नहीं है ? अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार आगे लाई गई परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशी का आवंटन करने पर विचार कर रही है ताकि लघु पत्तनों का विकास किया जा सके।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही मुख्य उत्तर में स्पष्ट कर चुका हूं कि लघु पतनों के विकास की मुख्य जिम्मेदारी संबन्धित राज्य सरकारों की ही है। परन्तु, फिर भी, चौथी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत एक लघु पतन को लिया गया था। जिन योजनाओं को चौथी योजना की कालावधि में आरम्भ किया गया था, उन्हें पांचवी योजना की कालावधि में आगे लाया जायेगा।

जहां तक पांचवी योजना में अतिरिक्त धनराशी नियत करने का प्रश्न है, राज्य क्षेत्रों में लघु पत्तनों के विकास के लिए 23 करोड़ रुपये की धनराशी का आवंटन किया गया है। चौथी योजना की आगें लाई गई योजनाओं के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की धनराशी का आवंटन किया गया है। मुख्य रुप से यह राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया कि एक लघु पतन प्रत्येक राज्य से विकास के लिए लिया गया है। इसी सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि केरल राज्य में स्थित एलैपी पतन सम्बन्धी प्रगति क्या है ? दूसरे क्या लघु पत्तनों के विकास सम्बन्धी कोई योजना केरल सरकार द्वारा केन्द्र को भेजी गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कटौती को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र द्वारा जो 23 करोड़ रुपये की धनराशी का आवंटन राज्यों को किया गया है, उसमें वर्तमान मुद्रास्फीति आदि को दृष्टिगत रखते हुये और कटौती तो नहीं की जायेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक इन के अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके बारे में अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि आवंटित की गई 23 करोड़ रुपये की धनराशी में और अधिक कटौती की जायेगी। जहां तक छोटे पतनों के विकास का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र की जानकारी के लिये कुछ आंकड़े दे सकता हूं। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केरल राज्य से एक पत्तन को चुना गया था। इस पर होने वाला कुल अनुमानित व्यय 96 लाख रुपये था। चौथी योजना में 100 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसमें से 10 लाख रुपया पहले ही दिया जा चुका है। लघु पतनों के विकास, लगभग 101.96 लाख रुपये की योजना आगे लाई गई है। पांचवी योजना

लाई गई योजनाओं के लिए जो धनराशि का आंवटन किया गया है, उसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : लघु पतनों के विकास से समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा अपितु इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी तथा बड़े बड़े पतनों की भीड़ को कम करने में भी सहायता मिलेगी अतः इस सन्दर्भ में, क्या सरकार लघु पतनों के विकास का कार्य राज्य सरकारों को सौंपने की अपेक्षा, उसे अपने ही हाथों में लेने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य का सुझाव तो अच्छा है परन्तु सम्भवतः वित्तीय संकट के कारण उन्हें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में अपने हाथ में लेना संभव नहीं होगा।

श्री एम० एस० संजीवीराव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने प्रत्येक राज्य में एक लघु पत्तन के विकास का कार्यक्रम अपना कर, अब फिर पुराना तरीका क्योंकि अपना लिया है जिससे कि सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया है ?. उदाहरणार्थ, काकीनाडा का मामला ही लीजिए। इसका विकास एक लघु पतन के रूप में किया जा सकता है उन्होंने यहां से 25 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान विदेशों को भेजा है।

इन सब से भी बड़ी बात यह है कि मैसर्स शाह वैलेस एण्ड कम्पनी को एक उर्वरक कारखानों लगाने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि अब बदली हुई नीति के अन्तर्गत काकीनाडा पत्तन के लिए न तो राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है और न ही केन्द्र सरकार द्वारा। मैसूर राज्य में स्थित कारवाड़ पतन का भी यही हाल है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : प्रत्येक राज्य में लघु पतनों का विकास करने का हमारा उद्देश्य यह था: पहली बात तो यह थी कि उनका एक उचित स्तर पर विकास करने के बाद, उनकें आगे का विकास कार्य राज्यों को सौंप दिया जायेगा और राज्य सरकारें ही उसमें, अधिकाधिक धनराशी लगायेंगी। अतः इस सन्दर्भ में, यह कहना ठीक नहीं है कि हम इसमें अपने दायित्व से पीछे हट गये हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आगे लाई गई सभी योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा सहायता दी जायेगी और उन्हें पांचवीं योजना के कार्यकाल में लिया जायेगा। नई योजना को पांचवीं योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा।

तेन्दुए एवं बाघ को खालें

*493. **श्री राम भगत पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में कुछ व्यक्तियों के पास से जो इन की तस्करी में लगे कहे जाते हैं तेन्दुए एवं बाघ की खालें पकड़ी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से व्यक्ति पकड़े गये और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। एक मामला दिल्ली प्रशासन के वन्य प्राणि विभाग की जानकारी में आया था, जिसमें तेन्दुए की 18 खालें एवं बाघ की एक खाल दिल्ली में लाने का प्रयास किया गया था खालों का पार्सल दिनांक 2-7-1974 को जब्त कर लिया गया था।

(ख) खालों का पार्सल रेलवे स्टेशन पर 7 दिन तक पड़ा रहा परन्तु उसका कोई दावेदार नहीं पहुंचा। इसी बीच अपराधी का पता लगाने के लिये प्रयास किये गये। परन्तु, कोई लिखित एवं अन्य प्रमाण न मिलने के कारण इस मामले को फाइल किया गया।

Shri Ram Bhagat Paswan : It has been accepted by the hon. Minister that the parcel remained unclaimed for seven days at Railway Station. Each parcel contains the name of the sender as well as that of receiver. So, was any attempt made to trace out the sender or the receiver of this parcel?

Shri B.P. Maurya : This parcel was sent from Satna Railway Station of Madhya Pradesh and the name of sender as well as that of receiver was mentioned as A. Gafoor. This parcel was despatched on 24th June and it was on 27th June that it was detected that parcel contained some objectionable material. The parcel was opened and then an enquiry was conducted and it revealed that there was no man of the name of A. Gafoor. It appears that the parcel was under a fictitious name.

Shri Ram Bhagat Paswan : The natural assets of our country, such as forests and trees are being destroyed as a result of which our animals and birds are being killed. So, I want to know the steps taken by the Government to safe-guard the wild life in the Country?

Mr Speaker : This is irrelevant. The main question is related to the detected parcel at Railway Station but you are talking about wild life.

Shri Ram Bhagat Paswan : It is relevant to the main question.

Mr Speaker : You could have raised a number of other supplementaries on this question such as where these skins have been kept or how they have been disposed of. Why they should not displayed in the Parliament House ?

Shri Vasant Sathe : Mr. Speaker, Sir, 18 poor leopards lost their lives and their skins were brought over here and nobody knows about their sender A. Gafoor. But I want to know where these skins are ? May I know if these have been confiscated or these are missing ultimately what has happened to skins ? The skins of 18 leopards and one tiger is **not** something ordinary. Please let us know where these skins are.

Shri B.P. Maurya : The 18 skins of leopard and one skin of tiger have been auctioned and we collected 20,000 rupees by this auction.

अध्यक्ष महोदय : श्री मौर्य जी, मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि शेर की एक खाल 50,000 से 60,000 रुपये तक में बिक रही है। अतः आप इसकी जांच कीजिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know if it is a fact that during the last hour-five years, a large number of leopard and tiger skins have been smuggled to foreign countries? Whenever a parcel is handed over for despatch, the name and complete address of the sender and the receiver is indicated on it. That contains the name, complete address and that is kept on record. May I know if any attempt has been made to trace out that man in Satna ? If so what action has been taken against that man and what steps are being taken to curb such activities in future ?

Shri B.P. Maurya : There is complete ban on the export of such skins to foreign countries, but we have received complaints that somehow these are often smuggled. As regards A. Gafoor, I have already stated that this parcel was sent by Shri A. Gafoor of Stana to Shri A. Gafoor of Delhi. Neither any person of this name has been detected in Satna nor in Delhi. It appears that the parcel was sent under a fictitious name.

Shri Vasant Sathe : It appears that the auctioneer may be A. Gafoor himself.

Shri Vishwanath Partap Singh: I would like to know from the Government that instead of auctioning these skins at such. Cheap prices, why the Government did not export the same? That way Government would have earned good foreign exchange as indicated by hon. Speaker also?

अध्यक्ष महोदय : जब मैं विदेश में था तो मैंने कुछ लोगों के घरों में खालें देखीं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वह खालें 50,000 या 60,000 रुपये में खरीदी थीं । इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया था ।

Shri B. P. Maurya : Mr. Speaker, Sir, as directed by you, I will myself look into the matter. But I want to submit that a public auction was conducted and this public auction fetched 20,000 rupees.

कृषि पदार्थों के समर्थन मूल्य

*494. **श्री तरुण गोगोई** † :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी कि खरीफ और रबी का समर्थन मूल्य बीजों के बुआई से पूर्व घोषित किया जाना चाहिये;

(ख) क्या सरकार ने अभी तक खरीफ का मूल्य और रबी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर चर्चा करने के लिये मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है; और

(घ) मूल्यों की घोषणा कब की जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचन देने वाला एक विवरण संग्लन है ।

विवरण

बवाई मौसम के पहले खाद्यान्न के साहाय्य मूल्य घोषित किए जाने चाहिए अथवा नहीं, सामान्यतः सरकार इसका निर्णय करती है । कृषि मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें करते सयय कभी-कभी साहाय्य मूल्य घोषित करने की वांछनीयता अथवा अन्यथा के बारे में विचार प्रकट करता रहा है ।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर रबी विपणन मौसम 1974-75 के लिए गेहूं के न्यूनतम साहायक मूल्य सितम्बर, 1973 में घोषित किए गए थे । 1974-75 के लिए खरीफ अनाजों के साहाय्य मूल्य घोषित करने संबंधी प्रश्न पर विचार क्रिया जा रहा है। 1974-75 मौसम के लिए खरीफ अनाजों के मूल्य और अधिप्राप्ति नीति के बारे में निश्चय, विपणन मौसम शुरू होने से पहले मुख्य मंत्रियों के परामर्श से किया जाएगा । तथापि, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की कोई तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है ।

श्री तरुण गोगोई: क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1973 में यह सिफारिश की गई थी की गेहूं के मूल्य उसकी बुवाई का मौसम आरम्भ होने से पहले ही घोषित कर दिये जाने चाहियें और यदि हां, तो फिर इस वर्ष अभी तक मूल्यों की घोषणा करने में सरकार किस बात की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि विपणन कार्य तो पहले ही आरम्भ हो गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कृषि मूल्य आयोग समय-समय पर अपना विचार व्यक्त करता रहा है कि समर्थन मूल्यों की घोषणा की जानी चाहिये । माननीय सदस्यों को यह भली भांति मालूम है कि भारत सरकार जिन वसूली मूल्यों की घोषणा करती रही है वे समर्थन मूल्यों की तुलना में काफी ऊंचे रहे हैं ; परन्तु वर्तमान मूल्य स्तर के सन्दर्भ में समर्थन मूल्यों का औचित्य ही समाप्त हो गया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने समर्थन मूल्यों की घोषणा करना उचित नहीं समझा ।

श्री तरुण गोगोई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1973 में घोषित किये गये गेहूं के मूल्य कृषकों के लिए आकर्षक नहीं थे, क्योंकि गेहूं के बाजार मूल्य ने तथा समर्थन मूल्यों भारी अन्तर था और यदि हां तो सरकार भविष्य के लिए ऐसी क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे कृषकों को लाभकर मूल्य प्राप्त हो सकें ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है ।.जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह अनेक पहलुओं पर विचार करती है तथा उसने जो मूल्य घोषित किये हैं वे कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों से अधिक हैं ।

Shri Chandershekhar Singh: Mr. Speaker, Sir, this question consists of two parts and the statement given by the hon. Minister also consists of two parts. In part first he has stated that the price of wheat was fixed and announced in September, 1973 and in part second he has stated that the policy regarding kharif crops, is yet to be decided. in this connection, it has been rightly asked by the hon, Member that whether wheat was sold at a much higher price in the market as compared to its support price and I want to know what action Government is proposing to take in the matter.

Secondly, the Chief Ministers conference has not been convened so far to lay down the policy regarding fixation of Kharif prices and the sowing of Kharif crops is quite at hand now. Incase the agriculturists are not aware of the prices in advance, they will be facing difficulty in estimating their cost price or reducing the same and floods will also add to their difficulties. I would like to know the states taken by the Government in this regard? May I know if letters have been written to Chief Ministers or any meeting has been held with them? What is the opinion of different Ministers and by what time the Government will implement their views? In case there is some more delay, the Kharif season will come to an end and the position of crops in the country will worsen.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समर्थन मूल्यों की घोषणा का कोई प्रश्न नहीं है । जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं । खरीफ की फसल बोई जा चुकी है और अब तो उसके वसूली मूल्य की घोषणा का प्रश्न रह गया है । विवरण में इस बात का संकेत दिया गया है कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जायेगा । प्रायः यह सम्मेलन सितम्बर महीने के अन्त में बुलाया जाता है जबकि फसलों की संभावना स्पष्ट हो जाती है और हम फसलों की संभावना के आधार पर वास्तविक निर्णय करने की स्थिति में होते हैं । हालांकि अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है । यह लगभग सितम्बर के अन्त तक हो जायेगा । जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है अभी तो हमें वसूली मूल्यों की घोषणा करनी है । खुले बाजार में विक्रय मूल्य सप्लाई मांग तथा उत्पादन और मांग के बीच के अन्तर तथा अन्य कई कारणों से घटते-बढ़ते रहते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह देखा गया है कि किसान तथा उपभोक्ता दोनों ही सरकार की 'विभाजन करके प्रशासन करो' की नीति के चंगुल में फंसते हैं । वसूली मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल है और दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर इसे 161 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जाना था । मैं जानना चाहूंगा कि पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से 150 रुपये की दर से वसूल किये गये अनाज को दिल्ली

तथा अन्य स्थानों पर 192 रुपये से 275 रुपये प्रति क्विटल की दर से क्यों बेचा जा रहा है । अब तो यह दाम 300 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है । आज दिल्ली में चावल का मूल्य 4 रुपये 30 पैसे किलो है । गेहूं का भाव भी 3 रुपये किलो है । केवल तीन महीने में ही यह 1.10 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो गया । क्या सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है जिसके द्वारा वसूली मूल्यों तथा उपभोक्ताओं को विक्रय के मूल्यों के बीच कोई अनुपात कायम किया जा सके, और यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया है तो क्या वह अब ऐसी कोई योजना बनायेंगे अथवा नहीं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की बात में शुद्धि करना चाहूंगा। गेहूं का वसूली मूल्य 150 रुपये नहीं बल्कि 105 रुपये है । वितरण मूल्य जो कि देश भर में एक समान है, वह 125 रुपये प्रति क्विंटल है । सरकारी वितरण मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अन्तर केवल इतना है कि यह 125 रुपये क्विंटल की दर जो कि थोक दर है, इसमें राज्य सरकारें उचित दर की दुकानों के लाभांश तथा अन्य खर्चें के लिये 7 या 8 रुपये की वृद्धि कर लेती है । यह बात तो हुई वितरण मूल्य की । माननीय सदस्य के प्रश्न का जो दूसरा भाग है, इसके संदर्भ में मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा, क्योंकि यह प्रश्न कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के संबंध में है । मुझे आम मूल्य संबंधी समस्या पर तो चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस बारे में आप बतायें कि क्या इस प्रश्न के अन्तर्गत माननीय सदस्य का उक्त प्रश्न आता है ? अब आप जो कहें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न तो किसानों को दिये जाने वाले समर्थन मूल्य के बारे में था। श्रीमन्, आप मुझे इस संबंध में मार्गदर्शन दें। मेरा प्रश्न तो अनुपात के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों तथा बाजार में चल रहे मूल्यों के बीच कोई अनुपात है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस प्रश्न में दो बातें निहित हैं। सरकार द्वारा वसूल किये गये खाद्यान्नों के मूल्यों में निश्चित रूप से एक अनुपात है। इस बार यह निर्णय किया गया है कि जहां तक संभव हो, इसमें राजसहायता शामिल न हो तो भी कुछ मात्रा में राजसहायता अन्तर्ग्रस्त है । जहां तक खुले बाजार के मूल्यों का प्रश्न है, इन में कमी-वृद्धि उत्पादन मांग सप्लाई, जमाखोरी आदि बातों पर निर्भर करती है।

Shri Nathu Ram Ahirwar: May I know whether it is a fact that the Agricultural Commission does not take into account the aspect of cost of production in the field and decides upon the prices arbitrarily and that is why Government does not get adequate quantity of foodgrains in procurement, and whether it is a fact that the foodgrains which were procured at the rate of Rs. 76 a quintal were later sold at fair price shops at the rate of Rs. 140 to Rs. 145 per quintal? Why such a big difference and does the Government feel it worth while? May I also know whether during the forthcoming conference of the State Chief Minister, they would keep in mind that the rates of fertilisers have gone up almost two-fold and therefore the procurement prices should fixed in accordance with that? Besides, the increase in the rates of irrigation, power and also in certain other expenses should also be taken into account.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार इन सभी समस्याओं पर काफी ध्यान देती है और मूल्य के बारे में किये गये निर्णय मनमाने नहीं होते हैं। हमारा उद्देश्य किसानों को लाभप्रद मूल्य देने का होता है। हम उत्पादन लागत के आंकड़े एकत्रित करते हैं तथा कृषि मूल्य आयोग से सलाह लेते हैं जोकि स्वयं कृषि संस्थानों आदि से सलाह लेता है। परन्तु अन्ततः इस देश में हमें उपभोक्ताओं की क्रय

क्षमता को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तथापि हम उत्पादकों को घाटे में नहीं रखते उन्होंने कहा कि गहूं 76 रुपये प्रति क्विंटल खरीद कर 140 रुपये प्रति क्विंटल बेचा गया। यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंनें गत वर्ष की बात कहीं है, इस वर्ष की नहीं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं भी गत वर्ष की ही बात कर रहा हूं जबकि हमने 76 रुपये की दर से गेंहूं क्रय किया था। परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वही गेंहूं वितरित किया जाता है जो या तो देश में ही उत्पन्न होता है या जो आयात किया जाता है, जो 200 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है। इसलिये यह कहना कि सरकार सार्वजनिक वितरण के माध्यम से मुनाफा कमा रही है, गलत बात होगी।

श्री के० लकप्पा : कृषि मूल्य आयोग द्वारा किसानो को देने के लिये जिन समर्थन मूल्यों की सिफारिश की जाती है वह कभी कभी उनके लिये लाभकर नहीं होते और इसलिये किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए क्या सरकार समर्थन मूल्यों के बारे में एक निश्चित नीति की घोषणा करेगी ताकि अधिकाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकारी नीति में बार-बार परिवर्तनों से विवश होकर कम उत्पादन करने को बाध्य न होना पड़े ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समर्थन मूल्यों की घोषणा किये जाने के बाद भी प्रायः समर्थन मूल्यों से वसूली मूल्य अधिक होते हैं। सरकार का मन्शा किसानों को काफी लाभप्रद मूल्य देने का होता है। यह कहना सही नहीं है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी सरकार की नीति के कारण है। एक विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट हो जायेगा कि गत दो वर्षों में उत्पादन में कमी मानसून की अनिश्चित स्थिति तथा 1972-73 में सूखे के कारण हुई है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that wheat was imported at Rs. 200 quintal whereas the Indian Cultivators were given only Rs. 76. I want to know why less prices are given to our cultivators then the foreigners? They purchased here at Rs. 76 and sold at Rs. 150 there by making double the profit, but in case a trader earns a profit of only 10 percent, he is considered guilty and is failed. So, when do they propose to do away with this anamoly between the local and foreign procurements?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न यहां कई बार उठ चुका है और मैंने उत्तर दिया है। मेरे विचार से यह स्थिति व्यवहार-योग्य नहीं है कि हमारे मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के हिसाब से हों। कई बार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य हमारे यहां के मूल्यों से बहुत कम होते हैं। हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भिन्न है। हमें सभी निर्णय इन्हीं स्थितियों के प्रकाश में लेने पड़ते हैं।

गुजरात विश्वविद्यालयों संबंधी जांच समिति

*495. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने हाल में राज्य में विश्वविद्यालयों, उनके आधुनिकीकरण तथा कार्यकरण के बारे में जांच करने के लिये श्री वी० बी० जॉन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनके निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त जॉन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं'; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ): गुजरात सरकार ने अप्रैल, 1973 को निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी :—

(1) श्री वी० वी० जान,
भूतपूर्व कुलपति,
जोधपुर विश्वविद्यालय — अध्यक्ष

(2) डा० एन० के० वकील;
भूतपूर्व कुलपति,
एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय,
बड़ौदा — सदस्य

(3) श्री जे० वी० संदिल,
कुलपति,
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,
राजकोट — सदस्य

(4) श्री वी० एच० भनोट,
भूतपूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गुजरात — सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं :—

(1) उच्च शिक्षा की स्थिति की जांच करना तथा आगामी दशाब्दी के दौरान गुजरात की उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करना ।

(2) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना सहित विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों में परिवर्तन पर विचार करना, जिससे वे अपने कार्यों का निष्पादन तथा दायित्वों का निर्वाह कारगार और उपयुक्त रुप से कर सकें।

(3) इसकी सिफारिशों पर खर्च होने वाले धन की सूचना देना ; तथा

(4) ऐसी कोई अन्य सिफारिश करना जो इस विषय से संबंधित हो ।

समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा उस की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : भाग (ग) तथा (घ) का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा था कि समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और क्या सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है इसका विवरण में कोई जिक्र नहीं है । श्रीमन्, यह सरकार के लिये सही तथा जरूरी है कि वह जॉन समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखे क्योंकि यह छात्रों अध्यापकों तथा गुजरात के हर व्यक्ति के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है । आपका प्रश्न क्या है ?

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखेंगे । अब निर्देश-पद संख्या (एक) तथा (दो), जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, के अनुसार क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि गुजरात सरकार इस प्रतिवेदन पर विचार करने में कितना समय लेगी और कब इस सभा को यह बतायेगी कि कौनसी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं तथा कौनसी नहीं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मेरे लिये सही सही यह बताना तो संभव नहीं है कि गुजरात सरकार इस पर विचार करने में कितना समय लेगी । मैं उन्हें जल्दी विचार करने के लिये कहूंगा तथा उनकी टिप्पणी सहित प्रतिवेदन की एक प्रति देने को कहूंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस वर्ष गुजरात में नवनिर्माण युवक समिति आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उच्च शिक्षा पद्धति में एक अमूलभूत तथा सार्थक परिवर्तन लाना था । हमारे कालेज और विश्वविद्यालय प्रायः शिक्षा का न्यूनतम स्तर भी नहीं बना पा रहे हैं । इस संबंध में छात्रों में बड़ा असंतोष व्याप्त है । नवनिर्माण आन्दोलन को देखते हुए तथा इस विचार से कि हमारे छात्रों को अखिल भारतीय सेवाओं आदि की प्रतियोगिताओं में शामिल होने के अवसर नहीं दिये जाते हैं, अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट आफ मैंनेजमेंट है और हमारे छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं मिलता है, इसलिये यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे आशा है कि वह हमें ऐसी ही कोई सामान्य उत्तर नहीं देंगे और हमें यह आश्वासन देंगे कि वह गुजरात सरकार को कहेंगे कि वह इस प्रतिवेदन को यथासंभव शीघ्र स्वीकार तथा क्रियान्वित करे ताकि गुजरात के छात्र हर जगह कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित न रहें ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं गुजरात सरकार से कहूंगा कि वह जल्दी ही इस प्रतिवेदन पर विचार करले ।

Shri Nawal Kishore Sinha : In view of the fact that there have been quite a number of surveys and inquiries in respect of equation in various Universities in this country—and this inquiry too has been of that type,—may I know whether since the State of Gujarat is under President's rule, the education there would be made ideally employment Oriented ?

Prof. S. Nurul Hasan : I have repeatedly mentioned the policy of the Government while discussing the report of the U.G.C. The Government does realise that the education should be so directed as to enable the Students to solve their problems. And, as regards employment, that relates to the general economic development of the country in respect of employment opportunities.

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस विचार से कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू है जो कि लगता है काफी समय चलेगा, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को इस समिति की सिफारिशों को स्वयं

ही जांच करने तथा गुजरात में आन्दोलन के संदर्भ में स्वयं ही तुरन्त कोई उचित कदम उठाने में क्या संकोच है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं गुजरात सरकार से शीघ्र ही कार्यवाही पूरी करने को कहूंगा । यही सही और उचित होगा क्योंकि इस सभा की अनुमति से राष्ट्रपति ने गुजरात का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से चलाने का निर्णय किया है, और इस प्रतिवेदन की वहीं पर जांच हो रही है । मैं उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट रहा हूं । मैं कह चुका हूं कि मैं राज्य सरकार को कहूंगा कि वह तुरन्त ही अपना निर्णय लेकर हमें सूचित करे। इसके बाद मैं उचित कदम उठाऊंगा ।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने कहा है कि समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन पेश किया है । इस 'हाल ही" का क्या अर्थ है ? जहां तक मुझे मालूम है प्रतिवेदन को पेश किये हुए कम से कम तीन मास हो चुके हैं । इससे अधिक समय भी हो सकता है । इसलिये, यह प्रश्न ठीक था कि इस संबंध में कुछ करने के लिये सरकार कितना समय और लेगी । क्योंकि गुजरात राष्ट्रपति शासन के अधीन है। क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का इस मामले में इन दो कारणों से भी सीधा संबंध नहीं है-एक तो यह है कि गुजरात का दायित्व अब सीधा केन्द्र पर है तथा दूसरे उच्च शिक्षा के बारे में शिक्षा मंत्री की पूरी राय होनी चाहिये ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह समिति 3 अप्रैल, 1973 को नियुक्त हुई थी । मेरे पास वह तारीख इस समय नहीं है जिसको प्रतिवेदन पेश हुआ । सरकार को यह सूचना दी गई है कि प्रतिवेदन हाल ही में पेश हुआ है।

श्री एच० एम० पटेल : यह कम से कम तीन मास पूर्व पेश किया गया था। यह एक विश्वसनीय जानकारी है । आप उन्हें शीघ्र ही कार्यवाही करने को कहें ।

श्री एस० नुरुल हसन : मैंने तो आरम्भ से ही यह कहा है कि मैं उन्हें शीघ्रता करने को कहूंगा ।

श्री एच० एम० पटेल : शीघ्रता का अर्थ दो मास होता है, तीन मास नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जब आप यह जानते ही हैं तो फिर पूछते क्यों हैं ?

प्रश्न काल अब समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Wheat supplied to Madhya Pradesh

*489. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the quantum of wheat supplied to Madhya Pradesh during the period from March to June, 1974;

(b) the quantity which ought to have been supplied according to the allotted quota ;

(c) the reasons for short supply; and

(d) whether keeping in view this shortage, levy imposed on farmers in Madhya Pradesh is against the food policy of the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The quantity of wheat allotted and supplied to Madhya Pradesh during the period March to June, 1974 are as follows :—

(In '000 tonnes)

Month	Quantity allotted	Quantity supplied
March, 1974	15.0	11.9
April, 1974	10.0	8.4
May, 1974	5.0	4.4
June, 1974	—	0.3

(c) The shortage in supply was due to certain operational difficulties.

(d) No, Sir. The State Government have stated that they have not imposed any levy on cultivators.

फरक्का बांध परियोजना

*491. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नौवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच मतभेद होने के कारण फरक्का बांध परियोजना के पूरा होने का काम रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो मदभेद दूर करने और काम पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या निर्माण लागत में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और पूर्व अनुमानों में गड़बड़ हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फरक्का बांध परियोजना की अनुमानित लागत, जो पहले 68.59 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई थी, बाद में संशोधन करके 156.293 करोड़ रुपये कर दी गई, जिसमें से 1973-74 तक 125.4 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। अनुमानित लागत में वृद्धि के मुख्य कारण हैं— परियोजना की व्याप्ति में वृद्धि, श्रम तथा माल की लागतों में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि और विस्तृत जांच के दौरान आवश्यक कुछ मदों के लिये व्यवस्था।

रंगमंच के कलाकारों द्वारा विरोध

*496. **श्री वसंत साठे** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अगस्त, 1974 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "थियेटर आर्टिस्ट स्टेज माइल्ड प्रोटेस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) थियेटर कलाकारों की मांगों के सम्बन्ध में, उनके प्रतिनिधियों में संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया था। विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुये, अकादमी विभिन्न कदम उठा रही है।

DTC Buses

*497. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in a local daily dated the 30th July, 1974 that more than 400 buses of Delhi Transport Corporation remain in workshop for months together for minor defects;

(b) whether there are some new buses also among them;

(c) whether the buses of the Corporation are able to have much less number of trips daily than the trips prescribed; and

(d) If so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) At present, the buses of the Corporation are able to perform about 66% of the scheduled trips.

(d) Delhi Transtport Corporation has started a programme of construction of new depots. When these depots are ready and commissioned for use, the facilities for maintenance of vehicles are expected to improve and the number of missing trips will progressively get reduced.

फोर्ड ट्रैक्टरों के लिए अतिरिक्त भुगतान

*498. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब ऐग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के माध्यम से खरीदे गये फोर्ड ट्रैक्टरों के लिये किसानों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था;

31 LSS/74—3

(ख) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त भुगतान की राशि खरीदारों को वापस कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) किसानों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उनको जो फोर्ड ट्रैक्टर सप्लाई किये गये उनके लिये उन्हें अधिक राशि देनी पड़ी है। लेकिन हम इस शिकायत के बारे में जांच करने की कोशिश कर रहे हैं।

आवास बोर्डों तथा गन्दी बस्तियों को हटाने संबंधी बोर्ड

*499. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विगत कुछ समय में ही अनेक आवास बोर्डों तथा गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी बोर्ड बन गये हैं; और

(ख) क्या इन आवास बोर्डों तथा गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी बोर्डों के कार्यकरण की जांच के लिये कोई व्यवस्था बनाई गई है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों में आवास बोर्ड तथा गन्दी बस्ती उन्मूलन बोर्ड सांविधिक निकाय हैं जो राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिनियमों के अधीन स्थापित किये गये हैं। अतः इन बोर्डों का संचालन उन अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार होता है।

दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित करना

*500. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में एक राष्ट्रीय ग्रन्थालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित ग्रन्थालय के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है; और

(ग) उपरोक्त ग्रन्थालय कबतक स्थापित कर दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में स्कूलों की इमारतों के भागों का गिरना

*501. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन स्कूलों के नाम और संख्या क्या है जिनकी हाल ही में दीवारें या छत गिर गई;

(ख) क्या इनके कारणों की जांच की गई है और इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप कितने बच्चे मरे अथवा घायल हुये;

(ग) दीवारें, छतें गिरने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) से (घ) 2 अगस्त, 1974 को केवल एक स्कूल अर्थात् कर्मशियल प्राइमरी स्कूल, चरखेवाला, दिल्ली की छत गिर गई और 12 बच्चे घायल हो गये थे किन्तु छत गिरने से कोई भी नहीं मरा। सभी बच्चों को शीघ्र ही इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में दाखिल किया गया। उनमें से सात बच्चों को प्रथमोपचार देने के बाद उसी दिन छुट्टी कर दी गई और चार को दूसरे दिन छुट्टी कर दी गई। एक बच्चा अस्पताल के सामान्य वार्ड में चार दिन तक रहा और उसको अब छुट्टी कर दी गई है।

उक्त स्कूल निजी प्रबन्ध द्वारा चलाया जाता है और दिल्ली नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त है। निगम का इंजीनियरी विभाग छत गिरने के कारणों की जांच कर रहा है और उनके जांच-परिणाम का पता चल जाने के बाद मामले में कोई और कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। छत गिरने से जो बच्चे घायल हुये उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि किसी भी बच्चे को स्थायी अथवा गम्भीर चोट नहीं आई अथवा अंगहानि नहीं हुई, अतः घायल बच्चों के माता-पिता ने किसी मुआवजे का दावा नहीं किया।

आदिवासी बच्चों की कथित बिक्री

*502. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि माण्डला (मध्य प्रदेश) में एक आदिवासी ने साप्ताहिक बाजार में अपने दो बच्चों को बेच दिया था, क्योंकि उसके पास उन्हें खिलाने के लिये कुछ भी नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

राज्य सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन

*503. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह निर्णय किया गया है देश में आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य सहकारी समितियों को अपने हाथ में लेना चाहिये;

(ख) क्या दिल्ली में अभी हाल में आयोजित हुये राज्य सहकारिता मंत्रियों में सम्मेलन में इस आशय की सिफारिश की गई थी; और

(ग) उक्त सम्मेलन में किन अन्य विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अत्यावश्यक उपभोज्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहकारी सोसायटियों का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिये।

(ख) सम्मेलन ने सिफारिश की है कि उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ,प्रमुख भूमिका अदा करनी चाहिये।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। सम्मेलन में की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं? **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8283/74]**

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा रांची विश्वविद्यालय की बी० ए० (आनर्स) डिग्री को मान्यता न दिया जाना

*504. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने रांची विश्वविद्यालय की बी० ए० (आनर्स) डिग्री को मान्यता नहीं दी है और इसके परिणामस्वरूप रांची विश्वविद्यालय के बहुत से छात्रों की जो दिल्ली विश्वविद्यालय के इवनिंग ला सेंटर नं० 2 में दाखिला लेना चाहते थे, दाखिला नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस डिग्री को मान्यता देने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय को तुरन्त अनुदेश जारी करने का है ताकि पिछड़े क्षेत्रों की जनता को लाभ पहुंच सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उच्च अध्ययन के प्रयोजन हेतु रांची विश्वविद्यालय को बी० ए० (आनर्स) डिग्री को उसने अपनी बी० ए० (आनर्स) डिग्री के समतुल्य मान्यता नहीं दी है क्योंकि इस परीक्षा के लिये रांची विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या तुलना में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या से घटया दर्जे को पाई गई थी।

(ग) जी, नहीं।

आवास स्थलों के लिए खंड वार परियोजना प्रतिवेदन

*505. **श्री नाथुराम अहिरवार :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन खेतिहार श्रमिकों के लिये आवास स्थल की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना के अधीन खण्डवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और उन्हें शीघ्र ही निर्माण और आवास मंत्रालय को भेजने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने खण्डवार प्रस्ताव भेजे हैं ; वे किन-किन तारीखों को और कितने भूमिहीन श्रमिकों के बारे में भेजे गये हैं ; और

(ग) गैर-सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उनके विकास पर कितनी लागत आयेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क). जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : राज्य सरकारों से विभिन्न ब्लाकों के लिये ब्लाकवार परियोजना प्रस्ताव, भिन्नि भिन्न तारीखों को प्राप्त हुए थे । 31 मार्च, 1974 तक प्राप्त हुई परियोजनाएं, उन पर होने वाला व्यय तथा उन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों की संख्या का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है । [**ग्रंथालय में रखा गया** । देखिये **संख्या एल० टी०** 8284/74]

गेहूं की प्रमाणित बीज के रूप में सप्लाई

*506. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ किसानों की एक एसोसिएशन ने साधारण गेहूं की प्रमाणित बीज के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को सप्लाई करके कर-अपवचन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) ऐसी कोई विशेष शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं आई है जिस से पता चले कि दिल्ली के कृषकों का कोई एसोसिएशन राज्य सरकारों को प्रमाणित बीजों के रूप में साधारण गेहूं की सप्लाई करके करों की अदायगी से बचता रहा है । दिल्ली में जालसाजों और नकली फर्मों द्वारा उत्तर् प्रदेश के तराई क्षेत्र से बीजों के रूप में गेहूं लाने के कुछ मामले जानकारी में लाये गये हैं । उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क स्थापित करने से पता चला है कि इन मामलों की छान-बीन की जा रही है ।

अनुपयोगी ढोर

*507. **श्री लालजी भाई :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनुपयोगी तथा अवांछित ढोरों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका किसी भी प्रकार उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी नहीं । इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, द्वितीय योजनावधि के दौरान आवारा तथा जंगली पशुओं को, जो कि खड़ी फसलों को क्षति पहुंचाते हैं और/या कस्बों तथा नगरों में उधम मचाते हैं, पकड़ने की एक योजना शुरू की गई थी और यह तब से जारी है । तीसरी योजना के दौरान इस योजना का विस्तार करके देश के विभिन्न प्रजनकों को ऐसे पशुओं का वितरण करना भी शामिल किया गया था । इस प्रकार लगभग 27,000 पशु वितरत किए गए हैं । लगभग 10,000 अनुत्पादक पशु "गौ सदनों" को भेजे गए हैं ।

Regularisation of cottage and small industries running in residential areas of Delhi

3433. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the cottage and small industries running in the residential areas are being regularised by amending the Delhi Master Plan; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works & Housing (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

World Bank aid for minor Irrigation in M.P.

3434. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the World Bank has agreed to contribute to the expenditure on small irrigation schemes of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) A Credit Project for development of minor irrigation facilities in Madhya Pradesh assisted by the International Development Association (an affiliate of the World Bank) is presently under implementation. The Project is a three-year programme (the closing-date is 31st December, 1976) with a total outlay of Rs. 45.22 crores against which I.D.A. assistance will be of the order of US $ 33 million. The project envisages construction of about 25,000 new wells, improvement of 15,000 existing dug-wells, installation of about 29,000 electric and 12,000 diesel power pumpsets and about 2700 Persian wheels covering 35 districts.

गुजरात में वनारोपण ग्रौर भू-संरक्षण का कार्य

3435. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार भू-संरक्षण ग्रौर वनरोपण का कार्य ग्रारम्भ कर रही है ताकि गुजरात में बाना नदी पर दंतीवाडा बांध के ग्रपवाह क्षेत्र से ग्राने वाले गाद से जलाशय को भरने से रोका जा सके ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 के दौरान भू-संरक्षण ग्रौर वनारोपण का कार्य कब पूरा होगा ; ग्रौर

(ग) इस योजना पर कुल व्यय कितना होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां, गुजरात सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के ग्रंतर्गत दंतीवाड़ा बांध के ग्रपवाह क्षेत्र में मृदा-संरक्षण एवं वनरोपण का कार्य कर रही है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जलाशय को समय से पूर्व गाद-मिट्टी से भरने के लिये ग्रपवाह क्षेत्र को भूक्षरण से बचाया जाये ।

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान इस योजना के अंतर्गत मृदा संरक्षण कार्य किया गया है जिसमें 313 हैक्टार कृषि भूमि में कंटूर बंध तथा सीढ़ीदार खेत बनाना, 600 हैक्टार भूमि पर बनारोपण करना तथा 100 हैक्टार भूमि पर चरागाह का विकास करना शामिल है।

(ग) वर्ष 1973-74 के दौरान इस योजना पर कुल 10.40 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

पांचवीं योजना में कुपोषाहार रोकने के लिये कार्यवाही

3436. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में कुपोषाहार रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पोषाहार योजना आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) देश में कुपोषहार रोकने की वह योजना कहां तक सहायक होगी।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) इस विषय का सम्बन्ध योजना आयोग से है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के पौष्टिक आहार कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं। उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित सूचना भेजी है।

गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं, कमजोर वर्गों के स्कूल पूर्व और स्कूल के बच्चों के लिए और अच्छी पोषाहार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पौष्टिक आहार कार्यक्रमों का काफी विस्तार करने का विचार है। "केयर" की लगभग 200 करोड़ रुपये की सहायता के अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में पौष्टिक आहार के लिए 405 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पौष्टिक आहार हमारे देश की बहुत बड़ी सामाजिक-आर्थिक समस्या है और पांचवीं योजना में जिन परिव्ययों की व्यवस्था की गई है, वे इस समस्या को पूर्णतया हल करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। गरीबी की रेखा से भी नीचे रहने वाली सारी जनसंख्या को ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता, इसलिए जन संख्या के कुछ ऐसे चुने हुए वर्गों को ऐसे कार्यक्रम के लिए स्पष्टतया चुना जायेगा, जिनमें कुपोषण सबसे अधिक है।

पौष्टिक आहार कार्यक्रमों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) **अनुपूरक आहार वितरण कार्यक्रम** : अनुपूरक आहार वितरण कार्यक्रम में 6 वर्ष की आयु से कम के स्कूल पूर्व बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना तथा 6 से 11 वर्ष तक की आयु के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याहन भोजन कार्यक्रम शामिल हैं। ऐसा विचार है कि पांचवीं योजना के अंततक का विशेष पौष्टिक आहार के अन्तर्गत अनुपूरक आहार वितरण कार्यक्रम से लाभ पाने वालों की संख्या 38 लाख सै बढ़ कर लगभग एक करोड़ हो जायेगी तथा मध्याह्न भोजन पाने वालों की संख्या पांचवीं योजना की अवधि के दौरान 1 करोड़ 20 लाख से बढ़ कर 1 करोड़ 65 लाख हो जायेगी।

(2) **आहार वितरण कार्यक्रम में आत्म-निर्भरता** : भारत सरकार के खाद्य विभाग के अधीन एक पौष्टिक आहार निगम स्थापित करने का विचार है जो अनुपूरक आहार वितरण कार्यक्रम के लिए पौष्टिक खाने तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगी । तैयार किये गये आहार मुख्यतया बालाहार, मिलटोन और मॉर्डन ब्रेड होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए होंगे और पौष्टिक आहार की सारी आवश्यकताएं उससे पूरी हो जायेंगी ।

(3) **प्रायोगिक पौष्टिक आहार कार्यक्रम** : इसके अन्तर्गत पौष्टिक आहार शिक्षा तथा ग्रामीण जनसंख्या में विस्तार कार्यक्रमों के प्रयोजनों के लिए 700 नए खंडों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का विचार है ।

(4) **स्वास्थ्य पर आधारित पौष्टिक आहार कार्यक्रम** : इसके अधीन बच्चों को डिपथेरिया, हूपिंगकफ और टेटनस से बचाव के लिए तथा गर्भवती माताओं को टेटनस और रक्तक्षीणता से बचाव के लिए प्रतिरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

पौष्टिक आहार कार्यक्रम को स्वस्थ्य देखभाल और परिवार योजना सेवाओं के साथ समेकित ढंग से चलाया जायेगा । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसंधान, सर्वेक्षण और मूल्यांकन को पौष्टिक आहार योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा । सरकार पौष्टिक आहार के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति को स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि पौष्टिक आहार कार्यक्रमों को चलाने वाले विभिन्न विभागों, एजेंसियों और राज्यों में विधिवत सम्पर्क, परामर्श और समन्वय सुनश्चित किया जा सके । यह समन्वय समिति केन्द्र में पौष्टिक आहार कार्यक्रमों के मूल्यांकन और संचालन के लिए भी उत्तरदायी होगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भरती प्रक्रिया

3437. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में भरती प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Wearing of steel helmets by two wheeler drivers

3438. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of two-wheeler scooters in Delhi at present ; and

(b) the future plan of Government regarding wearing steel helmets by two-wheeler drivers?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) 1,57,398 two-wheeler scooters/motor cycles were registered in Delhi as on 31-3-1974.

(b) The Delhi Administration have not yet decided to make the wearing of steel helmets compulsory by two wheeler drivers.

खाद्यान्नों का थोक व्यापार राज्य द्वारा किया जाना

3439. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की वसूली के मामले में थोक व्यापारियों पर निर्भरता में पूरी विफलता को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार कड़ाई के साथ राज्य द्वारा किया जाना चाहिए जो सीमान्त किसानों को छोड़ कर मंडी में बेचे जाने वाले फालतू खाद्यान्न की ग्रेडवार लैवी लगाकर वसूली करे, और

(ख) यदि हां.तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) नई नीति के अधीन गेहूं की अधिप्राप्ति अभी भी की जा रही है। अधिप्राप्ति के दायरे को विस्तृत करने की दृष्टि से विभिन्न सुझावों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। नीति विषयक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पग उठाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की नीति की समीक्षा की जाती है।

खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि

3440. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में लगभग 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) खुले बाजार में चीनी का बिक्री मूल्य स्थिर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) हाल में खुले बाजार के मूल्यों में तेजी रही है जबकि मुख्यतः गन्ने को पारिला रोग लगने, शीतकालीन वर्षा न होने, पाला पड़ने आदि के कारण वसूली में गिरावट आने के फलस्वरूप चीनी का उत्पादन आशा से कम होने, के कारण हुआ है। इसके साथ काफी मात्रा में किया गया निर्यात सम्बद्ध है जोकि अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए किया गया था और उसके फलस्वरूप जून, 1974 से आगे आन्तरिक खपत के लिए चीनी की मासिक नियुक्ती में कमी करना जरूरी हो गया। इसके अलावा, देहाती क्षेत्रों की निश्चित मांग, त्योहारों आदि के कारण बढ़ती हुई मांग और मुद्रा स्फीति की सामान्य प्रवृत्ति भी मूल्यों में मौजूदा वृद्धि की प्रवृत्ति का कुछ हद तक कारण हो सकती है।

(ग) आंशिक नियंत्रण की नीति को जारी रखने, उत्पादन शुल्क में रिबेट देने की योजनाओं, नये कारखाने चालू करने, मौजूदा फैक्टरियों के विस्तार कार्यक्रम में तेजी लाने और गन्ने में किस्म और

मात्रा संबंधी विकास करने के बारे में विचार करके चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया जायेगा। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी फिर यह सलाह दी गई है कि वे कदाचारों अर्थात् खुले बाजार में लेवी चीनी की बिक्री, जमाखोरी आदि को रोकने के उद्देश्य से अपने वितरण संबंधी तंत्र को कड़ा कर दें। आशा है कि इन सभी उपायों से उचित स्तर पर खुले बाजार के मूल्यों के स्थिरीकरण में सहायता मिलेगी।

Ports incurring Losses

3441. **Shri R.V. Bade : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :**

(a) the name of the ports in the country as are incurring losses due to non-utilisation of their full capacity and the mismanagement and also the extent of losses beng incurred by each of them; and

(b) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The major Ports of Calcutta, Madras, Cochin, Kandla and Paradip are incurring losses due to increase in expenditure and the under-utilisation of Port capacity. The revenue deficits of these Ports during the year 1973-74 were of the following order :—

Name of Port	Revenue deficits (In lakhs of rupees)
Calcutta	1,203.07
Madras	209.00
Cochin	122.74
Kandla	1.83
Paradip	316.50

(b) The Portt have approached the authorities concerned to ensure continuous supply of commodities handled by them to enable them to utilise their capacity fully. The Scales of Rates of the Ports are also being revised.

दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के बारे में समिति का प्रतिवेदन

3442. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में विद्यार्थियों की तेजी से बढ़ती संख्या की समस्या के बारे में जांच करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालयों के कालेजों तथा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने

और उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जायें इस बारे में सिफारिशें करने हेतु सरकार ने एक समिति नियुक्ति की है। उक्त सभिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

3443. **श्री बेकारिया ।** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा की नींव के बारे में अनुसंधान संबंधी अध्ययन आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 8285/74]**

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को निर्माण तकनीकी

3444. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट और इस्पात की भारी कमी को देखते हुए, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को ऐसी नयी निर्माण तकनीक तैयार करने को कहा गया है जिन से किसी भी रूप में भवन की शक्ति को कम किये बिना सरकार तथा गैर सरकारी निर्माण-कर्त्ता अन्य प्रकार की भवन निर्माण सामग्री का उपयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो ये खोजी गई नई तकनीकी संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम भवन निर्माताओं को निर्माण सामग्री भी उपलब्ध कराता है; और यदि हां, तो सप्लाई की गई सामग्री का तथा उसकी लागत सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन नवीनतम निर्माण तकनीक तथा नई/प्रतिस्थायी निर्माण सामग्रियों के उपयोग का प्रसार करता है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण मे दी गई है।

(ग) न तो राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और ना ही राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन भवन निर्माण सामग्रियों को प्राप्त करता है और भवन निर्माताओं को देता है।

विवरण

विकसित की गई भवन निर्माण की नई तकनीकी के संक्षिप्त ब्यौरे

1. 4 मंजिले तथा ऊंचे भवनों में 9 इंच की भार वाहक इंटों की दीवारों में उच्च क्षमता की इंटों का प्रयोग।

2. सीमेंट के स्थान पर चुने का प्रयोग तथा मसाले और पलस्तर करने में इसका प्रयोग करना।

3. मसाले तथा पलस्तर के लिए चुने में मिलाने के लिए सुर्खी (क्ले पोजोलाना) का प्रयोग।

4. मसाले तथा कंक्रीट की गुणवता को बढ़ाने तथा लागत में कमी करने के लिए सीमेंट के स्थान पर उड़नराख का 20 प्र० श० तक प्रयोग।

5. सीमेंट, खंगर तथा उड़नराख को 20 प्रतिशत तक परस्पर पीस कर उड़नराख-सुर्खी का उत्पादन।

6. महानगरों में जहां प्रतिदिन भारी मात्रा में कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, एक फैक्टरी में कंक्रीट के उत्पादन से स्थल पर बनाये गये कंक्रीट की तुलना में अधिक मात्रा में सीमेंट की बचत होगी।

7. भवनों में गौण किस्म की इमारती लकड़ी का प्रयोग।

8. चूने/सीमेंट तथा उड़ान राख/रेत से निर्मित छिद्रिल कंक्रीट के ब्लाक तथा छत की पटिया का प्रयोग।

9. कंक्रीट में पत्थर के मिलावा के स्थान पर हलके भार वाला मिलावा का प्रयोग।

10. जस्ती लोहे की चादरों तथा एसबेस्टोस सीमेंट की चादरों के स्थान पर एस्फाल्ट नालीदार चादरों का प्रयोग।

11. परम्परागत लोहे अथवा सीमेंट पाइपों के स्थान पर प्लास्टिक के पाइपों का प्रयोग।

12. पूर्व विरचित छतगीरी की निम्नलिखित तकनीकियों को अपनाना :—

(क) द्रोणिकाकार पूर्व विरचित आर० सी० सी० के एकक (पूर्वविरचित नालीदार एकक)

(ख) पूर्वविरचित आर० सी० सी० के संरचनात्मक एकक जिनमें उनकी पूरी लम्बाई तक 2 इससे अधिक खोखले गोलाकार क्रीड हैं।

(ग) पूर्वविरचित छिद्रिल छत के घटक की पद्धति जिसमें खोखले कंक्रीट के घटकों को पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से पूर्व विरचित शहतीरों पर रखना तथा उन्हें डेक कंक्रीट से ढकना जबकि सहायक शहतीर आंशिक रूप से पूर्वविरचित हो।

(घ) पूर्वविरचित पट्टियों तथा खोखले ब्लाकों का निर्माण : इस प्रकार की छत डालने में कंक्रीट के खोखले ब्लाक होते हैं जो उल्टी "टी" पट्टियों पर आधारित होता है तथा जो कंक्रीट से भरा जाता है।

(ङ) पूर्वविरचित आर० सी० सी० "टी" शहतीर के घटक : इस प्रकार के छतगीरी में "टी" शहतीरों को सीधे ही दीवारों पर रखा जाता है टी-शहतीर छतगीरी पद्धति में सुधार एक

खोखले टी शहतीर है जिसमें टी शहतीरों के साथ साथ पूर्वविरचित कंक्रीट की टाइलों का प्रयोग किया गया है ताकि छत सपाट हो और अपेक्षाकृत ताप सह्य हो।

(च) दोहरी मुड़ी टाइलें : यह छतगीरी की पद्धति छतगीरो के एककों के प्रयोग पर आधारित है जिसमें 70 से० मी० वर्गाकार की दोहरी मुड़ी टाइलें शामिल हैं जो आंशिक रूप से पूर्व विरचित सीमेंट कंक्रीट के शहतीरों पर आधारित हैं।

13. अन्ततः भार सिद्धांत के आधार पर कंक्रीट संरचनाओं तथा सरचनाओं के डिजाईन बनाने में उच्च शक्ति के विकृत छड़ों का प्रयोग।

14. इकहरी ईंट की मोटी दीवार बनाने में ईंट तथा सीमेंट के प्रयोग में बचत करने की दृष्टि से उत्तम किस्म की ईंटों तथा व्यावहारिक डिजाइन की पद्धति का प्रयोग।

15. दरवाजों तथा खिड़कियों के ऊपर के थिनर के पूर्वविरचित आर० सी० सी० लिंटलों का प्रयोग करना जिससे इस्पात तथा सीमेंट में बचत हो।

16. ईंट के कार्य में बचत करने के लिए छत की ऊंचाई में कमी करना।

17. नलकारी में और अधिक मितव्ययी एक मोटा नल पद्धति का उपयोग जिसमें सभी स्वच्छता संस्थापना की नालियों का तथा शौचालय का मलजल एक ही नल द्वारा विसर्जित हो।

मसालों का श्रेणीकरण करने के लिए प्रयोगशालाए

3445. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री वयालार रवि :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में आयोजित सम्मेलन में मसालों के व्यापारियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि मसाले उगाने वाले मुख्य क्षेत्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जायें ताकि उन्हें बाजार में लाने से पूर्व उनका उचित श्रेणीकरण किया जा सके;

(ख) क्या इस सम्मेलन में यह सुझाव भी दिया गया था कि मिलावट को रोकने के लिए एगमार्क भारतीय मानक संस्थान के चिन्ह वाले पैकेटों में ही मसालों का चूर्ण बेचने की अनुमति दी जाय; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और यदि हां, तो इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) कृषि मंत्रालय को कोई भी प्रस्ताव, जो मसाला व्यापारियों के सम्मेलन, जिसके हाल ही में दिल्ली में होने के बारे में कहा गया है, द्वारा पास किया गया होगा, नहीं मिला है। किराना समिति, दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को पेश किये गये ज्ञापन में मसालों में मिलावट का उल्लेख है और अनुरोध किया गया है कि मुख्य उत्पादन केन्द्रों में प्राथमिकता के आधार पर प्रयोगशालायें स्थापित की जानी चाहिएं। जहां तक एगमार्क का सम्बन्ध है, कृषि उपज (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत देश के भीतर बिक्री के

लिए मसालों का श्रेणीकरण स्वैच्छिक आधार पर जब कि निर्यात प्रयोजनों के लिए अनिवार्य आधार पर किया जाता है। कृषि मंत्रालय के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने ऐगमार्क प्रयोगशालायें स्थापित की हैं, जिनमें से बहुत-सी मसाले उगाने वाले इलाकों में भी स्थित हैं। इन प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें भी मसालों के परीक्षण की सुविधाएं देती हैं। ऐगमार्क प्रयोगशालाओं की संख्या, जब कभी आवश्यकता हो, काम की मात्रा के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

गैर हिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को दिये गए पुरस्कार

3446. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर हिन्दी भाषी राज्यों को उनके हिन्दी लेखकों को उनके कार्यों के लिए पुरस्कार दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 के दौरान कितने पुरस्कार वितरित किये गये और किन-किन व्यक्तियों को किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) मंत्रालय, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों, हिन्दी में साहित्यिक कृतियों के लिए प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना का संचालन करता है।

(ख) योजना के अंतर्गत, वर्ष 1972-73 के लिए 1973 में तेरह पुरस्कारों की घोषणा की गयी थी। इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम निम्नलिखित हैं :

नाम	मातृ भाषा
1. कु० अन्नपूर्णा	पंजाबी
2. श्रीमती विजय चौहान	पंजाबी
3. डा० बी० लक्ष्मैय्या शेटी	तेलुगु
4. डा० शिवान कृष्ण रैना	काश्मीरी
5. डा० वी० श्रीनिवासाचार्य	तेलुगु
6. श्रीमती सरस्वती रामनाथ	तमिल
7. श्री पी० जी० कामथ	मराठी
8. डा० सरोजिनी महिषी	कन्नड़
9. डा० पी० वी० विज्ञान	मलयालम
10. डा० मोतीलाल जोतवानी	सिंधी
11. श्री लोकनाथ भराली . .	असमिया
12. श्री मोतीलाल टिकू 'विनीत' . .	काश्मीरी
13. श्री प्रताप कुमार जे० तोलिया 'निशांत' . . .	गुजराती

ग्रामीण और नगरीय समुदाय को शिक्षित करने की योजना

3447 श्री अरविंद एम० पटेल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और** संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के उन बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षित करने की एक नई योजना आरम्भ की है जो अभी तक शिक्षा की सुविधाओं से वंचित हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री श्री डी० पी० यादव : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा नीति का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को इसके अन्तर्गत लाना है जो अब तक इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य, बिभिन्न स्तरों पर सभी वर्गों के नौसीखियों, जैसे अंशकालिक शिक्षा तथा बहु-स्थलीय प्रवेश सुविधा के जरिये 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों, व प्रौढ़ों के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिये विकास योजनाओं के साथ जुड़े हुए 15-25 आयु व वर्ग के युवकों के लिये कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों ; व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में अनौपचारिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना है। इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

माडर्न बेकरीज के और अधिक एकक

3448. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डबल रोटी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये देश के विभिन्न भागों में माडर्न बेकरीज के और अधिक एककों की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर एककों की स्थापना की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल, कुछ मौजूदा यूनिटों की क्षमता बढ़ाने के अलावा, कम्पनी चन्डीगढ़, रांची, इन्दौर और भुवनेश्वर में नई यूनिटें स्थापित करने की आशा करती है।

केरल में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा का विकास आयोग की नीति

3449. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और** संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषकर केरल में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा के विकास के लिये क्या नीति तथा व्यवस्था अपनाई है ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी योजना और पांचवीं योजना में केरल, कोचीन और कालीकट विश्वविद्यालयों के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने की सिफारिश की है ; और

(ग) मंत्रालय ने चौथी योजना और पांचवीं योजना में कितनी धनराशि आवंटित की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) शिक्षा की दृष्टि से केरल के पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा के विकास हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अलग से कोई नीति नहीं अपनाई गई थी। तथापि, ऐसे क्षेत्रों में स्थित तथा संबंधित विश्व-विद्यालय के कुलपति द्वारा स्पष्ट रूप से सिफारिश किये गए कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों पर यथोचित विचार किया गया था तथा कुछ निर्धारित पात्रता की शर्तों में भी छूट संबंधी सहायता दी गई थी।

किन्तु पांचवीं पंचवर्षीय योजना के हेतु विकास प्रस्तावों को तैयार करने के लिये विश्वविद्यालयों को जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं में निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं :--

"क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और समाज के कमजोर वर्गों तथा प्रत्येक क्षेत्र के कम विकसित क्षेत्रों के लिये उच्च शिक्षा की सुविधायें उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न किये जायें। ऐसी सुविधायें अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों की सहायता करने के लिये विशेष अनुपूरक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के रूप में भी दी जा सकती हैं, ताकि वे अपनी प्रारम्भिक कठिनाइयों को पार कर सकें। विश्वविद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के पाठ्यक्रमों की सं-रचना तथा विषय वस्तुओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। कालेजों के किसी समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेषकर बड़े शहरों में, शैक्षिक केन्द्र भी स्थापित किये जायें। विश्व विद्यालय पद्धति में अवर-स्नातक शिक्षा को वास्तविक रूप से निर्णायक रूप देने के लिये कोटि-उन्मुख कार्यक्रमों की शुरूआत की जाये"।

(ख)

	चौथी योजना	पांचवीं योजना (अस्थायी आवंटन)*
	(रुपये लाखों में)	
केरल . .	80.51	200.00
कालिकट . .	79.29	150.00
कोचीन	75.37	100.00

*उन तीन प्राथमिकताओं की सीमा का संकेत जिनमें प्रस्ताव/सुझाव तैयार करने हैं।

प्रथम प्राथमिकता	50%
द्वितीय प्राथमिकता . .	25%
तृतीय प्राथमिकता	25%

(ग) उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सभी सहायता विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से दी जाती है तथा इस प्रयोजन के लिए यह मंत्रालय अलग से कोई आवंटन नहीं करता है।

केरल में लघु सिंचाई की सुविधाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

3450. **श्री भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य में लघु सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इसके लिए केन्द्रीय सहायता भी मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 22-6-74 को केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक में केरल के कृषि मंत्री ने चालू वर्ष की अवधि में अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने हेतु वर्ष 1974-75 के लिए एक आपातकालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव किए थे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 2.30 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाओं की मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :—

प्रथम श्रेणी के कार्य

(1) बाढ़ के पानी और क्षारीयता को रोकने के लिए बाह्य बंधों का निर्माण करना . . .	(10 लाख रुपये)
(2) अन्य किस्मों के लघु सिंचाई निर्माण कार्य . .	(10 लाख रुपये)
(3) मौजूदा उठाऊ सिंचाई योजनाओं का नवीकरण और आयाकट के विस्तार के लिए अतिरिक्त पम्पसैट उपलब्ध करना . .	(75 लाख रु०)
(4) विभिन्न नदी घाटियों के अंतर्गत नई उठाव सिंचाई योजनाओं को शुरू करना	(60 लाख रु०)
(5) कसरगोडे, अट्टापेडी और वीनाड के पिछड़े क्षेत्रों में नई उठाव सिंचाई योजनाओं को शुरू करना	(15 लाख रु०)

द्वितीय श्रेणी के कार्य

(6) कसरगोडे, अट्टापेडी तथा वीनाड के पिछड़े क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाएं	(10 लाख रु०)
(7) अन्य क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाएं	(50 लाख रु०)

राज्य सरकार ने सूचित किया कि उपर्युक्त योजनाओं के पूरा होने पर धान के 6,500 हैक्टर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और लगभग 6,600 मीटरी टन अधिक चावल पैदा होगा ।

19 और 24 जून, 1974 के बीच आयोजित केन्द्रीय कृषि मंत्री, राज्य के मुख्य मंत्रियों/कृषि मंत्रियों की बैठक में कुछ राज्य सरकारों ने (जिनमें केरल सरकार भी शामिल थी) मुख्य मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, लघु सिंचाई योजनाओं, पम्पसैटों के विद्युतीकरण, बिजली जनरेशन को तेज करने और वाहन कार्यक्रम आदि के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी। राज्य सरकारों द्वारा मांगी अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार की वर्तमान नीति यह है कि प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए जितने अधिक धन की जरूरत है उसकी व्यवस्था कृषि या अन्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए राज्य योजना परिव्यय में से ही होनी चाहिए ।

दिल्ली में गेहूं पर उप-कर लगाया जाना

3451. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में गेहूं पर उप-कर लगाने का अनुरोध किया है ताकि उस राज्य से गेहूं की तस्करी न्यूनतम हो; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उप-कर लगाने के लिए इस बीच कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया गया था और संघ शासित प्रदेश दिल्ली में गेहूं पर कोई लेवी लगाना उपयुक्त नहीं पाया गया था।

UGC's Grant to Kumaun Vishwavidyalaya, Nainital

3452. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any funds have been sanctioned by University Grants Commission to Kumaun Vishwavidyalaya Nainital a new University opened in Kumaun during the financial year 1974-75;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the itms on which the sanctioned amount would be spent?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) No development grants have been sanctioned so far to the Kumaun Vishwavidyalaya, Nainital by the University Grants Commission.

(b) and (c) Do not arise.

रेलवे हड़ताल के कारण रेल परिवहन के स्थान पर सड़क परिवहन का उपयोग

3453. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही की रेलवे हड़ताल के कारण रेलवे परिवहन को छोड़कर सड़क परिवहन से हुए कुल यातायात के बारे में एक अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पथ-परिवर्तन का सड़क-रेल यातायात सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या उक्त पथ-परिवर्तन स्थायी बनाया जा रहा है; और

(घ) उक्त पथ-परिवर्तन के कारण डीजल तेल तथा अन्य तेल उत्पादन की मांग कितनी बढ़ जायेगी और तत्संबंधी व्यय का अनुमान क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) रेल से सड़क परिहवन को पथप-रिवर्तन यदि हो नाम मात्र है और स्थायी प्रकार का नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में कृषि सहकारी संस्थाओं को सहायता

3454. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कृषि सहकारिताओं को नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उन्हें कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उड़ीसा में सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1972-73 में 79.929 लाख रुपये और 1973-74 में 96.701 लाख रुपये की सहायता दी गई थी।

अखिल भारतीय अकाल संहिता

3455. **श्री पी० गंगा देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अकाल संहिता को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) क्या उक्त अकाल संहिता को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, यदि हां, तो कब?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अकाल संहिता राज्यों का विषय है। तथापि, भारत सरकार सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों और सूखे की अवधि के दौरान राहत कार्यों के संगठन और वितरण के बारे में किए गए नीति संबंधी विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इन संहिताओं के संशोधन का प्रश्न राज्य सरकारों से उठाती रही है। राज्यों को एक पत्रक भी भेजा गया है जिसमें इसकी पृष्ठभूमि दी गई है जिससे कि वे इन संहिताओं में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकें।

डेयरी योजनाओं का अध्ययन

3457. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस देश में तया अन्य देशों जैसे जापान, फ्रांस, ब्रिटेन आदि में डेयरी योजनाओं का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार चाहती है कि डेयरी योजनाएं दूध सप्लाई न कर के दुग्ध चूर्ण सप्लाई करें;

(ग) क्या ब्रिटेन, जापान तथा अन्य देश भी अपने बच्चों, महिलाओं तथा अन्य लोगों को दुग्ध चूर्ण सप्लाई करते हैं;

(घ) क्या भारतीय डेयरियों आयातित/उपहार स्वरूप प्राप्त दुग्ध चूर्ण का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रही है : और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। विशेषकर गर्मी के महीनों में दुग्ध उत्पादन में मौसमी उतार चढ़ाव होने की बजह से उत्पादन में तेजी से कमी होती है। इस उतार चढ़ाव से दूध की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है और दुग्ध योजनाओं के दुग्ध वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सप्लाई और मांग के मध्य इस असंतुलन को ठीक करने और दुग्ध वितरण के वचनबद्ध स्तर को कायम रखने के लिए दुग्ध योजनाओं के लिए आवश्यक हो गया है कि वे दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए दुग्ध पाउडर का उपयोग करें। अधिक चिकनाई वालें भैंस के दूध को टोन्ड दूध में परिवर्तित करके उसमें प्रोटीनयुक्त दुग्ध चूर्ण मिला कर मानकीकृत या टोन्ड दूध के रूप में वितरित होने वाले दूध की मात्रा में वृद्धि की जाती है। इस तरीके से कुछ हद तक दूध की लागत भी कम हो जाती है और उसको निम्न आय के वर्ग के लोगों को आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है।

(ग) जहां तक दुग्ध उत्पादन का संबंध है, ब्रिटेन, डेन्मार्क, हालैण्ड, स्वीडन, फ्रांस, न्यजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया आदि काफी उन्नत देश है। ये देश, विपणन के लिए तरल दूध बनाने के लिए प्रायः दुग्ध चूर्ण का उपयोग नहीं करते। परन्तु इसको आइस क्रीम, कन्फेकशनरी और स्वस्थ भोजन बनाने में विस्तृत रूप से उपयोग में लाया जाता है। जहां तक जापान का संबंध है, हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी, हां। विदेशी मुद्रा की उपलब्धि और उपहार के रूप में उपलब्ध होने वालें माल की मात्रा पर निर्भर करते हुए आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है।

(ङ) इस समय 23,900 मीटर टन दुग्ध चूर्ण का प्रति वर्ष उपयोग हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से बीजों के रूप में धान का निर्यात

3458. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि कुछ गणमान्य व्यक्तियों के पुत्र उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से बीजों के रूप में धान का निर्यात कर रहे हैं :

(ख) क्या सरकार ने 14 जून, 1974 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार में वर्णित उन गणमान्य व्यक्तियों के रिश्तेदारों का पता लगा लिया है : और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार का ध्यान 14 जून, 1974 को 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें तराई क्षेत्र से बीजों के रूप में धान के निर्यात के कथित मामले के साथ कुछ गणमान्य व्यक्तियों के सम्बन्ध होने की बात कही गई है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार इन मामलों की छानबीन करती रही है और इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी लिखा गया है । अभी उन्होंने अपनी तफतीश पूरी नहीं की है ।

शहरों में आधुनिक आवास

3459. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हमारे नगरों में ऐसे अनेक उदाहरण मिले है जिन के आधुनिक आवास के लिये सुन्दर डिज़ाइन बनाये गये हैं परन्तु जो रहने के लिये अनुपयुक्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को बदलने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) देश भर में आयोजना तथा वास्तु-कला के कई स्कूलों/संस्थानों की स्थापना से नई इमारतों के सुव्यवस्थित सौन्दर्यपरक अग्रभाग तथा आरामदेय रहने की जगह की आवश्यकता के बारे में सतत जागरूकता आती जा रही है । इस प्रवृत्ति को समेकित करने के लिये सरकार ने दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना की है । मद्रास, कलकत्ता और बंम्बई के महानगरों के लिए इसी प्रकार के आयोग स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों को सलाह दी गई है । रिहायशी तथा अन्य इमारतों के निर्माण में किफायती तथा कार्यात्मक डिज़ाइन अपनाए जाने के लिए भी अब जागरूकता आ रही है ।

महानगरों में बड़े बड़े भवन

3460. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महानगरों में बड़े बड़े भवनों की संख्या बढ़ती जा रही हैं ; और

(ख) इन बड़े बड़े और कृत्रिम भवनों के निर्माण को निरूत्साहित करने और इन भवनों के ऐसे डिज़ाइनों को प्रोत्साहन देने, जिस से वास्तव में मानवी शहरी पन प्रदर्शित हो, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) इस प्रकार की प्रवृत्ति कुछ महानगरों में देखी गई है ।

(ख) जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना की गई है ताकि शहर की सौन्दर्यपरक कोटि को और शहर के पर्यावरणीय डिज़ाइनों को सुरक्षित रखा जा सके । तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकारों को क्रमश: मद्रास, कलकत्ता, तथा बम्बई जैसे महानगरों में इसी प्रकार के नगर कला आयोगों की स्थापना करने की सलाह दी गई है ।

शहरों का विकास

3461 **श्री बनमाली बाबू** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत सामाजिक एवं नैतिक सिद्धान्तों के संदर्भ में शहरी विकास करने का विचार है; और

(ख) हमारे देश में शहरों को निःसहाय और कुरूप बनने से बचाने तथा उन को ऐसा बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वहां जीवन-यापन कुशलतापूर्वक हो और सामाजिक न्याय मिल सके ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ऐसे किसी विशेष अध्ययन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को शहरों के आयोजित विकास के लिए बृहत योजनाएं बनाने, विकास प्राधिकरणों की स्थापना करने तथा उनका एकीकृत विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में भी एकीकृत शहरी विकास के लिये 250 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

विदेशों में भारतीय छात्र तथा भारत में विदेशी शोध छात्र

3462. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भारतीय शोध छात्रों की देशवार संख्या कितनी है जिन को वर्ष 1974-75 में विदेशों में अध्ययन करने के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां दी गई हैं; और

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शोध डिग्री प्राप्त करने के लिये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों को भारत सरकार की योजना तथा विदेशों में भारतीय राष्ट्रीकों को उच्च अध्ययन/अनुसंधान हेतु विभिन्न मित्र विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों का संचालन करता है । वर्ष 1974-75 के दौरान इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए, विदेशों में उत्तर स्नातक अध्ययन/अनुसंधान/व्यावहारिक प्रशिक्षण के वास्ते 465 भारतीय छात्रों को चुना गया है । देश वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

देश का नाम	वर्ष 1974-75 के दौरान उत्तर स्नातक अध्ययन/अनुसंधान/व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु चुने गए भारतीय छात्रों की संख्या
आस्ट्रिया	23
आस्ट्रेलिया	2
कनाडा	14
डेनमार्क .	18
जर्मन संघीय गणराज्य	10
फिनलैंड	4
फ्रांस . .	27
जर्मन जनवादी गणराज्य	6
ग्रीस .	4
हंगरी .	5
इटली .	6
जापान	11
नीदरलैंड	68
न्यूजीलैंड	1
नार्वे	22
पोलेंड .	1
साऊदी अरेबिया .	4
स्वीडन	4
तुर्की .	5
यू०के०	129
अमेरिका	24
रूस	77
कुल . .	465

(ख) मास्टर्स तथा पी० एच० डी० डिग्रियों वाले उत्तर स्नातक पाट्यक्रमों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस समय अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों की कुल संख्या 39 है।

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के कार्यकरण को समीक्षा

3463. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) स्त्रियों में अनैतिक व्यापार रोकने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम 1956 के उपबंधों में संशोधनों के लिये विचार करने हेतु 30 मार्च 1968 को एक समिति स्थापित की गई थी। समिति की सिफारिशों पर विभिन्न सेमिनारों में विचार विमर्श और पुनर्विलोकन हुआ है तथा उन पर विचार किया जा रहा है। इस बीच विधि मंत्रालय ने अपने आप अधिनियम के संशोधन के प्रश्न को ले लिया है। विधि आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

केरल राज्य को आवास के लिए धनराशि का नियतन

3464. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में आवास के लिये कुल कितनी धनराशि नियत को गई है ;

(ख) क्या इस धनराशि से बनाये जाने वाले मकानों की संख्या के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में केरल के लिये आवास हेतु 8 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कालोनियों में पानी की टंकियों की सफाई

3465. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूगत/ऊपरी टंकियों की, जहां पहले पानी एकत्र किया जाता है और तत्पश्चात् कालोनियों के निवासियों के लिये सप्लाई किया जाता है, सफाई तथा कीटाणुमुक्त करने के लिये निर्धारित सामान्य प्रक्रिया क्या है ;

(ख) डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी' में निवासियों को स्वच्छ पानी की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिये भूमिगत/ऊपरी टंकियों की किस तिथि को सफाई की गई तथा उन्हें कीटाणुमुक्त किया गया ; और

(ग) भविष्य में इन टंकियों की कब सफाई करने का विचार है और कितनी अवधि के बाद टंकियों की सफाई करने तथा कीटाणुमुक्त करने का प्रस्ताव होता है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) भूमिगत जलाशयों में जब कभी बालू, मिट्टी आदि के जमाव को देखा जाता है, उन्हें साफ कर दिया जाता है। ऐसा साधारणतया दो वर्ष से कम अवधि में नहीं होता है। ऊंची टंकियों आर० सी० सी० की होती हैं तथा उनकी सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वे सामान्यतः प्रत्येक दिन खाली हो जाती हैं।

(ख) डी० आई० जैड० क्षेत्र में टंकियों की सफाई पिछली बार 27 से 29 दिसम्बर, 1973 को की कई थी। चूंकि पानी क्लोरीन-युक्त था, अतः उसकी और कीटाणु विमुक्त करना आवश्यक नहीं था।

(ग) उपरोक्त (क) संदर्भ में यह कहना संभव नहीं है कि भविष्य में डी० आई० जैड० क्षेत्र में टंकियों की सफाई की आवश्यकता कब होगी।

अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा

3466. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान स्थित बुद्ध की प्रतिमा के संरक्षण संबंधी कार्य को अपने हाथ में लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) वमियान में चट्टान काट कर बनाई गई दो विशाल बौद्ध मूर्तियों तथा उनके इर्द-गिर्द मठों के परिरक्षण का कार्य, अफगानिस्तान तथा भारत की सरकारों के बीच 22 जुलाई, 1969 को हस्ताक्षरित एक करार के अन्तर्गत किया जा रहा है।

उक्त करार के अनुसार, भारत, तकनीकी विशेषज्ञ तथा ऊंचाई पर कार्य करने के लिये इस्पात की भारी नलाकार मचान, चट्टान भेदी मशीनें जैसे उपस्कर प्रयोगशाला कार्य के लिये वैज्ञानिक यंत्र, फोटोग्राफिक उपस्कर और भित्तियों की सफाई तथा परिरक्षण के लिये अपेक्षित रसायनों जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा। इसके विपरीत अफगानिस्तान, वहां उपलब्ध सवारी, आवास, मजदूर, भवन निर्माण सामग्री व औजार तथा संयंत्र उपलब्ध करेगा।

मठों के दो समूहों में, छोटे बुद्ध (38 एम) की दशा खराब थी। इसलिये उसकी मरम्मत करने का कार्य सर्वप्रथम शुरू किया गया था। 1969 से लेकर 1973 के बीच एक कामकाजी सत्र में 3 से 5 महीनों तक इस समूह पर कार्य करके छोटे बुद्ध तथा उसके ईद-गिर्द के मठों को संरक्षित किया गया है। किए गए महत्वपूर्ण कार्य में मूर्ति वाले ताख से बर्फीले पानी का रास्ता बदलने के लिये पत्थर की छत की ऊपरी सतह पर नाली की व्यवस्था करना, पहाड़ी के अलग भाग को सहारा देने वाली पुश्ता दीवार को मजबूत बनाना और उसकी पुनः मरम्मत करना, गुफानुमा मठों की, क्षतिग्रस्त भागों का पुनर्निर्माण करके, जहां आवश्यक हो, मरम्मत करना तथा भितियों की सफाई व संरक्षण सम्मिलित हैं। इस कार्य पर हुआ खर्च 5.88 लाख रुपये हैं।

बड़े बुद्ध के संबंध में कार्य जुलाई, 1974 में आरम्भ किया गया था तथा चल रहा है। मुख्य मठ में किये गये वैज्ञानिक कार्य के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि मूल सतह-स्तर, विद्यमान स्तर की अपेक्षा 2 एम० नीचे था। इस प्रकार बड़े बुद्ध की ऊंचाई 55 एम० पाई गई, न कि 53 एम०, जैसा कि अब तक बताया जाता था। यहां पर, पत्थर की छत पर नाली की व्यवस्था की जा रही है और बुद्ध के क्षतिग्रस्त पदों का परिरक्षण किया जा रहा है। अगले तीन वर्षों में भूस्तरीय मठों, संबंधित मठ तथा भित्तियों को संरक्षित कर दिया जायेगा।

विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

3467. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विदेशों को कितने सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भेजे गए ;

(ख) उन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ग) क्या देश में चित्रण-कलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये भी कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) संगीतज्ञों और नृतकों के 4 दल और विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों/अध्येताओं के 10 प्रतिनिधिमंडल ;

(ख) उन पर लगभग 6,90,258 रुपये खर्च किये गये थे ;

(ग) जी, हां। इस अवधि के दौरान एक कला समालोचक के साथ एक सम्कालीन भारतीय चित्रकला और लेख चित्रकल प्रदर्शनी विदेश भेजी गई थी।

सी० पी० डब्लू० डी० इन्डस्ट्रियल वर्कर्स कोग्रापरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

3468. **श्री भोला माझी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० पी० डब्ल्यू० डी० इंडस्ट्रीयल वर्कर्स कोग्रापरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रैडिट सोसायटी लिमिटेड की ग्राम सभा की 22 फरवरी, 1974 को वार्षिक बैठक हुई थी ग्रौर उसमें मैनेजिंग कमेटी के लिये चुनाव नहीं हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस सोसायटी की ग्राम सभा की वार्षिक बैठकें पहले कितनी हुई ग्रौर क्या इस प्रकार की ग्राम सभा की सभी वार्षिक बैठकों में चुनाव होतें थे ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो फरवरी, 1974 की ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में चुनाव न करवाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यवाही पुस्तक के ग्रनुसार, 1964 से 1974 तक सोसायटी की ग्राम-सभा की 8 बैठकें हुई थीं, जिनमें से 7 बैठकों में चुनाव हुए थे ।

(ग) वर्तमान पदधारियों द्वारा कानून का गलत ग्रर्थ लगाने के कारण, 22-2-74 को चुनाव नहीं हुए थे ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ग्ररुणांचल प्रदेश सर्किल के कार्य प्रभारित कर्मचारी

3469. **श्री भोला माझी : क्या निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ग्ररुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम ग्रौर उसके ग्रधीन बनाये गये केन्द्रीय नियम लागू होते हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ग्ररुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर कर्मकार क्षतिपूर्ति ग्रधिनियम भी लागू होता है ; ग्रौर

(ग) क्या उन पर ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम ग्रौर केन्द्रीय नियम भी लागू होते हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रोम मेहता) : (क) से (ग) ग्ररुणाचल प्रदेश प्रशासन का कार्य-प्रभारित स्टाफ, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रभारित स्थापना का हिस्सा नहीं है । तथापि, प्रश्नाधीन अधिनियम तथा नियम उन पर लागू होते हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फूड जोन के अधीन प्रत्येक डिवीजन और सर्किल का अनुमानित कार्यभार

3470. **श्री भोला माझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फूड जोन के अधीन प्रत्येक डिवीजन और सर्किल के लिये वर्ष 1974-75 में कुल कितना कार्यभार होने का अनुमान है ;

(ख) प्रत्येक डिवीजन और सर्किल में गैर खाद्यान्न कार्यों से इतर कितना कार्यभार है ; और

(ग) फूड जोन में इस से इतर काम रखे जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) इससे पहले, खाद्य अंचल के अधीन 4 परिमंडल थे जो अधिकांशतः खाद्यान्न गोदामों का निर्माण कार्य कर रहे थे । वित्तीय कठिनाई के कारण, नए निर्माण कार्य शुरु करने के लिये पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हुई तथा इसके फलस्वरूप, विभिन्न अंचलों के परिमंडलों में बराबर कार्यभार बांटने के लिये उन्हें पुनः समायोजित किया गया है। खाद्य अंचल से एक परिमंडल को दक्षिणी-पश्चिमी अंचल में स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा अन्य अंचलों से 3 परिमंडलों को खाद्य अंचल में स्थानान्तरित कर दिया गया है । खाद्य अंचल भी अन्य किसी अंचल की भांति केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक अंग है तथा यह आशय कभी नहीं रहा है कि इस अंचल को खाद्यान्न गोदामों का निर्माण करने के अलावा और कोई काम नहीं दिया जायेगा ।

विवरण

वर्ष 1974-75 के लिये अनुमानित कार्यभार का मंडलवार पृथक्कीकरण

	कुल कार्य-भार (लाख रुपयों में)	गैर खाद्य कार्य भार (लाख रुपयों में)
1. खाद्य भंडार परिमंडल, नई दिल्ली		
(1) खाद्य भंडार मंडल, लुधियाना . .	38.97	—
(2) खाद्य भंडार मंडल, करनाल . . .	37.93	—
(3) खाद्य भंडार मंडल, नई दिल्ली . . .	23.79	—
(4) खाद्य भंडार मंडल, कानपुर . .	52.41	—
कुल	153.10	—

2. अधीक्षक सर्वेक्षण निर्माण (खाद्य) नई दिल्ली

(1) प्रदर्शनी मंडल नं० 1, नई दिल्ली	63.14	63.14
(2) प्रदर्शनी मंडल नं० 2, नई दिल्ली	37.96	37.96
कुल	101.10	101.10

(खाद्य अंचल का आयोजना कार्य भी अधीक्षक सर्वेक्षक निर्माण (खाद्य) द्वारा ही किया जा रहा है)

3. खाद्य भंडार विद्युत परिमंडल, नई दिल्ली

(1) खाद्य भंडार विद्युत मंडल, लुधियाना . .	13.97	—
(2) खाद्य भंडार विद्युत मंडल, नई दिल्ली . .	8.80	—
(3) हैदराबाद केन्द्रीय विद्युत मंडल . .	26.17	26.17
(4) नागपुर केन्द्रीय विद्युत मंडल . . .	32.71	32.71
(5) प्रदर्शनी विद्युत मंडल, नई दिल्ली . .	55.56	55.56
कुल	137.21	114.44

4. बैंक नोट प्रेस निर्माण परिमंडल, इन्दौर

(1) सिविल मंडल नं० (1) (2) सिविल मंडल नं० (2) (3) सिविल मंडल नं० (3)	134.72	134.72
(4) विद्युत मंडल नं० (1) (5) विद्युत मंडल नं० (2)	66.00	66.00
कुल	200.72	200.72

5. नागपुर केन्द्रीय परिमंडल, नागपुर

(1) नागपुर केन्द्रीय मंडल, नागपुर	53.69	53.69
(2) भोपाल केन्द्रीय मंडल, भोपाल	59.27	59.27
(3) हैदराबाद केन्द्रीय मंडल नं० 1	52.58	52.58
(4) हैदराबाद केन्द्रीय मंडल नं० 2	54.62	54.62
कुल	220.16	220.16

6. दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल नं० 3

(1) निर्माण मंडल नं० 1	49.85	49.85
(2) निर्माण मंडल नं० 2	53.00	53.00
(3) निर्माण मंडल नं० 3	55.70	55.70
(4) निर्माण मंडल नं० 4	59.95	59.95
कुल	218.50	218.50

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में कालेजों का खोला जाना

3471. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं बिल्कुल अपर्याप्त हैं ।

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में अधिक कालेज खोलने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो वे किन किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं। लड़कों के लिए सायंकालीन कक्षाओं वाला एक कालेज और लड़कियों के लिए एक कालेज, इस प्रकार इस क्षेत्र में दो कालेज हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्यम तथा कम आय वाले लोगों को भवन निर्माण सामग्री

3472. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) इस दृष्टि में क्या सरकार कम से कम मध्यम तथा कम आय वाले लोगों के लिए तो भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, कुछ सीमा तक ।

(ख) तथा (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं कालेज पुस्तकालय कर्मचारी संगठन संघ की मांगें

3473. **श्री सरजू पांडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं कालेज पुस्तकालय कर्मचारी संगठन संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 जून, को "काला दिवस" मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) 1 जून, 1974 को "काला दिवस" मनाने के बारे में संघ के संयोजक द्वारा जारी की गई अपील की एक प्रतिलिपि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) संघ की मुख्य मांग, विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में समानता लाने के बारे में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय कर्मचारियों (विश्वविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्ष, उप-पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक और कालेजों के (पुस्तकाध्यक्ष) के वेतनमानों को परिशोधित करने के बारे में की गई सिफारिशों की सरकार जांच पड़ताल कर रही है।

शिशु कल्याण कार्यक्रम के बजट में कटौती

3474. **श्री सरजू पांडे: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिशु कल्याण कार्यक्रम के बजट में कटौती करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) और (ख) समाज कल्याण विभाग के योजना बजट का, जिसमें बाल कल्याण कार्यक्रम बजट भी शामिल है, पुनर्विलोकन हो रहा है और अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है:

उचित मूल्य की दुकान संख्या 4688 पर राशन की वस्तुओं का उपलब्ध न होना

3475. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 26 जून, 1974 के दिल्ली से प्रकाशित एक हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें उचित मूल्य की दूकान संख्या 4688 पर 6 जून से और उसके बाद राशन की वस्तुएं उपलब्ध न होने के बारे में शिकायत की गई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है, और

(ग) प्राधिकारियों से राशन सामग्री न प्राप्त करने के लिए दुकानदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उचित मूल्य की दुकान नं. 4688 की 29-5-74 को जांच-पड़ताल की गई थी और कुछेक अनियमितताएं पायी गई थीं और उचित मूल्य की दुकान 2 जुलाई 1974 को बन्द कर दी गई थी। दिल्ली प्रशासन ने यह भी बताया कि है उचित मूल्य की दुकान के मालिक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। उक्त उचित मूल्य की दुकान के बन्द होने से उस दुकान के खाद्यकार्डों को निकटवर्ती उचित मूल्य की दुकानों का आन्तरित कर दिया गया है ताकि कार्डधारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हरिजनों को भूमि का वितरण

3476. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में हरिजनों को भूमि का वितरण करने तथा उन्हें उनको देय सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक तत्संबंधी प्रयासों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, और

(ग) इस दिशा में और आगे क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8286/74]**

गेहूं तथा धान के उत्पादन का लक्ष्य

3477. **श्री अर्जुन सेठी** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के लिए गेहूं तथा धान के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या मानसून के देर से आने के कारण इस वर्ष खरीफ की भारी फसल होने की आशायें धूमिल हो गई हैं; और

(ग) उर्वरकों की कमी तथा उनके मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) योजना आयोग ने वर्ष 1974-75 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए 1180 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया है । किन्तु फसलवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ख) इस वर्ष देश के अधिकांश भागों में मौनसून लगभग 2-3 सप्ताह देर से आई और जून के अन्त तक यह कमी बनी रही। किन्तु इसके बाद अच्छी वर्षा होने के कारण देश के विभिन्न भागों में व्यापक बुवाई कार्यों में बड़ी सहायता मिली है । इस समय खरीफ की फसलों की बुवाई पूरी होने वाली है, अतः अभी उत्पादन के बारे में कुछ भी बताना कठिन है ।

(ग) सरकार उर्वरकों की जरूरत और उनके उत्पादन के अन्तर को यथा संभव कम करने के लिए पूरी कोशिश करती रही है। खपत के मौसम से काफी पहले विदेशों से उर्वरक खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर दी गई है। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधि में उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन ठेके करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। साथ ही साथ देशीय उर्वरक निर्माण क्षमता को अधिकाधिक उपयोग में लाने के सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। देशीय उत्पादन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने के लिए उच्च स्तर पर आवधिक पुनरीक्षण किए जाते हैं। उर्वरक को समय पर खपत के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है। उपलब्ध उर्वरकों का उत्तम ढंग से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे वितरण के मामले में प्राथमिकता निश्चित करें और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रचार करें। रासायनिक उर्वरकों को अनूपूरित करने और खपतवार नियंत्रण के उपायों को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी तथा ग्रामीण खाद के संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया है।

Central School in Ratlam

3478. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Central Government employees of Ratlam made a demand for opening a Kendriya Vidyalaya (Central School) there; and

(b) if so, the steps taken by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

गोआ के गैर-सरकारी जहाज-संचालकों के कृत्य

3479. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के लिए काम करने वाले गोआ के जहाज-संचालकों के कृत्य क्या-क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय पोत वणिक जिसमें गोआ प्राइवेट पोत वणिक भी शामिल है का काम विदेशों को माल निर्यात करना है । सरकार पोत वणिकों को उनके निर्यात कार्य में प्रोत्साहन देती है और सहायता करती है ।

बारानी सिंचाई संयंत्रों की स्थापना तथा भूमिगत जल क्षमता का लाभ उठाना

3480. **श्री जी० वाई० कृष्णन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य संतुलन को डगमगाने से रोकने के लिए बारानी सिंचाई संयंत्र स्थापित करने तथा देश में भूमिगत जल क्षमता का लाभ उठाने के एक लम्बी अवधि के कार्यक्रम सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सतही तथा भूमिगत जल संसाधनों से शुष्क क्षेत्रों में सिचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अधिकाधिक प्रयास किये जा रहे हैं, बशर्ते कि क्षेत्रीय संभाव्यतायें अनुकूल हो तथा क्षेत्र और वित्तीय तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सिंचाई विकास के लिए 4635.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इसमें से 3172.55 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र से और 1462.50 करोड़ रुपये संस्थागत स्रोतों से प्राप्त होंगे । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 187 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। सिंचाई योजनाएं इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग हैं।

31 LSS/74—5

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सतही जल संसाधनों से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र 269 लाख हैक्टार से बढ़ाकर 335.8 लाख हैक्टार और भूमिगत जल संसाधनों से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र 160 लाख हैक्टार से बढ़ाकर 205 लाख हैक्टार हो जाने की संभावना है।

जबलपुर सैनिक डेरी फार्म में पशु-रोग

3481. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री एम०एस० पुरती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर स्थित सैनिक डेरी फार्म में पशु प्लेग नामक एक गंभीर पशु-महामारी फैल जाने के फलस्वरूप भारी संख्या में पशु मारे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने पशु मर गये और उस क्षेत्र में पशुओं की जानें बचाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) मई, 1974 में पशु प्लेग के फूट पड़ने से मिलिट्री फार्म, जबलपुर में 193 पशुओं की मृत्यु हो गई थी। ज्योंही निरोधक औषध संस्थान, भोपाल द्वारा रोग की पुष्टि होते ही मिलिट्री फार्म में सभी पशुओं को सीरम दिया गया और पशु प्लेग रोधी इंजेक्शन लगाए गए।

इस रोग पर काबू पाने के लिये पशुचिकित्सा विभाग ने जबलपुर कस्बे में 16729 निरोधक टीके लगाए हैं। जबलपुर के क्षेत्र में 5 पशुओं की मृत्यु होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

चपाती बनाने वाली मशीन

3482. **श्री गजाधर मांझी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ होटेल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग ने सुझाव दिया है कि कृषि मंत्रालय उनको मैक्सिकन टोरटिल्ली (चपाती) बनाने वाली मशीन को भारतीय सेना को सौंप देने की अनुमति दे ताकि वह बड़े पैमाने पर चपातियां तैयार कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस से क्या लाभ होगा तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तक्षेत्रीय व्यापार का संवर्द्धन

3483. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री गजाधर माझी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार के संवर्द्धन हेतु दक्षिण पूर्व एशिया में इण्डियन लाइन्स सहित अन्तर्क्षेत्रीय नौवहन सम्मेलनों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिये क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) क्या अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार हेतु भारत तथा दक्षिण पूर्वी देशों द्वारा एशियाई विकास बैंक एवं विश्व बैंक की सहायता से जहाज खरीदने की संभाव्यता की जांच की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार, शिपिंग कांफ्रेंसों के निर्माण से सीधे संबंधित नहीं है। ऐसी कांफ्रेंसें, किसी विशेष व्यापार के लिए चल रही शिपिंग कम्पनियों लाइनों द्वारा आमतौर पर बनाई जाती है। परन्तु सरकार, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के वहन के लिए वहां भारतीय लाइनों सहित क्षेत्रीय शिपिंग कांफ्रेंसों के निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन करती है। भारत बंगला देश-श्रीलंका-बर्मा कांफ्रेंस का निर्माण किया गया और जनवरी, 1974 में ढाका में उसका उद्घाटन किया गया। इसमें भारत, अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की शिपिंग कम्पनियां और एक ब्रिटिश कम्पनी शामिल है।

(ख) सरकार जहाजों को सीधे नहीं खरीदती। किसी भी नौवहन कम्पनी ने अभी तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जिसमें अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार के लिए जहाजों की खरीद के लिये एशियन विकास बैंक या विश्व बैंक से सहायता मांगी गई हो। इस प्रकार इस प्रयोजन के लिए ऋण सहायता प्राप्त करने की संभावना का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सभी पत्तनों को तटीय राजपथ से जोड़ना

3484. **श्री सी० कें० जाफर शरीफ़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सभी पत्तनों को तटीय राजपथ से जोड़ने के लिये एक वृहत् योजना तैयार की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त योजना की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार को पूरी सहायता देना स्वीकार किया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) संवैधानिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित सड़कों के लिये उत्तरदायी है। राज्य में राज मार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कों से मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का संबंध है। भारत सरकार को कर्नाटक सरकार द्वारा इस विषय पर तैयार किये गये किसी मास्टर प्लान की सूचना नहीं है परन्तु जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रश्न है राज्य में पहले से ही (राष्ट्रीय राजमार्ग 17 है)। जो कि समुद्र तट के किनारे-किनारे राज्य के विभिन्न भागों को जोड़ता है। भारत सरकार राजमार्गों की विकास तथा रखरखाव की संपूर्ण लागत वहन करती है।

दिल्ली के स्कूलों के एस० वी० शिक्षकों का अभ्यावेदन

3485. **श्री टी० सोहन लाल** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में काम कर रहे एस० बी० शिक्षकों का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या कुछ संसद सदस्यों और दिल्ली की महानगर परिषद् के एक सदस्य ने भी उन्हें एक ज्ञापन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री **(प्रो० डी० पी० यादव)** :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामले पर दिल्ली प्रशासन के परामर्श से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

थोक व्यापारियों तथा परचुन व्यापारियों द्वारा किया जा रहा धान/चावल का व्यापार

3486. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय थोक व्यापारियों द्वारा (क) प्रत्येक राज्य के भीतर ही तथा (ख) प्रत्येक राज्य के बाहर धान चावल का कितनी मात्रा में व्यापार किया जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है और उन के व्यापार क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ख) धान/चावल का परचून व्यापार करने वालों पर किस प्रकार का तथा किस सीमा तक नियंत्रण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ('श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में खाद्यान्न की उगाही का बढ़ाया जाना

3487. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकतम वसूली के लिये कर्नाटक राज्य में लागू खाद्यान्न की उगाही की वर्तमान प्रतिशतता को नई व्यवस्था के अनुसार अधिकतम वसूली के लिये कितने प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक समझती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : कर्नाटक सरकार ने धान, ज्वार और रागी पर रकबे के आधार पर उत्पादक लेवी लगाई है। राज्य सरकार ने चावल मिल मालिकों पर भी लेवी लगाई थी जिसे जुलाई के पहले सप्ताह में उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के फैसलें के विरुद्ध अपील दायर कर रही है।

राज्य सरकार को आवश्यक रूप से निर्णय करना है कि खाद्यान्नों पर लेवी की प्रतिशतता में कोई वृद्धि की जानी चाहिए अथवा नहीं। कर्नाटक सरकार से इस संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वसूली के लिए धान/चावल के विशिष्ट विवरण

3488. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धान/चावल के वर्तमान विशिष्ट विवरण में सरकार का क्या परिवर्तन करने का विचार है ताकि नई व्यवस्था के अनुसार धान/चावल की वसूली की जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : धान चावल की अधिप्राप्ति की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनकी विनिष्टयों में कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

कर्नाटक में चावल मिलें

3489. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में पंजीकृत चावल मिलों, हुलर टाइप तथा अन्य चावल मिलों की संख्या कितनी है; और

(ख) कर्नाटक राज्य में बिना लाइसेंस के कितनी मिलें चल रही है और चावल मिलों तथा हुलरों पर नियंत्रण रखने की क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) 13-8-74 को पंजीकृत चावल मिलों को टाइपवार संख्या :—

1. एकल हुलर्स	6,820
2. हुलर्स तथा शेलर्स	188
3. शेलर्स . . .	904

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्वार्टर

3490. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात आवास बोर्ड ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये कुल क्वार्टरों का 15 प्रतिशत आरक्षित करने का निर्णय किया है;

(ख) इन समुदायों के लिये जिलावार कितने क्वार्टर नियत किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन समुदायों द्वारा जमा की जाने वाली राशि को भी कम किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात आवास बोर्ड द्वारा निम्न आय वर्ग आवास योजना तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित्त 10 प्र०श० मकान तथा औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत 5 प्र०श० मकान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) सूचना गुजरात सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने गुजरात आवास बोर्ड के उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है जिसमें उसने यह सिफारिश की थी कि निम्न तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित्त टेनमेंटों के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरंभिक जमा राशि 25 प्र०श० से घटा कर 10 प्र०श० कर दी जाये।

ट्रैक्टर के लिए डीजल

3491. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में डीजल के अभाव के कारण बेकार पड़े ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने किसानों को ट्रैक्टरों के लिये डीजल देकर कुछ प्रोत्साहन दिये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, किसी राज्य से डीजल के अभाव के कारण ट्रैक्टरों के बेकार रहने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे कृषि प्रयोजन के लिए कार्डों पर डीजल तेल सप्लाई करने के लिए विचार करें, ताकि व्यस्त मौसम के दौरान प्राथमिकता के आधार पर इसकी उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।

Inclusion of certain bridges in U.P. in the inter-state and Economic Development plan

3492. **Shri R.R. Sharma :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have sent proposals to the Government of India for inclusion of the works of construction of the Ganga bridge in Bijnour district, the Jamuna bridge on Fatehpur Banda Road and the Ken bridge at Banda in the Inter-State and economic development plan; and

(b) if so, the decisions taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) These proposals, along with similar proposals received from other States, all totalling to a heavy sum of about Rs. 365 crores have been noted for consideration while formulating proposals for assistance under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or Economic Importance during the Fifth Plan against a small tentative likely allocation of Rs. 30 crores keeping in view the finally available funds and the *inter-se* priority of individual proposals on an All India basis. Since the Fifth Plan detailed programmes are still in a preparatory state, it is not possible to indicate at this stage the extent to which the proposals of various State Governments, including Uttar Pradesh, would be finally approved.

Forest Research Centre in M.P.

3493. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government are considering the setting up of a Forest Research Centre in Madhya Pradesh;

(b) whether this demand has been made repeatedly; and

(c) if so, the reasons for not yet acceding to this demand ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) & (b) A Regional Forest Research Centre of Forest Research Institute, Dehra Dun has already been set up at Jablapur in Madyha Pradesh during the Fourth Five Year Plan.

(c) Does notarise.

Tour of Agricultural Prices Commission

3494. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state;

(a) the names of State toured by the Agricultural Prices Commission during 1972-73 and 1973-74 ;

(b) Whether the Commission has submitted a report separately to the Government on the production of various commodities and thier price in those State;

(c) Whether there are representatives of the farmers on the Commission; and

(d) if so, Whether they have expressed views different to that of other members ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb (P. Shinde): (a) Names of States visited by the Commission during 1972-73 and 1973-74 are as follows:—

1972-73	1973-74
West Bengal	Manarashtra
Maharashtra	West Benga'
Punjab	
Gujarat	
Uttar Pradesh	
Tamil Nadu	
Karnataka	

(b) No separate Reports for individual States are submitted by the Commission. However, observations of the Commission pertaining to production and prices for individual State, whenever considered necessary, are contained in its Reports on Price Policy for the different commodities submitted to the Government.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

वर्ष 1973-74 में मेघालय को आवंटित तोरिये का बीज

3495. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में मेघालय को 800 टन तोरिये का बीज आवंटित किया गया था;

(ख) क्या यह बीज सीधे मेघालय की राज्य सरकार को आबंटित किया गया था अथवा उसके द्वारा सिफारिश की गई किसी पार्टी को दिया गया था; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरा इस मामले की जांच कर रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Setting Up Sugar mill In Kayam Ganj, Farrukhabad (U.P.)

3496. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether a sugar mill is being set up in Kayam Ganj Tahsil in Farrukhabad district of Uttar Pradesh ;

(b) Whether the sugar-cane growers have been given any facility with a view to increasing sugar-cane production and to run the mill; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister Of State In The Ministry Of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) Yes, sir.

(b) & (c) : The information is being collected from the State Government and Will be placed on the Table of the House as soon as it is received.

New Sugar Mills in U.P. And M.P.

3497. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether in order to increase the production of sugar, Government have issued licences for the setting up of new sugar mills in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh of Government themselves propose to set up these mills; and

(b) if so, the number there of and the names of the places/areas where these mills will be set up ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) & (b) Yes, Sir. In 1974 licences have been granted for setting up of (i) 15 new sugar factories in Uttar Pradesh (14 in the cooperative sector and one in the public sector) and (ii) one new sugar factory in the cooperative section in Madhya Pradesh, at the following places :

Sl. No.	Location with District in bracket
UTTAR PRADESH	
1. Budaun (Budaun)	Co-operative Sector
2. Bellraien (Kheri)	,,
3. Gajraula (Moradabad)	,,
4. Tilhar (Shahjahanpur)	,,
5. Mohmoodabad (Sitapur)	,,
6. Nanpara (Bahraich)	,,
7. Budhpur Ramala(Meerut)	,,
8. Ghosi (Azamgarh)	,,
9. Bilaspur (Rampur)	,,
10. Narehi (Nanital)	,,

1	
11. Akbarpur (Faizabad)	Cooperative Sector
12. Between Manipuri & Bhongaon (Mainpuri	"
13. Bisalpur (Pilibhit)	"
14. Nanuta (Saharanpur)	"
15. Daryapur (Rai-Bareli)	Public-Sector
MADHYA PRADESH:	
1. Barlai (Indore)	Co-operative Sector

मध्य प्रदेश के लिये चावल और गेहूं का कोटा

3499. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य ने चावल और गेहूं के अधिक कोटे के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को संशोधित कोटे के रूप में कितना खाद्यान्न जारी करने के लिए सरकार सहमत हो गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

मध्य प्रदेश चावल की दृष्टि से अधिशेष राज्य है और उनसे चावल के आवंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य गेहूं की दृष्टि से भी सीमान्त अधिशेष है। क्योंकि गेहूं की संशोधित नीति के अधीन गेहूं खुले बाजार में उपलब्ध था इसलिए जून, 1974 के लिए राज्य को गेहूं का कोई आवंटन नहीं किया गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर जून, 1974 मास के लिए राज्य को 2.0 हजार मी० टन माइलों का आवंटन किया गया था। जुलाई और अगस्त, 1974 के प्रत्येक मास के लिए 3000 मी० टन गेहूं और 2000 मी० टन माइलों आवंटित की गई है।

विश्वविद्यालय और कालेज डिमान्स्ट्रेटरों के वेतनमान

3500. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के प्रशासन संबंधी सेन समिति ने डिमान्स्ट्रेटरों और प्राध्यापकों को क्रमश: 300 रुपये और 400 रुपये का प्रारंभिक वेतन देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या डिमान्स्ट्रेटरों और समान ग्रेड की अन्य अर्हता अराजपत्रित वैज्ञानिक केन्द्रीय सेवाओं का वेतनमान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 550-900 रुपये किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों के डिमान्स्ट्रेटरों और प्राध्यापकों के बीच 200 रुपये का अन्तर पैदा करके विश्वविद्यालयों/कालिजों के डिमांस्ट्रेटरों को 500-900 रुपये का वेतनमान देने और केन्द्रीय वैज्ञानिक सेवाओं में डिमांस्ट्रेटर को दिए जा रहे वेतनमान से 50 रुपये कम देकर स्पष्ट भेदभाव करने का क्या औचित्य है; और

(घ) क्या सरकार को बिहार स्टेट डिमान्स्ट्रेटर्स एसोसियेशन और आन्ध्र स्टेट यूनियन और डिमान्स्ट्रेटर्स एसोसियेशन ने तीसरा संशोधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस०नुरूल हसन) : (क) विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभिशासन संबंधी समिति (सेन समिति) ने 'अध्यापक' नामक अपनी रिपोर्ट के दूसरे भाग में, अन्य बातों के साथ साथ सिफारिश की थी कि "विश्वविद्यालयों और काजेजों में ट्यूटरों और डिमान्स्ट्रेटरों की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान पदधारियों को 300-600 रुपये का संशोधित वेतनमान दे दिया जाए। किन्तु, उन्हें अपनी योग्यताएं सुधारने के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं ताकि वे अन्ततः प्राध्यापकों के रूप में नियुक्त हो सकें" उसी रिपोर्ट में, अवर स्नातक कालेजों के प्राध्यापकों के लिए 400-40-800-50-950-मूल्यांकन-50-1250 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की गई थी।

(ख) और (ग) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि उन गैर-राजपत्रित वैज्ञानिक कर्मचारियों को, जो 325-575 रु० के वर्तमान वेतनमान में थे, 550-900 रुपये का वेतनमान दे दिया जाए और उनकी भर्ती के लिए इस प्रकार योग्यताएं निर्धारित की जाएं : (क) एम० एस० सी० अथवा (ख) बी० ई० अथवा (ग) प्रथम श्रेणी में बी० एस० सी० (आनर्स) अथवा (घ) कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी० एस० सी० अथवा इंजीनियरी में डिप्लोमा और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। इसलिए, जो डिमान्स्ट्रेटर 250-400 रुपये के वेतनमान में हैं, उन्हें गैर-राजपत्रित वैज्ञानिक कर्मचारियों के समान वेतन देना न्यायसंगत नहीं है।

(घ) सरकार को, बिहार राज्य डिमान्स्ट्रेटर संघ से तीसरे संशोधित ज्ञापन तथा आन्ध्र प्रदेश के ट्यूटर व डिमान्स्ट्रेटर संघ से अभ्यावेदन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही अभ्यावेदन पहले भी प्राप्त हुए थे और डिमान्स्ट्रेटरों का वेतनमान संशोधित करते समय उन पर विचार किया गया था। डिमान्स्ट्रेटरों को पूरे वेतन के साथ अध्ययन छुट्टी देने, ताकि वे अपनी शैक्षिक योग्यता सुधार सकें और निर्धारित योग्यता वाले डिमान्स्ट्रेटरों को स्वतः प्राध्यापकों के रूप में खपाए जाने से संबंधित बिहार राज्य डिमान्स्ट्रेटर संघ की मांग राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों से संबंधित है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में काम कर रहे डिमांसट्रेटर

3501. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों और कालेजों में काम कर रहे डिमास्ट्रेटरों की योग्यता में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिश क्या है और इस बारे में तथा उनकी पदोन्नति करके उन्हें प्राध्यापकों के रूप में खपाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अभिशासन से संबंधित अपनी समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि मौजूदा अध्यापकों तथा डिमास्ट्रेटरों को अपनी योग्यता में सुधार करने की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए। ताकि अन्ततोगत्वा उन्हें प्राध्यापकों के रूप में नियुक्त किया जा सके। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा की जानी है।

शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान को वित्तीय सहायता

3502. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्थान को प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकारी धन के प्रभावी उपयोग का पता लगाने के लिए कभी इन संस्थानों के कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिए इन संस्थानों के कार्यकरण का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है कि जिस कार्य प्रयोजन से इनकी स्थापना की गई थी अथवा उन्हें जो कार्य सौंपे गए थे, उन्हें वे कहां तक पूरा कर रहे हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का संकलन किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) इन संस्थाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन आवश्यकता होने पर, समय समय पर पुनरीक्षण समितियों के जरिए किया जाता है। ऐसे कुछ संगठनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिनके संबंध में पुनरीक्षण समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया है, जिसके लिए किया गया था, अनुदान पाने वाली संस्थाओं को दिए गए अनुदान के बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। इन संस्थाओं को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा नामित किए गए व्यक्ति से लेखा परीक्षा भी कराना होता है।

विवरण

1. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
3. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
4. तीन राष्ट्रीय अकादमियां, अर्थात् साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी, नई दिल्ली।
5. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा।

6. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर।
7. खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
8. 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज।
9. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
10. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
11. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन

3503. श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :
श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीवों की समाप्ति को रोकने के लिए भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम को अभी तक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या नौ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वन्य जीव बोर्ड के अनुरोध के अनुसार, निषिद्ध स्थानों में शिकार के माध्यम से वन्य जीव के अन्धाधुन्ध विनाश के विरुद्ध कानून को समुचित रूप से लागू करने के लिए क्या तत्कालिक उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (घ) कुछ राज्यों में (जहां यह अधिनियम लागू किया गया है) अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिये अभी संरक्षण संबंधी पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं। तथापि, इन राज्यों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके संरक्षण कार्य को तेज किया जा रहा है। संरक्षण संबंधी कर्मचारियों की सहायता से जंगल से चोरी से शिकार खेलने, जानवरों को अवैधानिक रूप से पकड़ने एवं उनका विक्रय करने आदि पर गहरी निगाह रखी जा रही है और अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ख) अभी तक आठ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं किये हैं।

(ग) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिलासपुर, मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास एजेन्सियों के कार्यकरण सम्बन्धी समिति

3504. श्री भगतराम राजाराम मनहर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर, मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास एजेंसियों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए सरकार का विचार एक समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और उनकी निदेश-पद क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एल्लपि और पणजी में जहाज निर्माण सुविधाएं

3505. **श्री क्यालार रवि :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भगवती समिति ने यह सिफारिश की है कि आधुनिक उपकरणों की स्थापना करके एल्लपि और पणजी स्थित सरकारी वर्कशापों में जहाज निर्माण सुविधाओं में सुधार किया जाए, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी), (क) जी हां ।

(ख) एल्लपी में पोत निर्माण सुविधाओं के लिए केरल सरकार ने लगभग 18 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक योजना प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है । बेटिम तथा पानाजी में समुद्री कार्यशाला के विस्तार के लिये अस्थायी रूप से 14 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इस सम्बन्ध में गोआ, दमन और दीव सरकार से अभी विस्तृत योजना की प्रतीक्षा है ।

भारत के नाविकों को नैमित्तिक नियुक्ति को समाप्त करना

3506. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारत के नाविकों की नैमित्तिक नियुक्ति को समाप्त करने और उनकी बेरोजगारी के दौरान उन्हें मजूरी की अदायगी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : जी नहीं ।

नाविकों का रोजगार समाप्त होना

3507. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आठ वर्षों के चिकित्सा की दृष्टि से सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के बावजूद कभी कभी की जाने वाली कम्पनी की चिकित्सा परीक्षा के कारण भारत के नाविकों का रोजगार समाप्त होने को मंत्रालय ने मंजूरी दी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) कम्पनी की डाक्टरी जांच के कारण भारत के नाविकों का रोजगार समाप्त नहीं होता क्योंकि कम्पनी के डाक्टर ने जिस नाविक को शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किया हो उसके स्थान पर दूसरे भारतीय नाविक को रखा जाता है जिसे कम्पनी के डाक्टर ने शारीरिक रूप से योग्य घोषित किया हो । इससे केवल उस नाविक की नौकरी समाप्त होती है जिसे डाक्टरी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता और शारीरिक रूप से योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता ।

नाविकों के वेतन

3508. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के नाविकों के पदनामों में केवल परिवर्तन करके उनके वेतनों में कमी/कटौती कर दी गई है जबकि उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व बदले नहीं गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) जी नहीं।

कलकत्ता पत्तन में हड़ताल

3509. **श्री मोहम्मद इस्माइल: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को पोर्ट डाकसीमेन्स संग्रामी मोर्चा द्वारा अपनी पचास मांगें पूरी करवाने के लिए 10 मई, 1974 को कलकत्ता पत्तन में की गई सांकेतिक हड़ताल की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) 50 में से 35 मांगें, कलकत्ता के पत्तन और गोदी कर्मचारियों की थी। सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता ने मांगों के समझौते का मामला अपने हाथ में लिया, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। समझौता रिपोर्ट की विफलता के कारणों की जांच के बाद श्रम मंत्रालय ने पक्षों को सूचित किया कि कोई भी मांग मध्यस्थता के योग्य नहीं है शेष 15 मांगें, भारतीय नाविकों की मजदूरी और अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित है जिनके बारे में बातचीत और निपटारा राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड में किया जाता है, जो कि एक द्विपक्षीय संस्था है जिसमें जहाज मालिकों और नाविकों के प्रतिनिधि होते हैं। सरकार को राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड में सहयोगी नहीं बनाया जाता।

गोदी श्रमिक

3510. **श्री मोहम्मद इस्माइल: क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई कारण बताये बिना और अथवा बचाव का कोई मौका दिये बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने/उसकी सेवा समाप्त करने सम्बन्धी कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के प्रधान और कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को प्राप्त अधिकार न्यायोचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें इस प्रकार बर्खास्त कर दिया गया अथवा जिनकी सेवाएं इस प्रकार समाप्त कर दी गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सम्भवतया प्रश्न अध्यक्ष कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड से सम्बन्धित है जो कलकत्ता पत्तन आयुक्तों का अध्यक्ष भी है। उन्हें कारण बताए बिना और/अथवा बचाव का मौका दिये बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या उसकी सेवा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नाविकों के लिए मैनिंग स्केल

3511. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज के टन भार के आधार पर नाविकों के लिये मैनिंग स्केल के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्केल क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जहाजों की टन भार क्षमता के आधार पर नाविकों के कोई भी मेनिंग स्केल अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बेपोर पत्तन के विकास कार्य के निर्माण कार्य में विलम्ब

3512. **श्री वयालार रवि** :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बेपोर पत्तन परियोजना को कम धनराशि का नियतन करने की वजह से बेपोर पत्तन का विकास कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है और उसमें विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और सरकार के नवीनतम अनुमानों के अनुसार इस परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 111.96 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बेपुर पत्तन का विकास चौथी योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में से एक योजना थी । 1972-73 में राज्य सरकार ने लगभग 4 लाख रुपये का व्यय सूचित किया था जिसे केन्द्रीय सरकार ने ऋण सहायता के रूप में नियुक्ति किया। 1973-74 में राज्य सरकार ने नवम्बर, 1973 के अन्त तक लगभग 2 लाख रुपये का व्यय सूचित किया था, उन्होंने यह भी बताया था भारत सरकार के निकर्षक का किराया चुकाने के लिये 11 लाख रुपये के बिल चुकाने बाकी हैं । इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने 6 लाख रुपये की ऋण सहायता निर्मुक्त की, वित्तीय कठिनाई के कारण आवंटन में कमी कर देने से और धन निर्मुक्त नहीं किया जा सका । परन्तु, परियोजना के अनुमान में केवल निकर्षण कार्य के लिये 68.70 लाख रुपये शामिल थे जिसमें से भारत सरकार के निकर्षक ने राज्य सरकार द्वारा अदायगी की प्रत्याशा में मई, 1974 तक 46 लाख से अधिक की कीमत का निकर्षण कार्य कर दिया था जब उन्होंने सूचित किया कि उन्हें अब निकर्षण की आवश्यकता नहीं है । केरल सरकार ने सूचित किया है कि वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य पूरा होने की अन्तिम तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

कपूरथला प्लाट

3513. **श्री वयालार रवि : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपूरथला प्लाट को खाली कराने और उसे केरल सरकार को सौंपने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इस कार्य को तीव्र गति से करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) कपूरथला प्लाट से पुलिस फोर्स को स्थानान्तरण करने के लिए वैकल्पिक आवास ढूंढने के अब तक किए गये प्रयत्न सफल सिद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि इस प्रयोजन के लिए कोई भी उपयुक्त प्लाट/आवास उपलब्ध नहीं हो सका है ।

पुलिस फोर्स को यथा शीघ्र स्थानान्तरण करने के लिए प्रयत्न जारी रखे जा रहे हैं ।

भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लेखे की परीक्षा

3514. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी०ए० स्वामिनाथन् :

श्री सी० जनार्दन :

श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने पहली बार भारतीय खाद्य निगम के लेखे की परीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में अनेक आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं और धोखा-धड़ी, अपव्यय और लापरवाही के अनेक मामलों पर प्रकाश डाला है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां । निदेशक, लेखा परीक्षा (लेखा) ने भारतीय खाद्य निगम के लेखों की लेखा-परीक्षा करते समय कुछ लेखा-आपत्ति-आलेखों को वास्तविक जांच तथा टिप्पणी के लिए भेजा है । भारतीय खाद्य निगम उन पर विचार कर रहा है ।

चीनी कारखानों की स्थापना के लिए गुजरात को लाइसेंस देना

3515. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में 19 चीनी कारखानों की स्थापना करने के लिए गुजरात राज्य सहकारी खांड उद्योग संघ लि० को लाइसेंस देने के लिए सहकारी चीनी कारखानों सम्बन्धी राज्य स्तर समिति ने कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) कृषि मंत्रालय में ऐसा कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेनामी भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए कानूनी उपाय

3516. श्री समर गुह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किये गये भूमि कानूनों में अनेक त्रुटियां होने के कारण 'बेनामी भूमि' का अधिग्रहण अनियंत्रित रहा;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि की अधिकतम स्थिति सम्बन्धी कानूनों विशेषकर भूमिधारियों द्वारा 'बेनामी' भूमि रखने सम्बन्धी कानून का उल्लंघन रोकने हेतु सभी राज्यों के हित में एक आदर्श कानून बनाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) कानून से बचकर भी बेनामी भूमि का उतना ही अधिग्रहण हो सकता है जितना कानूनों का दोषपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन करने से ।

(ख) तथा (ग) देश के विभिन्न भागों में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और भूमि एवं व्यक्तियों के सम्बन्धों में व्यापक विषमता होने के कारण कोई भी आदर्श कानून उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । तथापि, भारत सरकार द्वारा कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे जोतो की अधिकतम सीमा के निर्धारण में असली हस्तान्तरणों के मामलों के सिवाय पहले किये गये हस्तान्तरणों को अमान्य घोषित करने के लिये कानून बनाए ।

बैजनाथ हायर सैकेण्डरी स्कूल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की शिकायतें

3517. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैजनाथ हायर सेकेण्डरी स्कूल, ईश्वर नगर, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को दूर कराने और विभिन्न कदाचारों के बारे में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली को अत्यधिक अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और ये शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों का पता लगाने और उक्त स्कूल के प्रशासन को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

31—LSS/74—6

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)
(क) स्कूल क कर्मचारियों से कुछ शिकायतें मिली थीं ।

(ख) शिकायतें इस प्रकार हैं :—

(1) कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने, स्कूल के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्ध द्वारा अपना हिस्सा जमा न कराए जाने आदि के बारे में अध्यापक संघ के कर्मचारी सचिव से प्राप्त अभ्यावेदन ।

(2) श्री बाबू लाल का अभ्यावेदन, जो कि स्कूल में झाड़ूकश के रूप में उनकी नियुक्ति को नियमित करने के बारे में था ।

(3) श्री निरंजन लाल का अभ्यावेदन, जो कि उन्हें देय बकाया राशि के न दिए जाने के बारे में था ।

(ग) उप शिक्षा निदेशक (दक्षिण) तथा बैजनाथ उच्चतर माध्यमिक स्कूल नई दिल्ली के प्रबन्धक के बीच कई बैठकें हुई तथा प्रबन्धक को मामलों को निपटाने की सलाह दी गई थी । ऊपर बताए गए लगभग सभी विवादों का अब निपटान हो चुका है ।

Remains found in Azad Nagar (Indore)

3518. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether along with the remains of stone and coper ages, the remains of several other civilisations have been found during the excavation of a mount, carried out under the supervision of the Archaeological Department in Azadnagar, Indore (M.P.) in January, 1974; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nural Hasan) : (a) & (b) : The site was excavated by the Department of Archaeology, Government of Madhya Pradesh, in collaboration with the Vikram University, Ujjain. The excavation brought to light a succession of three cultural Periods, extending from *Circa* 2100 B.C. to A.D. 200. of these the earlier two Periods belonged to the Chalcolithic and the last to the early histrorical period. The date for the begining of the Chalcolithic culture is based on radio carbon determination of samples from Kayatha, a site near Ujjain in Madhya Pradesh to which the present site is culturally related.

Idol of King Bhoj of Dharnagar (M.P.)

3519. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the idol of King Bhoj of Dharnagar of Madhya Pradesh is possession of the Archaeological Museum London; and

(b) if so, the action taken so far or propose to be taken in future to bring it back to India ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Foodgrains to Gujrat

3520. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the quantity of foodgrains sent so far to Gujarat after it came under President's rule indicating the varieties of foodgrains and the qualitity thereof, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : The quantities of foodgrains supplied to Gujarat from February, 1974 are as follows :

	(In thousand tonnes) Rice	Wheat	Coarse grains
February, 1974	2.0	29.9	19.8
March, 1974	2.0	30.4	23.9
April, 1974	2.0	30.8	20.2
May, 1974	2.0	30.2	20.0
June, 1974	2.0	30.0	24.0
July, 1974	3.0	28.0	9.2
August, 1974*	3.0	28.0	20.0

(*Allotment)

कोयला परिवहन के ढांचे का पुनर्गठित किया जाना

3521. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कोयला परिवहन के ढांचे का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नये ढांचे में वर्तमान 400 से अधिक लदान केन्द्रों को घटा कर लगभग 120 करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) कोयले की ढुलाई के युक्तिकरण के प्रयोजन के लिये रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने अध्ययन दलों का गठन किया है । इनमें से एक अध्ययन दल ने बंगाल, बिहार के कोयले की खानों में मौजूदा लदान स्थानों को 352 से घटाकर 81 करने का सुझाव दिया है ।

राज्यों में लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजना

3523 **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में विद्यमान लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनाएं सफलता प्राप्त कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें छोटे किसानों की संख्या सर्वाधिक है;

(ग) क्या जिन राज्यों में छोटे किसानों की संख्या सर्वाधिक है उनको सर्वाधिक परियोजनाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजनायें, जो विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के कमजोर वर्गों के लाभ के विशेष कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में स्थापित की गई हैं, महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं, यद्यपि सभी परियोजनाओं में कार्य एक सा नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) संलग्न विवरण में 1971 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा निकाली गई 2 हेक्टेयर तक के कृषकों और कृषि श्रमिकों की राज्यवार संख्या दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8287/74] । विवरण के कालम 3 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सिफारिश की गई और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरण एककों का आवंटन दिया गया है । यह देखा जा सकता है कि 2 हेक्टेयर तक के कृषकों और कृषि श्रमिकों की तुलनात्मक जनसंख्या आम तौर पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित किये गये एककों की संख्या में प्रतिबिम्बित होती है । इन आवंटनों में चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई वर्तमान लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनायें शामिल हैं ।

2500th Nirvan Anniversary of Lord Mahavira

3524. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been chalked out to observe the 250th Nirvan anniversary of Lord Mahavira ;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) who has formulated this scheme and whether any committee has been set up for the purpose; and

(d) the expenditure proposed to be incurred on it by the Central Government indicating the heads on which the money will be spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : A National Committee has been set up to formulate suitable programme for the celebrations and the Committee, *inter alia* recommended the following major programmes:—

(i) Development of a "Vanasthali" in Delhi.

(ii) Setting up of a museum and a library of Jain art and literature ;

(iii) Establishment of Childern's recreational centres and Rural Library Cen tres in different States;

(iv) Establishment of a monument at Vaishali ;

(v) Establishment of a National Council of Jainological Studies and Research as an 'autonomous body; and

(vi) Publication of literature relevant to the occasion.

(d) A total allocation of Rs. 50 Lakhs is envisaged but detailed programmes and their individual financial implications are being worked out.

महाराष्ट्र में लघु मत्स्य-ग्रहण पत्तन

3525. श्री शंकर राव सावन्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना की अवधि में महाराष्ट्र में लघु मत्स्य-ग्रहण पत्तनों का सुधार करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना में मछली पकड़ने के प्रमुख बन्दरगाहों के अलावा, अन्य मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास के लिये कुल 12.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना की कुल उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए देश भर में उपयुक्त स्थानों का चयन करने का विचार है। मीन-ग्रहण कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति एवं प्रति इकाई विनियोजन से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ के सम्बन्ध में जानकारी भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि महाराष्ट्र के समुद्री किनारे पर नौकाओं के ठहरने व माल को उतारने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुए विभिन्न प्रस्तावों की लागत तथा लाभ का अनुमान लगाया जा सके। अभी यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में विद्यार्थियों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर कापियों की बिक्री

3526. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापियों के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने दिल्ली में स्कूलों के विद्यार्थियों को राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर कापियां बेचने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) जी, हां।

(ख) जुलाई-अगस्त, 1974 में, कागज उद्योग की संयुक्त समिति ने, औद्योगिक विकास मंत्रालय और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की सलाह पर दिल्ली प्रशासन को, रियायती दरों पर कापियों के लिए 740 टन कागज जारी किया है। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन को अगस्त और सितम्बर, 1974 के दौरान देने के लिए कापियों के वास्ते 150 टन कागज का और कोटा आबंटित किया है। कागज के उचित वितरण के उद्देश्य से, दिल्ली प्रशासन ने एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है। कापी-निर्माताओं को कागज का आवंटन कर दिया गया है तथा निकट भविष्य में ही बाजार में कापियां उपलब्ध हो जाएंगी। निर्माता कापियों के आवरण पृष्ठ पर उसका विक्रय मूल्य, आकार तथा पृष्ठों की संख्या छापेगा। यह तथ्य कि ये कापियां, भारत सरकार द्वारा उचित दर पर दिए गए कागज से बनाई गई हैं। आवरण पर भी हिन्दी में लिखा होगा

'सोफ्ट' जल के प्रयोग के बुरे प्रभाव

3527. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने 'सौफ्ट' जल के प्रयोग के बुरे प्रभावों की जांच की है जैसा कि दिनांक 28 जून, 1974 के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित एक समाचार में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये अध्ययन के क्या परिणाम रहे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली की अनाज मंडियों में गेहूं उपलब्ध न होना

3528. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनाज मंडियों से गेंहूं गायब हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार इस तथ्य से अवगत है कि फिलहाल, दिल्ली के खुले बाजारों में गेहूं कम मात्रा में उपलब्ध है। यह मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के अधिशेष राज्यों से व्यापार खाते का गेहूं का कम आयात होने के कारण हुआ है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किया गया व्यवसाय

3529. **श्री राजदेव सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने वर्ष 1973-74 में 8.5 करोड़ रुपये का रिकार्ड व्यवसाय किया, जो गत वर्ष के व्यवसाय से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी वर्षो में व्यवसाय की यही स्थिति बनाये रखी जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 31-3-1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम के अन्तरिम लाभ तथा हानि के लेखे अनुसार, निगम ने लगभग 8.50 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है जिसमें लगभग 8.37 करोड़ रुपये के सिविल निर्माण कार्य तथा लगभग 0.13 करोड़ रुपये की ईंटें तथा यांत्रिक ईंट भट्टे में बनाई जा रही अन्य वस्तुएं शामिल हैं। सिविल निर्माण कार्यो पर हुआ व्यवसाय गत वर्ष (1972-73) के 6.04 करोड़ रुपये के व्यवसाय की अपेक्षा लगभग 38 प्र० श० अधिक है।

(ख) निगम आने वाले वर्षो में मौजुदा प्रगति को बनाये रखने की आशा करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को सहायता

3530. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** 29 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उत्तर में उल्लिखित नियम बना लिए गए हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय की पात्रता के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक किए जाने का विचार है ; और

(ग) मिथिला विश्वविद्यालय से सम्बन्ध किन-किन कालेजों का विश्वविद्यालय अनुदान से वित्तीय सहायता दी जा रही है और इनमें से प्रत्येक कालेज को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) मामले की अभी जांच की जा रही है।

(ग) विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8288/74)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के एकुजीक्यूटिव इंजीनियर

3531. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1974 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में क्रमशः सिविल तथा इलैक्ट्रिकल, प्रथम श्रेणी के, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कितने थे ; और

(ख) इनमें से कितने इस ग्रेड में सात वर्षों, दस वर्षों तथा प्रन्द्रह वर्षों से अधिक समय से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक इंजीनियरों की संख्या (प्रतिनियुक्ति पर किये अधिकारियों सहित) 1-7-74 को इस प्रकार है :—

सिविल	विद्युत
359	83

(ख) ऐसे कार्यपालक इंजीनियरों की संख्या का एक विवरण-पत्र संलग्न है जो 7 वर्ष, 10 वर्ष तथा 15 वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	वर्ग	ऐसे कार्यपालक इंजीनियर जो 7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम अवधि में स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं।	ऐसे कार्यपालक इंजीनियर जो 10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम अवधि से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं।
1	2	3	4
1.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) . .	64	67
2.	कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) . .	17	10

15 वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न कार्यपालक इंजीनियर	
	5
1. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	37
2. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत)	1

टिप्पणी:--उपर्युक्त आंकड़ों में उन अधिकारियों की संख्या भी शामिल है जो अन्य विभागों आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के लिए सरकारी वाहन का आवंटन

3532. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ऐसे इंजीनियरों के 1 जुलाई, 1974 को कितने पद थे जो दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों के बाहय कार्यों के इंचार्ज है; और

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें बाहय सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए सरकारी बाहय आबंटित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 1-7-74 तक स्थिति इस प्रकार थी :—

वर्ग	पदों की संख्या
अधीक्षक इंजीनियर	35
कार्यपालक इंजीनियर . . .	158
सहायक इंजीनियर .	635
कनिष्ठ इंजीनियर	2970

(ख) आवश्यकता पर निर्भर करते हुए, कतिपय एककों को चाहे वे मंडल हो अथवा परिमंडल, सरकारी वाहनों की मंजूरी दी जाती है। ये वाहन सारे एकक के लिए होते हैं न कि किसी अधिकारी विशेष के लिए। तथापि, सरकारी ऐसे फील्ड अधिकारियों को सवारी भत्ता देती है जिनके अपने वाहन हैं तथा जो सरकारी प्रयोजनार्थ उनका प्रयोग करते हैं।

'साफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री' में फल उत्पाद आदेश को लागू करना

3533. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'साफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री' में फल उत्पाद आदेश लागू किया गया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कि बड़ी अथवा छोटी साफ्ट ड्रिंक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनियों द्वारा नकली जल न भरा जाये। दोबारा न भरा जाये; और

(ग) क्या इस इंडस्ट्री को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों से कोई रक्षण प्रदान किया गया है जहां फल उत्पाद आदेश लागू होता है, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फल उत्पाद आदेश के दायरे को 1-1-73 से मीठे वातित पेयों पर भी लागू कर दिया गया था।

(ख) फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंस शुदा यूनिटों से अपेक्षा की जाती है कि वे फल उत्पाद आदेश में निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही उत्पाद तैयार करें। इन उत्पादों के नमूनों की समय-समय पर जांच और उनका विश्लेषण किया जाता है।

(ग) फ० उ० आ० लाइसेंसधारियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन लाइसेंस लेने की छूट है।

दिल्ली में तम्बुओं में चलाए जा रहे स्कूल

3534. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक अथवा प्राथमिक स्कल हैं जो अभी तक तम्बुओं में चलाए जा रहे हैं और ये स्कूल किस वर्ष से तम्बुओं में चल रहे हैं;

(ख) दिल्ली में कौन-कौन से और कितने ऐसे स्कूल हैं जहां अब तक तम्बू भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जबकि स्कूल सत्र शुरू हो चुका है;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के क्या कारण हैं; और

(घ) जिन स्कूलों में अब तक तम्बू उपलब्ध नहीं कराए गए हैं उन स्कूलों में तम्बू उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और तम्बुओं में चलाए जा रहे स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित स्कूलों के संबन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। दिल्ली, नई दिल्ली के स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) दिल्ली प्रशासन (शिक्षा विभाग) द्वारा संचालित 30 राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा 14 मिडिल स्कूल इस समय तम्बुओं में चल रहे हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार है:—

राजकीय उ० मा० स्कूल		राजकीय मिडिल स्कूल	
1963	2	1972 . . .	1
1965 . .	2	1973	3
1970 .	7	1974	10
1971	3		
1972 .	3		14
1973 .	3		
1974	10		
	30		

उपरोक्त स्कूलों के अतिरिक्त 43 राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा 83 राजकीय मिडिल स्कूलों की कुछ कक्षाएं, उन स्कूलों के भवनों में पक्के कक्षा कमरों की कमी के कारण तम्बूओं में चलायी जाती हैं।

(ख) उन सभी स्कूलों में तम्बूओं की व्यवस्था की गई है जिनमें आवश्यकता थी।

(ग) उपर्युक्त (क) के निम्न प्रकार कारण हैं:—

(1) स्कूलों के भवनों के निर्माणार्थ सीमित संसाधन।

(2) नए भवनों के निर्माण पर भारत सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध ; और

(3) विधि न्यायालयों में अनिर्णित पड़े हुए मामले।

(घ) राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए पांच भवनों का निर्माण हो रहा है, उनमें से दो भवनों में, जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के वास्ते निमार्णाधीन है, तम्बुओं में चलने वाले दो स्कूल आ जाएंगें। भारत सरकार ने स्कूल भवनों के निर्माण पर 1 अगस्त, 1973 से प्रतिबन्ध लगा दिया है। तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा भारत सरकार से वर्ष 1974-75 के दौरान कम से कम 16 नए भवन और 125 कक्षा कमरों के निर्माणार्थ प्रतिबन्ध में अनुरोध किया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली परिवहन निगम को शिकायती 'सफर'

3535. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'डी० टी० सी० का शिकायती सफर' शीर्षक से 18 मई, 1974 के एक स्थानीय हिन्दी समाचार में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिकायत कर्ता से दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों ने बस की संख्या और दुर्घटना में सम्बन्धित कर्मचारी का बैज संख्या देने को कहा है ताकि वे मामले में जांच कर सकें।

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

3536. श्री ग्रम्बेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री 25 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के जिन 227 कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किए गए हैं उनके नाम, पद नाम, क्वार्टर संख्या क्या हैं तथा ये क्वार्टर किन स्थानों पर आवंटित किए गए हैं ;

(ख) उन रोगियों जिनके चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर उक्त आवंटन किए गए हैं, के नाम, आयु, बीमारी तथा सरकारी कर्मचारियों के साथ उनका सम्बन्ध क्या है;

(ग) क्या रोगी की मृत्यु हो जाने और बीमारी के ठीक हो जाने पर उक्त आवंटन रद्द किया जा सकता है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) ये ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि बहुत से मामलों में सम्बन्धित रिकार्ड बहुत पुराने हैं जिन पर बहुत समय तथा परिश्रम लगेगा।

(ग) तथा (घ) चिकित्सा आधार पर तदर्थ आवंटन विहित नियमों के अनुसार किए जाते हैं जिनमें आवंटन को रद्द करने की व्यवस्था नहीं है।

Likely loss in Paradip port

3537. Dr. Laxminarayan Pandeya :
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Jagannatharao Joshi :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a memorandum has been submitted by a Member, Utkal Pradesh Congress Committee in regard to the huge loss which is likely to be suffered on account of mismanagement and non-utilisation of capacity in the Paradeep Port : and

(b) if so, the facts thereof and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) :(a) & (b) : Government have not received any memorandum from the Utkal Pradesh Congress Committee. However, a memorandum was received from a Member of the Orissa Pradesh Congress Committee in this regard.

The Port is working at a loss at present. Its revenue deficit during each of the years 1972-73 and 1973-74 was about 3 corores, which is mainly due to increase in expenditure and the under-utilisation of port capacity. The folliwing steps have been/or are being taken to improve the situation :--

(i) Paradip Port Trust have approached the authorities concerned to ensure continuous supply of iron ore to the Port to enable it to fully utilise its plant capacity, Development of Port capacity to handle 4 to 5 million tonnes of iron ore in the Fifth Plan is envisaged.

(ii) Expenditure is proposed to be reduced on a mumber of items.

(iii) The scale of rates of the Port is being revised.

(iv) The General Cargo Berth under construction is likely to be completed by thet end of the year and after the commissioning of the General Cargo Berth, the Port is expected to build up general cargo of about 4 to 5 lakhs to nnes per annaum.

न्यू व्हीट सीड एज़ हौक्स

3538. **श्री धामनकर :**

श्री बसंत साठे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1974 के अंग्रेजी दैनिक में 'न्यू व्हीट सीड टर्म्ड एज होक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, इस मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुर, राजथान के गेहूं विशेषज्ञ द्वारा विकसित गेहूं की लाल बहादुर किस्म के संबन्ध में इंदौर में अगस्त, 1969 में आठवीं अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान कार्य-कर्ताओं की विचार गोष्ठी में विचार किया गया था और इसकी व्यापक अनुकूलता, विश्वसनीय एवं चमकीले दाने और अधिक उत्पादनशील होने के कारण इसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्मुक्त करने की सिफारिश की गई थी। परन्तु यह किस्म काला तथा भूरा किट्ट के लिए सामान्य रूप से तथा पीले किट्ट के लिए अधिक संवेदनशील है, अतः गोष्ठी ने सिफारिश की है कि यह किस्म किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं उगाई जानी चाहिए, जहां कि पीले किट्ट प्रबल रूप में मौजूद हों। इस किस्म को केन्द्रीय किस्म निर्मुक्ति समिति ने निर्मुक्त नहीं किया। राजस्थान के लिए इसे राज्य किस्म निर्मुक्ति समिति ने निर्मुक्त किया है। गेहूं उत्पादक के विरुद्ध आरोप लगाने के संबन्ध में राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

'टेट्रा पैक' में दूध की सप्लाई

3539. **श्री धामनकर**

श्री बसंत साठे

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को 'टेट्रापैक' में दूध सप्लाई करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या भारत में 'टेट्रापैक' के उत्पादन में कुछ बहु राष्ट्रीय निगमों बड़ी/फर्मों की रुचि है और तत्संबन्धी तथ्य क्या है ?

(ग) क्या सरकारी और गैर-सरकारी स्तरों पर सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि यह प्रस्ताव ठोस नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) भारत में दूध के लिए 'टेट्रापैक' डिब्बे बनाने के लिए भारतीय डेरी निगम का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस संबन्ध में मैसर्स 'टेट्रापैक' डिवलपमेंट लि०, स्वीडन के साथ सहयोग करने का विचार है, जिनको इस प्रक्रिया का एकस्व प्राप्त है । इस प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष की ओर सरकार का ध्यान गया है और इसकी जांच की जा रही है ।

Seminar on Food Problems at Hyderabad

3540. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Minister of State in the Ministery of Agriculture has stated in a seminar held in Hyderabad that the food problem of the country is likely to be solved with the foodgrain production in India together with import of some foodgrains from foreign countries ;

(b) whether it is the well-planned policy of Government to import foodgrains from foreign countries ; and

(c) if so, the reasons for not increasing the domestic foodgrains production adequately so as to eliminate the need to import foodgrains from foreign countries after about three decadees of India's independence ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : The Government policy aims at attaining self-sufficiency in food production. Measures have been adopted to increase the rate of growth output in the agriculutral sector. Imports are resorted to, to the extent considered aabsolutely necessary, for maintaining public distribution system and building up of a minimum reserved keeping in view the managemen of the present food economy in the country. The observation of the Minister of State in the ministry of Agriculture in the Seminar held at Hyderabad in June, 1974, were based on these considerations.

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो संख्या 171 और 172 का कार्यसंचरण

3541, श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दावे के बावजूद कि दिल्ली दुग्ध योजना लगभग शत प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रही है गत एक वर्ष से सभी दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं पर सभी टोकन धारियों के दूध के कोटे में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि गोल्फ लिंक्स में नई दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो संख्या 171 और 172 पर एक रुपया प्रति बोतल के हिसाब से दूध की बोतलों की बिक्री होती है तथा वहां निजामुद्दीन, लोदी रोड, बेलेंजली रोड से लोग बिना टोकन के दूध लेने आते हैं तथा वास्तविक टोकन धारियों को उनका कोटा नहीं मिल पाता है ।

(ग) इन दोनों डिपुओं पर मैनेजर/सहायक मैनेजर कब से कार्य कर रहे हैं और क्या इस क्षेत्र के ए० एम० डी० ओ० द्वारा इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है जो बिना टोकन वाले परिचित व्यक्तियों को दूध की चोर-बाजारी करते हैं ; और

(घ) इन दोनों डिपुओं, संख्या 171 और 172 पर दुग्ध वितरण सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री यो० यो० मौर्य) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रत्येक दुग्ध डिपो पर पंजीकृत टोकनों और समय समय पर डिपो एजेंट से प्राप्त मांग के आधार पर दुग्ध डिपुओं के माध्यम से दूध सप्लाई किया जाता है । मशीनों के बन्द हो जाने के कारण यदि आवश्यक हो तो सप्लाई में थोड़ी बहुत कमी की जाती है वरना सामान्य तौर पर उक्त आधार पर इन डिपुओं की आवश्यकता पूरी कर दी जाती है । दुग्ध डिपुओं पर प्रतिदिन की दूध की बिक्री का ब्यौरा भिन्न भिन्न है । कुछ डिपुओं को दूध की सप्लाई में जितनी कमी की जाती है, वह भी इसमें शामिल होती है । तीन बोतल दूध बिना कटौती के मिल जाता है परन्तु जिनके पास तीन से अधिक बोतलों के टोकन होते हैं, उनमें कटौती की जाती है ।

(ख) जी, नहीं । दिल्ली दुग्ध योजना को इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली ।

(ग) डीपो संख्या 171 में 1 फरवरी, 1973 और 1 अप्रैल, 1973 से डिपो एजेंट काम करते रहे हैं । डिपो एजेंट डिपो संख्या 172 में 22 मार्च, 1973 और 1 अप्रैल, 1973 से अपना काम कर रहे है । दिल्ली दुग्ध योजना के फील्ड आफिसर नियमित रुप से डिपुओं का निरीक्षण करते हैं और डिपो एजेंटों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं । यदि निरीक्षण अधिकारियों को किन्हीं कदाचारों का पता चले तो उपचारात्मक कार्यवाही अवश्य की जाती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी निरीक्षण अधिकारियों से कह दिया गया है कि वे डिपुओं के कार्यकरण पर पूरी नजर रखें ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्लाटों का आवंटन

3542. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को औद्योगिक प्लाटों के लिये गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने आवेदन पत्र मिले और कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय किया गया तथा इस अवधि में कितने आवेदकों को वास्तव में औद्योगिक प्लाट मिले ;

(ख) क्या सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी के बावजूद अनेक आवेदकों को तब तक प्लाट नहीं मिले जब तक उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को गलत तरीके से कुछ धनराशि नहीं दी और बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिन्हें पूरी राशि अदा करने के चार वर्ष बाद भी औद्योगिक प्लाटों का कब्जा नहीं मिला है ;

(ग) क्या कुछ मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवेदकों को 4 से 5 वर्ष के बाद बिना किसी प्लाट या उनकी धनराशि पर ब्याज दिये बिना पूरी धनराशि वापस कर दी है ; और

(घ) क्या आवेदकों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राधिकरण में इन सभी वर्षों में धनराशि पड़ी रहने के कारण प्लाट अपनी धनराशि पर ब्याज पाने का हक है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के लिये, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 80 आवेदन प्राप्त किये है, 1972, 1973 तथा 1974 में आवेदनों की संख्या क्रमश: 16, 25 तथा 39 है। इनमें से 41 आवेदकों को औद्योगिक प्लाट वस्तुत: आवंटित किये गये है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां कहीं आवेदक अपात्र पाये गये, धरोहर राशि लौटा दी गई थी।

(घ) आवेदन-पत्रों की शर्तों में, इस बारे में स्पष्ट शर्तों को देखते हुए, इन मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ब्याज देय नहीं है।

भूमि और विकास अधिकारी, दिल्ली के पास नामान्तरण के मामले

3543. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार भूमि और विकास अधिकारी, नई दिल्ली के कार्यालय में प्लाटों के स्वामित्व के नामांतरण के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा इस अवधि में वर्षवार कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया ;

(ख) कितने मामले तीन वर्ष और इससे अधिक समय से पुराने है तथा उनका अभी तक निपटान न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) वित्त और विधि मंत्रालयों को भेजे बिना नामांतरण के मामलों का शीघ्र जैसे कि एक वर्ष में निपटान कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क)

	गत वर्ष से लाये गये आवेदन	नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्तम्भ (1) तथा (2) का जोड़	निपटान
	1	2	3	4
1971	—	1,547	1,547	1,280
1972	267	1,329	1,596	1,391
1973	205	1,149	1,354	959

(ख) पांच। इन मामलों में नामांतरण निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जा सका :—

(i) पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघनों के कारण प्रश्नाधीन परिसर अन्त:प्रविष्ट हैं।

(ii) उप-विभाजन का मामला जिसकी अनुमति न तो पट्टा विलेख की शर्तों के अन्तर्गत है और न ही जोनल/बृहत योजना के अन्तर्गत।

(iii) पार्टियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को पेश नहीं करना।

(ग) सरकार ने "पट्टा धारियों के मार्ग दर्शन के लिये सूचना" नामक पुस्तिका पहले ही प्रकाशित की हुई है। पट्टाधारियों से आवेदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद उन्हें अपेक्षिताओं से अवगत करा दिया जाता है। सभी मामले वित्त तथा विधि मंत्रालयों को नहीं भेजे जाते सिवाय उन मामलों के जिनमें उनकी सलाह लेनी अनिवार्य होती है।

सर्वोदय एन्कलेव, दिल्ली में पेय जल की सप्लाई

3544. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या रिहायशी कालोनी सर्वोदय इन्क्लेव (महरौली के निकट) में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1971 और वर्ष 1972 में लोक सभा में मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न करने के क्या कारण है ; और

(ग) इस कालोनी की स्वच्छ जल की सप्लाई की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, कालोनी को स्वच्छ पेय जल नहीं दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) कालोनी में जल की व्यवस्था करने का कोई आश्वासन लोक सभा में नहीं दिया गया। कालोनी को स्वच्छ पेय जल केवल तभी दिया जा सकता है जब सेवाओं का कार्य दिल्ली नगर निगम संभाल ले और कालोनाइजर द्वारा कमी-प्रभार अदा कर दिये जाएं। इन प्रभारों की प्राप्ति न होने के कारण, निगम ने सेवाओं का कार्य अभी अपने हाथ में नहीं लिया है । कालोनी को जल सप्लाई करने का संबन्धित कार्य सितम्बर, 1974 तक तैयार होने की आशा है बशर्ते कि कालोनाइजर जल की लाइन बिछा दे ।

उड़ीसा में निम्न आय वर्ग के लिए मकान

3545. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये कितने मकानों का निर्माण किया गया है और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रदर्शनात्मक मकानों को बनाने की भी कोई योजना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न आय वर्ग आवास योजना, औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना और गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के अधीन कुल 6,490 मकानों का निर्माण किया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के ग्रामीण आवास खंडों ने, देश के विभिन्न भागों में 78 प्रादर्शनिक मकानों का निर्माण किया है जिनमें उड़ीसा में बने 2 मकान शामिल है । और अधिक प्रादर्शनिक मकानों के निर्माण की फिलहाल, कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली के व्यापारियों द्वारा गांवों में खाद्यान्नों की जमा खोरी

3547. **श्री भगत राम मनहर**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गांवों के बिना लाइसेंस वाले गोदामों में दिल्ली के व्यापारियों द्वारा खाद्यान्नों की जमाखोरी की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे जमाखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा सख्त प्रवर्तन उपाय करने के बावजूद, दिल्ली के गांवों में गैर लाइसेंसशुदा गोदामों में खाद्यान्नों की जमाखोरी को बिल्कुल समाप्त करने की कोई संभावना नहीं हो सकती है । तथापि, इस दिशा में बराबर जोरदार प्रयास किए जाते है और जहां कहीं आवश्यक होता है, जमाखोरों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

बसन्त बिहार गृह निर्माण सहकारी समिति

3548. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बसंत बिहार सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली में क्षेत्र के ऐसे सदस्यों के नाम और पते क्या हैं जो प्लाटों और मकानों के मालिक हैं तथा उन प्लाटों और मकानों का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) समिति की प्रतीक्षा सूची में कौन-कौन से व्यक्ति हैं तथा उनके पते क्या हैं;

(ग) इस कालोनी की समिति की भूमि का पंजीकरण तथा आवंटन कब किया गया और इसे कितनी भूमि दी गई; और

(घ) समिति के पदाधिकारियों तथा उसकी प्रबन्धक समिति के सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जैसे कि अनुलग्नक I में दिया है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 8289/74]।

(ग) पंजीकरण की तिथि	. .	1 नवम्बर, 1950
भूमि आवंटन की तिथि	. . .	22 जुलाई, 1963
आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	.	399 एकड़ (जिसमें शांति निकेतन का 67 एकड़ शामिल है) ।

(घ) जैसे कि अनुलग्नक II में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल०टी० 8289/74]।

महारानी बाग सहकारी गृह निर्माण समिति

3549. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महारानी बाग में सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली के ऐसे सदस्यों के नाम क्या हैं तथा प्लाटों/मकानों के क्षेत्रफल सहित इनके मालिकों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) समिति की प्रतीक्षा सूची में कौन-कौन से व्यक्ति हैं तथा उनके पते क्या हैं; और

(ग) इस समिति को भूमि का पजीकरण आवंटन कब किया गया, इसे कितनी भूमि दी गयी और समिति के पदाधिकारियों तथा उसकी प्रबन्धक समिति के सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक I में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 8290/74]।

(ग) पंजीकरण की तिथि . . .	19 अक्तूबर, 1957
भूमि के आवंटन की तिथि . .	1 फरवरी, 1962
भूमि का क्षेत्रफल . . .	293 बीघे, 15-1/2 बिस्वे

पदाधिकारियों तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम तथा पते अनुलग्नक II में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 8290/74]

बागान वानिकी के लिए अग्नि संरक्षण

3550. श्री एम० एम० जोजफ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागान वानिकी में पूंजी-निवेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्नि संरक्षण की पर्याप्त पद्धति का विकास नितांत आवश्यक है;

(ख) क्या केरल के चार प्रादेशिक वन सर्किलों में से प्रत्येक में अग्नि शमन कार्यों के लिये दूर संचार सुविधाओं और सड़कें बिछाने के लिये आधुनिक मशीनों सहित आधुनिक अग्नि संरक्षण सेवा की स्थापना आवश्यक है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य वित्त मंत्री द्वारा एफ०ए०ओ०/एस०आई०डी०ए० से आवश्यक वित्तीय और तकनीकी समर्थन के साथ 20 मई, 1974 को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री से सिफारिश की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) इन में से प्रत्येक सर्कल के लिए विस्तृत योजनाएं तथा एक स्टेट फायर प्लान तैयार करने की आवश्यकता है। दूर-संचार सुविधाओं की व्यवस्था होने तथा आग बुझाने के उपयुक्त उपकरण लगाने से आग से होने वाली हानि बहुत कम हो जाएगी।

(ग) 1973 में भारत का दौरा करने वाले एफ० ए०ओ०/स्वीडिश इन्टरनेशनल डिवेल्पमेंट एजेंसी फारेस्ट प्रोजेक्ट आइडेन्टीफिकेशन मिशन ने, इस बात पर जोर दिया है कि वानिकी में लगाई गई पूंजी की सुरक्षा करने के लिए देश में अग्नि रक्षण की पर्याप्त प्रणाली के विकास के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। मिशन ने सुझाव दिया है कि केरल राज्य में एक आधुनिक वन रक्षण सेवा की स्थापना

की जानी चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर केरल सरकार ने एक आधुनिक वन अग्नि रक्षण सेवा की स्थापना के लिए स्वीडिश इन्टरनेशनल डिवेल्पमेंट एजेंसी से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दिलाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था।

(घ) स्वीडिश इन्टरनेशनल डिवेल्पमेंट एजेंसी द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित राशि की मात्रा कम होने के कारण केरल में आधुनिक वन रक्षण सेवा की स्थापना करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। स्वीडिश इन्टरनेशनल डिवेल्पमेंट एजेंसी से अतिरिक्त राशि प्राप्त होने पर एफ०ए०ओ०/स्वीडिश इण्टरनेशनल डिवेल्पमेंट एजेंसी द्वारा सिफारिश की गई अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ इसे भी शुरू कर दिया जाएगा।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति देना

3551. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिकारियों द्वारा प्रवेश तथा छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ हड़ताल करनी पड़ी तथा विरोध प्रकट करने पड़े थे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान समाज विज्ञान स्कूल के ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र में दाखिलों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को कुछ शिकायतें थीं। स्कूल के विद्यार्थियों ने 27 जुलाई, 1974 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की थी। विद्यार्थियों की शिकायतों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय ने एक समिति का गठन किया है जिसमें तीन अध्यापक शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति

3552. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में छत्तीगढ़ में, जिसे किसी समय देश का चावल भण्डार माना जाता था, मानसून की अनिश्चितता के कारण अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कृषि श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) इस क्षेत्र के लिये किस प्रकार की केन्द्रीय राहत देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्षा की अनिश्चितता के कारण इस वर्ष कृषि कार्यों में विलम्ब हुआ था और खड़ी फसलों को कुछ धक्का भी लगा। तथापि, गत सप्ताह के दौरान इस क्षेत्र में लगातार वर्षा हुई है जिससे आशा की जाती है कि निराई-गुड़ाई के कार्य तथा पौधे लगाने का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

(ख) तथा (ग) राहत सम्बन्धी कार्यों की जिम्मेदारियां राज्य सरकार की हैं। उसने सूचना दी है कि कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए वे इस क्षेत्र में निम्नलिखित पैमाने पर लगातार कार्य कर रहे हैं :—

जिले का नाम	प्रतिदिन कार्य पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या
रायपुर	4005
राजनन्द गांव	4464
दुर्ग	563
सरगुजा	1450

भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म की बोरियो का प्रयोग

3553. **श्री समर गुहा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म की बोरियों का प्रयोग करने के कारण प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये के खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं;

(ख) क्या घटिया किस्म की बोरियों के आधार पर श्रमिकों तथा ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या घटिया किस्म की इन बोरियों का प्रयोग करने से भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की चोरी तथा तस्करी के अवसर प्राप्त होते हैं; और;

(घ) यदि हां, तो मानकीकृत बोरियों का प्रयोग करने के बारे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम यथा सम्भव मानकीकृत बोरियों में खाद्यान्न भरता है। खाद्यान्नों के डिपों पर प्राप्त होने पर एकीकृत बोरियों के बारे में 10 प्रतिशत वजन किया जाता है और अमानकीकृत बोरियो के बारे में 100 प्रतिशत वजन किया जाता है। तथापि, प्राप्ति और निर्गम के समय 100 प्रतिशत वजन करने के कारण अमानकीकृत बोरियों की चोरी का कोई अवसर नहीं मिलता है। तथापि, जब कभी चोरी का कोई मामला, जो कभी कभी होता है, ध्यान में लाया जाता है, उस समय उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मानकीकरण और देखभाल करने के तरीके के बारे में सुधार करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। मजदूरों और ठेकेदारों को वजन के आधार पर भुगतान किया जाता है।

गृह निर्माण के लिए ऋण की सीमा

3554. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारती सामान के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले गृह निर्माण ऋण की मात्रा को 75,000 रुपये की वर्तमान अधिकतम सीमा को बनाये रखते हुए 75 मास के वेतन से 99 मास के वेतन तक बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया है, और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋणों की मंजूरी देने पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी नहीं।

(ख) गृह निर्माण ऋण की मंजूरी देने के लिय नये आवेदनों को अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

उर्वरक की आवश्यकता

3555. **श्री बरके जार्ज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत को 50 लाख मीटरी टन के अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन के लिये इस वर्ष लगभग 5000 मीटरी टन उर्वरकों की कमी होगी;

(ग) क्या गत वर्ष के उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भारत को उर्वरकों का अधिकांश मात्रा के लिये आयात पर निर्भर रहना पड़ता है जिसका विदेशी मुद्रा भण्डार पर अत्यधिक भार पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो देश के विदेशी मुद्रा भण्डार को बचाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। गत दो वर्षों के दौरान आयातित उर्वरकों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है।

(ख) भारत सरकार का ध्यान खाद्य और कृषि संगठन की एक प्रेस विज्ञप्ति की ओर गया है, जिसमें खाद्य एवं कृषि संगठन के अधिकारियों के इस कथन का हवाला दिया गया है कि भारत में उर्वरकों की लगभग 10 लाख टन की कमी से खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 100 लाख टन तक कम हो जाने की आशंका है।

(ग) देश अभी उर्वरकों में आत्म निर्भर नहीं हुआ है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आयात करना पड़ता है।

(घ) उर्वरकों के आयात को कम से कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। रासायनिक उर्वरकों की कमी पूरी करने के लिए कार्बनिक खाद के संसाधनों का यथा सम्भव अधिकतम उपयोग करने, उपलब्ध उर्वरकों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की विधियों का विकास तथा प्रचार करने और उर्वरकों की क्षति कम करने के लिए खरपतवार नियंत्रण हेतु अभियान को तीव्र करने सम्बन्धी प्रयास भी किए जा रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सोवियत रूस के इतिहास का पढ़ाया जाना

3556. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1970-71 में सोवियत रूस के इतिहास के अध्यापन की घोषणा की थी जिसे बाद में 1972-73 के लिये स्थगित किया गया था;

(ख) क्या सोवियत रूस के इतिहास का अध्यापन अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसका अध्यापन कब तक प्रारम्भ किया जायगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार "हिस्टरी आफ यू०एस०एस०आर०" नामक पुस्तक, 1970-71 के शिक्षा सत्र के लिए, एम०ए० (इतिहास) के लिए दो पाठ्यक्रमों के वास्ते एक अलग विषय के रूप में निर्धारित की गई थी। रूसी भाषा और रूसी इतिहास का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के कारण इस विषय को लागू करना संभव नहीं था। इस विषय को, पाठ्यविवरण में संशोधन करते समय मार्च/अप्रैल, 1972 में समाप्त कर दिया गया था। विश्वविद्यालय इस विषय को एम०ए० (इतिहास) में फिर से लागू करने की संभावनाओं की जांच पड़ताल कर रहा है।

अनुसूचित जातियों के प्रमाण पत्र

3557. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष कालेजों में भर्ती लेने वाले प्रत्येक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी से 'अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र' की मूल प्रति ले ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रकार कितने प्रमाण पत्र एकत्र किए गए हैं; और

(ग) क्या उन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वापस कर दिए गए हैं और यदि नहीं, तो कब तक वापस किये जाएंगे और विश्वविद्यालय अधिकारियों ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि ये प्रमाण पत्र खो न जायें और उनका दुरुपयोग न हो ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्रों की साक्ष्यांकित प्रतियां प्रस्तुत करनी थीं। तथापि, कुछ मामलों की तथ्यता की जांच करते समय उपायुक्त, दिल्ली के कार्यालय ने मूल प्रमाण पत्रों की मांग की थी और मूल प्रमाण पत्र मंगाने और जांच पड़ताल पूरी करने में पर्याप्त समय लग गया। इस स्थिति और परिणामस्वरूप विलम्ब को रोकने के लिए विश्वविद्यालय ने उन विद्यार्थियों को जिन्होंने विभिन्न कालेजों में बी०ए० (पास), बी०काम० (पास), और बी०ए० (आनर्स) और बी०काम (आनर्स) में दाखिले के लिए अपने नाम पंजीकृत किए थे, इस वर्ष अनुसूचित जाति के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। एकत्र किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या 1743 थी। इनमें से 131 प्रमाण-पत्र वापस भेज दिए जा चुके हैं। शेष प्रमाण-पत्र विद्यार्थियों के रिहायशी पतों पर रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं और साक्ष्यांकित प्रतियां हवाले और रिकार्ड के लिए रखी जा रही हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के कर्मचारियों की शिकायतें

3558. **श्री ई०वी० विखेपाटिल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभागीय कार्यवाहियों के कारण वेतन नियत करने के असंगतियों के मामलों में कर्मचारियों की शिकायतें मंत्रालय में उच्च स्तरों तथा स्वयं मंत्री महोदय के माध्यम स दूर करने के अवसर नहीं दिये जाते ;

(ख) क्या नौवहन और परिवहन विभाग (दीप घर) के कर्मचारियों से मंत्री के माध्यम से शिकायतें दूर कराने के लिए कोई अनुरोध किए गए हैं परन्तु उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उनके वेतन नियत करने में असंगतियां विभागीय कारण से उत्पन्न हुई ; और

(ग) क्या दिनांक 17 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के भाग (ग) के उत्तर में बताई गई स्थिति नौवहन और परिवहन (दीप घर) के कर्मचारियों के मामलों में लागू की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 636 दिनांक 17-3-1972 के भाग (ग) में उल्लिखित उत्तर दीप घर विभाग के अधिकारियों जिन्होंने अपने वेतन नियत करने के बारे में अभ्यावेदन दिया था के मामलों में लागू नहीं होता था।

चयन ग्रेड के लिए पात्र प्राथमिक स्कूल अध्यापक

3559. **श्री लम्बोदर बलियार :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री चयन ग्रेड के पात्र प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में 4 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने अपेक्षित जानकारी इस बीच दिल्ली नगर निगम से एकत्र कर ली है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उक्त सूचना लोक सभा पटल पर कब तक रखी जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम से अपेक्षित सूचना की अभी प्रतीक्षा है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

महावीर नगर, दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

3560. **श्री वरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 3 अगस्त, 1974 को अचानक ही दिन भर की कार्यवाही के दौरान महाबीर नगर में 300 अनधिकृत वाणिज्यिक एवं रिहायशी मकान गिरा दिए थे, जिससे अनेक व्यक्ति बेघरबार हो गये;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में कितने वाणिज्यिक एवं रिहायशी मकान गिराए गए हैं;

(ग) क्या प्रभावित हुए व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महावीर नगर के बेघरबार निवासियों को भी क्षतिपूर्ति देने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, पश्चिम दिल्ली के ग्राम नांगली जालेब में अर्जित की गई भूमि का दखल लेते समय 3 अगस्त, 1974 को लगभग 300 संरचनाएं हटायी गई थीं।

(ख) 18 जुलाई 1974 से आरम्भ हुए मौजूदा अभियान में, 14 अगस्त, 1974 तक, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 929 संरचनाएं गिराई जा चुकी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गहन तिलहन विकास कार्यक्रम

3561. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये गहन तिलहन विकास कार्यक्रम अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के लिये प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं; और

(ग) उसके अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 8291/74]।

Agreement for export of Basmati Rice

3562. **Shri Dhan Shah Prodhan** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether any trade agreement has been signed in the last two or three months for exporting Basmati rice ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) whether the requirement of basmati rice of the whole country will be met from its accumulated stock ?

The Minister of State in Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c) : No trade agreement has been entered into by the Government of India for exporting basmati rice. However, some small quantities of basmati rice are being exported by the STC. The entire quantity of rice production excepting this small quantity, is available for consumtion in the country.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति

3563. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 12 वर्ष से अधिक समय से जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातकों के उस अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति नहीं किया गया है जिसके लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता केवल इंजीनियरिंग स्नातक है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अधिकारियों ने इंजीनियरिंग स्नातकों के प्रतिनिधियों को यह वचन दिया है कि विभाग उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केवल सहायक इंजीनियर के पद जो कि कनिष्ठ इंजीनियरी के ग्रेड से ऊपर अगला पद है, की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता इंजीनियरी में डिग्री है। कनिष्ठ इंजीनियर से पदोन्नति के लिये, स्नातक तथा गैर-स्नातक दोनों ही पात्र हैं, किन्तु उनकी पात्रता के मानदण्ड भिन्न-भिन्न हैं। स्नातकों के लिए न्यूततम अर्हक सेवा की अवधि 5 वर्ष, डिप्लोमाधारियों के लिए 10 वर्ष तथा अन्यों के लिये 15 वर्ष है। इससे पहले, स्नातकों तथा गैर-स्नातकों की पदोन्नति का कोटा 50:50 के अनुपात में था किन्तु दिल्ली के उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका के निर्णय के द्वारा इसे अमान्य घोषित कर दिया था। कुछ स्नातकों ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की हुई है तथा इस अपील पर निर्णय लिए जाने तक, सर्वोच्च न्यायालय नें आदेश दिया है कि विभाग केवल तदर्थ पदोन्नतियों ही करें । इस कोटे न होने के कारण सभी तदर्थ पदोन्नतियां, उपयुक्त तथा पात्र उम्मीदवारों में से, उनकी वरीयता के आधार, की जा रही हैं। वरिष्ठ उम्मीदवारों में जो निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पात्र भी हैं, अधिकांशतः गैरस्नातक हैं। अतः, जब तक उन्हें अनुपयुक्त नहीं समझा जाता, वरियता सूची में उनसे बहुत कनिष्ठ व्यक्तियों को लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः, यह इस प्रकार है कि कई पात्र स्नातकों को, जिनमें कुछ उम्मीदवार 12 वर्ष की सेवावधि वाले हैं, पदोन्नत नहीं किया गया।

(ख) तथा (ग) स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों के संघों के प्रतिनिधि, इस मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कई अवसरों पर मिल चुके हैं तथा उन्होंने सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के बारे में अपने दृष्टिकोण उनके सामने रखे हैं। सहायक इंजीनियरों के पदों को नियमित आधार पर भरने सम्बन्धी कोई निर्णय लेने से पहले, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

अवर इंजीनियरों के रूप में काम कर रहे इंजिनियरिंग स्नातक

3564. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवर इंजीनियरों के रूप में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातकों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के मामले में जिसके लिये न्यूनतम निर्धारित अर्हता इंजीनियरी में डिग्री है, डिप्लोमा धारी इंजीनियरों से तरजीह नहीं दी जाती; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रोम मेहता) : (क) कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति का अगला उच्चतर ग्रेड सहायक इंजीनियर का है जो कि इंजीनियरी सेवा की द्वितीय श्रेणी का पद है। इन पदों पर सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता इंजीनियरी में डिग्री है किन्तु यह पदोन्नति के लिये नहीं है। पदोन्नति के लिये स्नातक तथा गैर-स्नातक दोनों ही पात्र हैं किन्तु उनकी पात्रता का मानदण्ड भिन्न-भिन्न है अर्थात् स्नातकों के लिये विभाग में 5 वर्ष की सेवा अवधि, डिप्लोमाधारियों के लिये 10 वर्ष तक अन्य लोगों के लिये 15 वर्ष है। इससे स्वतः ही अर्हता प्राप्त इंजीनियरी स्नातकों को वरीयता की व्यवस्था हो जाती है। तथापि, सभी कनिष्ठ इंजीनियरों की एक समेकित वरीयता सूची है तथा अब दो व्यक्ति पदोन्नति के पात्र तथा उपयुक्त हो जाते हैं, यह पदोन्नति स्वतः ही पहले वरिष्ठ व्यक्ति को दी जाती है। ऐसा भी है कि फिलहाल गैर-स्नातक अधिकांशतः वरिष्ठ हैं तथा यदि वे पदोन्नति के पात्र तथा उपयुक्त होते हैं तो उनकी ऐसे स्नातकों के पक्ष में उपेक्षा नहीं की जा सकती जो उनसे कनिष्ठ होते हैं। तथापि फिलहाल, सभी पदोन्नतियां, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तदर्थ आधार पर की जा रही हैं।

(ख) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

सूरजमुखी के बीजों में तेल की उच्च मात्रा के बारे में अनुसंधान

3565. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और रूमानिया ने भारत को सूरजमुखी के बीजों में तेल की उच्च मात्रा तथा इसकी खेती के सम्बन्ध में अपने नवीनतम अनुसंधान परिणामों से अवगत कराने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों से उक्त सहायता प्राप्त करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) फ्रांस और रूमानिया में सूरजमुखी की खेती से सम्बन्धित अनुसंधान, बीज और फसल-उत्पादन प्रौद्योगिकी की दिशा में काफी प्रगति हुई है। इन देशों के नवीनतम अनुसंधानों से लाभ उठाने के लिए, अल्प काल के लिए भारत के एक सस्य वैज्ञानिक को फ्रांस में प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव है। इस अध्ययन दौरे को अन्तिम रूप देने के लिए फ्रांस सरकार के साथ आगे बातचीत की जा रही है।

रूमानिया की सूरजमुखी की किस्में और संकर किस्में अधिक उपज और अधिक तेल की मात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। एतत्सम्बन्धी सर्वोत्कृष्ट सामग्री के साथ आनुवंशिक सामग्री इस देश से प्राप्त कर ली गयी है। सन् 1973 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के समन्वयक ने तिलहनों के सुधार के लिए रूमानिया का दौरा किया था। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आगे बातचीत में प्रगति हो रही है। इसमें सूरजमुखी की खेती सम्बन्धी अनुसंधान और विकास के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग भी शामिल है।

रूमानिया से मंगायी गयी सूरजमुखी की किस्मों में से 'रिकार्ड' नामक किस्म देश के कुछ भागों में किये गये परीक्षणों में अच्छी साबित हुई है। अपने देश में ही बीजों का और आगे संवर्धन करने के विचार से थोड़ी मात्रा में इस किस्म का सर्वोत्कृष्ट बीज तैयार किया गया है।

अनधिकृत भूमि का पंजीकरण

3566. **डा० हरि प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के न्यायालयों को हरी पट्टी की जमीन का पंजीकरण करने और लोगों से पंजीकरण शुल्क और मुख्तारनामा लेने के लिये प्राधिकृत किया है;

(ख) क्या न्यायालयों में जमीन का पंजीकरण हो जाने के बाद सरकार हरी पट्टी की जमीन को अनधिकृत घोषित कर देती है; और

(ग) अगर भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या न्यायालयों में पंजीकृत की गई ऐसी "हरी पट्टी की जमीन" और कालोनियों को अधिकृत करके अथवा भविष्य में सभी अनधिकृत जमीन के पंजीकरण को बन्द करके उक्त प्रक्रिया में संशोधन करने का सरकार का विचार है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) ऐसा प्रतीत होता है कि "हरी पट्टी की जमीन" से आशय "हरे डोरे" की जमीन से है अथवा उस भूमि से है जिसका भूमि उपयोग दिल्ली की वृहत योजना में "हरित" है। भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 तथा उसके नियमों के अधीन, मुख्तारनामा पंजीकृत किया जाता है तथा पंजीकरण शुल्क वसूल की जाती है।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का भूमि उपयोग, दिल्ली वृहत योजना के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है तथा मुख्तारनामा के पंजीकरण से इस प्रकार निर्धारित भूमि उपयोग पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कश्मीर हाउस, नई दिल्ली के सर्वेंट्स क्वार्टर

3567. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर हाउस, नई दिल्ली के सर्वेंट क्वाटरों का बहुत वर्षों से अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा किया हुआ है तथा वे सरकार को कोई किराया नहीं देते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसका निर्धारण कर लिया है कि प्रत्येक क्वार्टर में रहने वाले व्यक्तियों से कितना कितना किराया वसूल करना है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किराये की राशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनधिकृत व्यक्तियों से उक्त क्वार्टर खाली कराने तथा उन्हें **संसदीय** हाउस के कर्मचारियों को अथवा आसपास काम करने वाले कर्मचारियों को अलाट करने का है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) कश्मीर हाउस नई दिल्ली के परिसर में 73 सर्वेंट क्वार्टर हैं। इनमें से 1 सामान्य पूल में है, 18 रक्षा मंत्रालय तथा शेष 54 व्यापार आयुक्त, जम्मू तथा कश्मीर सरकार के पास हैं। जम्मू तथा कश्मीर सरकार के पास जो सर्वेंट क्वार्टर हैं उनमें से 9 क्वार्टर, कई वर्षों से अनधिकृत लोगों के दखल में हैं।

(ख) तथा (ग) जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा अनधिकृत लोगों के विरुद्ध किराये का कोई निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि उन के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(घ) जम्मू तथा कश्मीर सरकार का विचार अनधिकृत रूप से दखल किये हुए क्वार्टरों को खाली करवा कर उन्हें दिल्ली में तैनात अपने कर्मचारियों के लिये प्रयोग में लाने का है।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के लिए लघु सिंचाई योजनाएं

3568. **श्री नारायण चन्द पराशर :**
श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली :
श्री तुला राम :
श्री कृष्ण चन्द पांडे :
श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिये चालू वित्तीय वर्ष तथा वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान लघु सिंचाई योजनाएं अनुमोदित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक योजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों तथा उत्तर प्रदेश आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां केन्द्रीय नियतन के अन्तर्गत छोटी नदियों, धाराओं और नालों का सरलता से उपयोग किया जा सकता है, ऐसी योजनाओं को आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय आवंटन के मामले में कोई प्राथमिकता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी हां। लघु सिंचाई राज्य की वार्षिक योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्य योजना के समग्र संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने 1972-73 के दौरान 50 लाख रुपये और 1973-74 के दौरान 55 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। चालू वर्ष के लिये 90 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा आवंटित किये गये योजना-वार परिव्यय का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रचलित वित्तीय प्रणाली के अनुसार राज्य की वार्षिक योजना के लिये केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसका किसी विशिष्ट योजना या भौगोलिक क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

दिल्ली दुग्ध योजना के टोकन देना तथा वहां पंजीकृत आवेदन पत्र

3569 **श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली :**
श्री नारायण चंद पराशर :
श्री तुला राम :
श्री कृष्ण चन्द पांडे :
श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बारी से पहले दुग्ध टोकन अलाट करने के लिये कोई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) 19 मार्च, 1973 तक तथा 31 मार्च, 1974 तक दुग्ध टोकन के लिये कितने आवेदकों के नाम पंजीकृत किये गये; और

(घ) इस समय में कितने आवेदकों को दुग्ध टोकन दिये गये तथा उन्हें किन प्राथमिकताओं/रियायतों के अन्तर्गत टोकन दिये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी हां। दूध के टोकन बहुत खास मामलों में ही जारी किए जाते हैं, जिनमें डाक्टरी आधार पर, विधवाओं के लिए तथा सैनिकों से अलग रहने वाले उनके परिवार, आदि शामिल हैं। इन मामलों में भी कम से कम दूध के टोकन ही जारी किए जाते हैं।

(ग) 31 मार्च, 1973 और 31 मार्च, 1974 की स्थिति के अनुसार दिल्ली दुग्ध योजना नए टोकनों के लिए अभ्यावेदनों की संख्या नीचे दी गई है:--

31-3-73 को	71,585
31-3-74 को	99,935

(घ) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 की अवधि के दौरान इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित श्रेणियों में आने वाले 4,076 अभ्यावेदनों पर दूध के टोकन जारी किए गए थे। इन मामलों में भी कम से कम दूध के लिए ही टोकन जारी किए गए थे।

Institutions for detecting mistakes in text books

3570. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare And Education** be pleased to state :

(a) whether there is any Government educational or training institution in the country whose function is to detect misleading mistakes in the text books of the entire country;

(b) if so, the efforts made by it to detect such mistakes during the last two years;

(c) whether this is not the responsibility of the State Governments; and

(d) the instructions issued to the State Governments by the Centre in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (d) Text books are prescribed by State Governments or the Boards of Education, universities and similar bodies. Before a book is prescribed, it is usually scrutinised for its fitness to be prescribed for the particular course concerned. Normally there is no special machinery for detecting mistakes in the prescribed text books. Mistakes, if any, are usually brought to the notice of the concerned authorities by teachers, students and members of the public.

The National Council of Educational Research and Training has been requested to conduct a review of school text books. It has developed certain criteria and tools for evaluating text books in different subjects. These have been made available to the State Governments. It also undertook a review of text books from the point of view of national integration. Reports of the reviews were sent to StateGovernments or other concerned authorities for implementation. The N.C.E.R.T. has decided to undertake the review of text books as a regular feature of its work.

Admission of M.. P. and Bihar Students in Delhi University

3571. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether students from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar are not given admission in Delhi Colleges who have not passed Higher Secondary examination with English as a Compulsory subject ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps likely to be taken by Government to remove this obstacle ?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and **(b)** According to the eligibility requirements prsecribed by the University, candidates seeking admission to the under-graduate courses must have passed Higher Secondary Examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi or an examination recognised as equivalent thereto (Pass in five subjects including **English**).

(c) It is an academic matter on which the University is competent to take decision.

आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम

3572. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री सतपाल कपूर :
श्री नवल किशोर सिंह : :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है, कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1972-73 में गर्मी के मौसम की रब्री की फसलों के दौरान आरम्भ किये गए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्वयन में गम्भीर त्रुटियां और अनियमितताएं की गई हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1972-73 की रबी ग्रीष्म कालीन फसल मौसम के दौरान शुरू किए गए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने अपनी समीक्षा भेजी है। इस समीक्षा में विभिन्न, राज्यों में आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई त्रुटियों का उल्लेख किया गया है और यह राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिए पहले ही भेजी जा चुकी है। अलग-अलग राज्यों में हाथ में ली गई विभिन्न योजनाओं से संबंधित इस समीक्षा में उल्लिखित त्रुटियां तथा कमियां मोटे तौर पर निम्नलिखित के बारे में हैं :—

(1) 1972-73 की रबी ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए कई लघु सिंचाई निर्माण-कार्य समय पर पूरे नहीं किए गए/किए जा सके थे।

(2) कई मामलों में विभिन्न राज्यों के महालेखाकारों द्वारा फील्ड में जांच के लिए किए गए परीक्षणों से पता चला है कि इन मामलों में उपलब्धियां उतनी नहीं थी जितनी राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को बाताई थी।

(3) ऐसे मामले देखने में आए हैं जहां सामान्य योजना के अन्तर्गत ऐसी ही योजनाओं पर किया गया खर्च आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के नाम डाला गया था या अन्तरित कर दिया गया था ।

(4) कुछ मामलों में आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीफ के लिए मंगाया गया माल और उपकरण या तो विलम्ब से प्राप्त हुआ था या उसका विधिवत उपयोग नहीं किया गया था।

(5) यह कार्यक्रम अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका जिसकी अपेक्षा थी।

आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम का क्रयान्वयन तथा उसके अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का प्रयोग करना पूर्णतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व था; जोकि इस रिपोर्ट की जांच कर रही है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड के दौरों और राज्य के अधिकारियों के साथ समय-समय पर पुनर्विलोकन के जरिए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत हाथ में ली गई योजनाओं की क्रियान्विति की प्रगति पर कड़ी निगाह रखी गई थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए दीर्घकालीन और लघु कालीन दोनों ऋणों का राज्य सरकारों द्वारा ब्याज सहित निर्धारित अवधि के अन्दर दुबारा भुगतान किया जाना है।

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं में परिवर्तन

3573. **श्री शशि भूषण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के बहुत से बस मार्गों को बहुत बदल दिया गया है तथा बहुत सी बसें गोल मार्केट बस स्टैंड से नहीं गुजरती;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोल मार्केट क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए किसी विशेष ग्रीन लाइन सेवा अथवा अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध करने के बारे में विचार किया गया है; और

(घ) समाचार पत्रों के द्वारा व्यापक प्रचार करके बदले हुए बस मार्गों निर्धारित समय तथा ग्रीन लाइन सेवा की बदली हुई मार्ग-संख्या के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) याता-यात पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किया गया कनाट प्लेस में यातायात की दक्षिणावर्त नमूने से कनाट प्लेस से गुजरने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रूटों में परिवर्तन करना पड़ा है। रूट नं० 3, 3ए, 5, 5-बी, 6, 6-एक्स, 9, 9-ए, 9-बी, 21, 21-ए, 21-सी, 61 तथा 61-ए, बदल दिये गये हैं।

निम्नलिखित सेवाओं के रूटों में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि वे अभी भी कनाट सरकस तक चलती हैं :—

रूट नं० 6-ए, 7, 8-ए, एक्स 27, 27ए, तथा 59 ।

(ग) मद्रास होटल तक कनाट सरकस आने वाली कई बसें गोल मार्केट होकर चलती हैं। इसके अतिरिक्त 16 अगस्त, 1974 से मद्रास होटल से मद्रास होटल तक दस-दस मिनट के अन्तर पर एक नई शटल सेवा संख्या 3 चालू की गई है। यह सेवा गोल मार्केट विलिंगडन हस्पताल, केन्द्रीय सचिवालय, रायसीना रोड तथा पार्लियामेन्ट स्ट्रीट से होते हुए चलती है। सुगम सेवा रूट संख्या 103 तथा 105 भी गोल मार्केट से होकर चलती है। मौजूदा सेवाएं क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समझी गई हैं और इस क्षेत्र से विशेष सुगम सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) बसों, जिनमें ग्रीन लाइन सेवाएं भी शामिल हैं, तथा समय सारणी में परिवर्तन के बारे में लोगों को जानकारी इश्तहारों तथा समाचार पत्रों द्वारा दी जाती है।

दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति

3574. **श्री शशि भूषण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें दिनांक 14 अगस्त, 1974 के स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार का पता है कि दिल्ली परिवहन निगम में वित्तीय अव्यवस्था है तथा यदि इसे तुरन्त धन राशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो इसकी सभी बसों का चलना ठप्प हो सकता है,

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण/दिल्ली परिवहन उपक्रम/दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति, लगभग गत वर्षों से संतोषजनक नहीं रही है और उपक्रम को 1963-64 से लगातार घाटा हो रहा है। यह घाटा सरकार द्वारा दी गई अर्थोपाय से पूरा किया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम के नकद घाटे को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। 1974-75 के बजट अनुमानों की तैयारी के बाद, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप वेतन-बकाया के भुगतान, 1974-75 के वेतन बिल में वृद्धि और मंहगाई भत्ता की अतिरिक्त किस्तों के भुगतान के कारण दिल्ली परिवहन निगम पर काफी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व जिम्मे आया है। इसके अतिरिक्त डीजल तेल, स्नेहकों पेट्रोल, टायरो, फालतू पुर्जों आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण भी अतिरिक्त खर्च होगा।

दिल्ली नगर निगम के वित्त में हाल ही का संकट मुख्य रूप से इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि उस बैंक ने, जिसके साथ निगम के 50 लाख रुपये के नकद ऋण ओवर ड्राफ्ट व्यवस्था थी, ने इस सुविधा को ऋण प्रतिबन्ध नीति के तौर पर यह सुविधा वापस ले ली। केन्द्रीय सरकार के दखल के फलस्वरूप निगम को यह सुविधा बहाल कर दी गई है। चालू वर्ष के गैर योजना बजट में उपलब्ध 107 लाख रुपये की रकम भी दिल्ली परिवहन निगम को अलग से दी जा रही है। इन दो उपायों से निगम को तुरन्त राहत मिल जाने की संभावना है।

जहां तक पूंजी का ताल्लुक है, दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय सहायता के लिए, चालू वर्ष के बजट में 10.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। निगम ने हाल ही में तत्काल देयताओं को पूरा करने हेतु 213 लाख रुपये की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा। आवश्यक स्वीकृत अलग से जारी की जा रही है।

शकरपुर और आस पास की कालोनियों को नियमित करना

3575. **श्री बरके आर्ज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शकरपुर (दिल्ली) और उसके आस-पास की बस्तियों में 15,000 से भी अधिक अनधिकृत मकान है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कालोनियों को नियमित करने के बारे में अपना अन्तिम निर्णय देगी।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) शकरपुर और उसके आस-पास की कालोनियों में अनधिकृत मकानों की सही संख्या मालूम नहीं है।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, 1 फरवरी, 1967 से पहले निर्मित मकानों को नियमित कर दिया जाएगा बशर्ते कि बृहत योजना में भूमि-उपयोग "रिहायशी" हो तथा नियमन की अन्य शर्तें पूरी होती हों।

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3576. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली में कितने गोदाम किराये पर लिए हैं तथा उसका क्षेत्रफल क्या है;

(ख) प्रत्येक गोदाम का मासिक किराया क्या है तथा उसकी भण्डार क्षमता क्या है; और

(ग) क्या सभी गोदामों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम का एक किराये का गोदाम है जोकि दिल्ली की एक प्राइवेट पार्टी का है। गोदाम का क्षेत्रफल 22,211 वर्ग फुट है, किराया 4886.42 रु० प्रति मास है, भण्डारण क्षमता 3641 मी० टन है। इस समय 51 प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है।

त्रिनगर क्षेत्र दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसें

3577. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनगर क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते हुए यातायात के लिए अतिरिक्त बसें देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों ने हाल में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

31 LSS/74—8.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । त्रिनगर से संख्या 59 और 50-सी चलती हैं, जोकि शहर के कई इलाकों को जोड़ती हैं। हाल ही में, त्रिनगर को एक नये बस मार्ग संख्या 301 द्वारा भी जोड़ दिया गया है जोकि आनन्द पर्वत को बस सेवा से जोड़ता है और जहां से सुगम सेवा सं० 103, केन्द्रीय सचिवालय तक चलती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर टैलीफोन की सुविधा

3578. **श्री रामेश्वर प्रसाद यादव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री दिल्ली परिवहन निगम, के त्रिनगर स्थित बस स्टाप पर बूथ और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में 11 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बूथ पर टेलीफोन कब तक लगाये जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों तथा टेलीफोन प्राधिकारियों के बीच अनेक बार वार्ता हुई है जोकि त्रिनगर टाइम कीपर बूथ पर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय की व्यववस्था करने पर विचार कर रहे हैं। परन्तु उस सुविधा के स्थापित करने में कितना समय लगेगा बताना सम्भव नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदों के लिए भरती

3579. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जांच समिति ने कहा है कि कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदों के लिये भरती हेतु डिवीजनों के अध्यक्षों की चयन समितियों के चैरयमैन के रूप में नियुक्ति न केवल अनियमित थी बल्कि और भी अधिक गम्भीर बन गयी क्योंकि उनकी निष्पक्षता के बारे में व्यापक और अनेक आरोप थे;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदों की भरती कार्य पुनः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को स्वयं करने के लिये सौंप दिया गया है और यदि हां तो क्या इससे यह प्रकट होता है कि भरती की पूर्व प्रणाली में कोई अन्तर नहीं आया और;

(ग) चयन की स्वतन्त्र प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट के चौथे अध्याय (अनुच्छेद 4.18) में इस संबंध में कुछ टिप्पणियां दी हैं, जो 3 अगस्त, 1973 को सभा के पटल पर रखी गयी थीं।

(ख) और (ग) अनुसंधान संस्थानों को कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदों का भरने का अधिकार दिया गया है बशर्ते कि संस्थान की चयन समिति की सिफारिशों को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो। यह 'बोर्ड' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन वरिष्ठ वैज्ञानिक और

तकनीकी पदों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदों के लिए गठित चयन समिति में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो सलाहकार और संबंधित संस्थान का निदेशक या उसका प्रतिनिधि होता है। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो सलाहकारों में से एक, चयन समिति का अध्यक्ष होता है। ऐसे पदों को भरने के लिए ब्योरेवार निर्देश भी निर्धारित किये गये हैं। वर्तमान कार्य विधि के अनुसार चयन समिति का अध्यक्ष और बाहर से लाया गया सलाहकार दोनों कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के बारे में आश्वस्ति प्रदान करते हैं।

Limits of Foodgrains stocks with wholesalers and Farmers

3580. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether many State Governments have authorised the **wholesale dealers** in their States to keep larger quantity of a particular variety of foodgrains, but no limit has been prescribed for the farmer ; and

(b) if so the limit prescribed by each State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Rise in Prices of bricks

3581. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the prices of bricks have increased considerably ;

(b) whether inadequate transportation facility and exorbitant transportation charges are the main causes thereof; and

(c) if so, the measures being taken by Government to make coal available to Kiln owners by transporting it through motor vehicles ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) No complaint has been received in regard to inadqeuate transportation facilities facilities for movement of bricks or exorbitant charges therefor.

(c) Does not arise.

Facilites for disabled persons to witness Republic Day Celebration

3582. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the disabled persons from different places were invited to witness the Republic Day Celebrations, 1974;

(b) whether entire arrangements for them for sight-seeing and boarding and lodging were made by Government ; and

(c) if so, the total amount of expenditure incurred in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) Yes, Sir. Arrangements were entrusted to the Blind Relief Association, Delhi on behalf of the Government.

(c) Rs. 2,484.48 paise.

कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई सुविधाएं

3583. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गैर-सिंचित क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई नियंत्रण बांधों की व्यवस्था करने और नलकूप खोदने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया गया है जिससे कि कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां, उठाऊ सिंचाई, नियंत्रण बांधों तथा नलकूप खोदने की योजनाएं बनाई जा रही हैं और सभी राज्यों के गैर-सिंचित क्षेत्रों में लघु सिंचाई के कार्यक्रम के भाग के रूप में क्रियान्वित की जा रही है, बशर्ते की तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से ये संभव हो और इनके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) प्रत्येक योजना के लिए राज्यवार किए गए आबंटन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, चालू वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का राज्यवार कुल स्वीकृत परिव्यय विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1974-75 के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय
1	2	3
(1)	आन्ध्र प्रदेश	2.70
(2)	असम	3.40
(3)	बिहार	10.50
(4)	गुजरात	6.00
(5)	हरियाणा	1.10
(6)	हिमाचल प्रदेश	0.93

1	2	3
(7)	जम्मू व कश्मीर	1.80
(8)	कर्नाटक	6.37
(9)	केरल	2.75
(10)	मध्य प्रदेश	10.25
(11)	महाराष्ट्र	14.25
(12)	मणिपुर	0.35
(13)	मेघालय	0.38
(14)	नागालैण्ड	0.30
(15)	उड़ीसा	3.00
(16)	पंजाब	1.83
(17)	राजस्थान	2.15
(18)	तमिलनाडु	6.05
(19)	त्रिपुरा	0.35
(20)	उत्तर प्रदेश	17.00
(21)	पश्चिम बंगाल	6.40
	जोड़	97.86

स्रोत : वार्षिक योजना 1974-75 भारत सरकार, योजना आयोग।

धान की कुटाई के प्रभार में परिवर्तन के कारण भारतीय खाद्य निगम को हानि

3584. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने पंजाब और हरियाणा के मामले में 1972 में धान की कुटाई के नियत प्रभार को प्रति 100 कि० ग्रा० धान से 67 कि० ग्राम चावल की वसूली के 30 पैसे के प्रभार को प्रति 100 किलोगाम धान से 64 किलोगाम चावल की वसूली के साथ 2.50 रु० तक बढ़ा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य उन्होंने पूर्व अधिसूचना के बिना किए और इसके लिए ठेके कुछ चुने हुए मिल मालिकों को 1973 में निविदाएं मंगाये बिना दिये;

(ग) क्या उनके उक्त कार्यों से भारतीय खाद्य निगम को लगभग 12 करोड़ रु० की हानि हुई; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितता के लिए अध्यक्ष के विरुद्ध कोई जांच की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) फरवरी, 1974 में दिए गए टेंडर इन्क्वारी नोटिस के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में 1971-72 मौसम के लिए उन सभी टेंडर कर्त्ताओं की पेशकश बिना शर्त स्वीकार कर ली थी जिन्होंने ढुलाई सम्भालने और, अन्य सेवाओं समेत धान की कुटाई के लिए 2.25 रुपये प्रति 100 किलो की दरें उधृत की थीं। क्योंकि धान

की सारी अधिप्राप्त मात्रा टेंडर कर्त्ताओं को सौंपी नहीं जा सकी और कुटाई के लिए धान का भारी स्टाक पड़ा था इसलिए कुटाई के प्रयोजन के लिए धान की शेष मात्रा के लिए 2.25 रुपये प्रति क्विंटल की समान दर देने का निश्चय किया गया था। हरियाणा में दिए गए विभिन्न टेंडर इन्क्वारी नोटिसों के उत्तर में प्राप्त कोटेशनों के आधार पर कुटाई की पेशकशें स्वीकार की गई थीं। 1971-72 मौसम में उत्पादन प्रतिशतता में 1970-71 के मौसम की तुलना में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसलिए 1971-72 मौसम के दौरान पंजाब और हरियाणा में धान की कुटाई के लिए किए गए प्रबन्धों से भारतीय खाद्य निगम को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी थी।

पश्चिम बंगाल में काजू का उत्पादन

3585. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कंटाई और झाड़ग्राम सब-डिवीजनों में काजू का उत्पादन होता है और उनमें इसके उत्पादन के विस्तार की क्षमता है;

(ख) क्या उचित खेती और वैज्ञानिक परिष्करण तथा विपणन सुविधाओं के अभाव में इन क्षेत्रों में काजू का उत्पादन अधिक नहीं हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में काजू के उत्पादन के विस्तार की सम्भावनाओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ दल भेजने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में काजू की उत्पादन प्रक्रिया और विपणन को विकसित करने के लिए अन्य उपाय भी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल में काजू के उत्पादन की क्षमता कम है और वहां इसका उत्पादन कम होता है।

(ख) काजू के उत्पादन से आय कम होने के कारण यह थोड़ी भूमि में उगाया जाता है। चौथी पंच वर्षीय योजना में राज्य सरकार ने एक योजना लागू की थी जिसके अन्तर्गत काजू के उत्पादकों को साहाय्य मूल्य पर उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियां वितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त काश्तकारों के खेतों में प्रदर्शन संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू करके उन्नत पैकेज पद्धतियां भी लागू की गई थीं। काजू के विपणन के संबंध में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने उत्पादकों की सहकारी समितियों का संगठन किया, परन्तु आरम्भ में इस संबंध में उत्पादकों की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण नहीं थी।

(ग) राज्य सरकार के अधिकारियों ने पहले ही इसकी जांच कर ली है।

(घ) तथा (ङ) केन्द्रीय सरकार इसके उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन को विकसित करने के लिए किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही है। तथापि राज्य सरकार ने दो काजू परिसंस्करण सहकारी समितियों का पुनः संगठन किया है, जो स्थानीय उत्पादन के बेहतर विपणन तथा परिसंस्करण में सहायक होंगी।

Target of Production for Rabi and Kharif crop

3586. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State :

(a) the target of production fixed by Government in respect of each type of **Rabi and** Kharif foodgrains this time and the scheme formulated for the purpose ;

(b) whether Government have thought of providing any incentive to the **cultivators** so that they may take interest in growing more foodgrains ; and

(c) whether any scheme has been formulated for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Planning Commission has fixed a target of 118 million tonnes of foodgrains production for the year 1974-75. However, the season-wise targets have not been fixed. This level of production is sought to be achieved by increasing productivity mainly through increase in area under High Yielding Varieties, adoption of intensive cultivation measures, multiple cropping, change in cropping patterns, efficient use of available inputs like fertilizers, waters, etc.

(b) and (c) No particular scheme to provide incentives for growing foodgrains has been formulated. However, the farmers in the selected areas are being provided assistance to purchage inputs under the various schemes such as S.F.D.A., M.F.A.L., Integrated Dry Land Agricultural Development, Pulses Development Programme etc. A provision of Rs. 60.0 crores has also been made in the current year's budget for providing short-term loan to the State/U.TS. Governments for the purchase and distribution of fertilizers, seeds, pesticides with a view to step up agricultural production in the country. Out of the provision of Rs. 30 crores for kharif operations, a sum of Rs. 22.14 crores has already been sanctioned for various States/Union Territories upto 31st July, 1974.

Allocation for Rural Housing during Fifth Plan

3587. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the allocations made for rural housing during the Fifth Five Year Plan and the State-wise amount thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : In the Draft Fifth Five Year Plan, an outlay of Rs. 234.84 crores is proposed for the State sector housing schemes, including the Village Housing Projects Scheme, leaving the scheme-wise allocation to be worked out by the State Governments themselves. Besides, a sum of Rs. 108.16 crores has been provided in the State sector of the Draft Fifth Plan for the implementation of the scheme for Provision of housesites to landless agricultural workers in rural areas as a part of the Minimum Needs Programme of the States.

Rural Water Supply Scheme in Rajasthan

3588. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether even today, 9262 villages of Rajasthan have no drinking water facility or have only sour water ; and

(b) whether there are villages in Rajasthan where people become victim to several diseases by drinking water available in those villages and if so, the number of such villages ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : Information received from the Government of Rajasthan is as follows :—

(a) In Rajasthan there are :—

(i) 4998 villages without any perennial source within a distance of 1.5 Km.

(ii) 4459 villages have sour water with total dissolved solids of more than 2000 PPM.

(iii) 3739 Villages have saline water with total dissolved solids ranging between 1000 to 2000 PPM.

(b) Villages where existing source of water poses public health problems are as under :—

(i) Guinea worm affected villages—6146 [Out of these villages 2258 villages are common with category (i) and (ii) of (a) above].

(ii) High flouride affected villages—3733 (These are villages having flouride content above 1.5 PPM).

सुपर बाजार के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप

3589. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली, के एक भूतपूर्व कर्मचारी से जुलाई 1974 में कोई ज्ञापन मिला था जिसमें सुपर बाजार, नई दिल्ली के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, काला बाजारी और दुर्विनियोग के आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जुलाई, 1974 में एक ज्ञापन, जो देखने में सुपर बाजार के उस कर्मचारी से प्राप्त हुआ लगता है, जिसे सुपर बाजार के अधिकारियों के अनुसार कथित जालसाजी और गबन के लिए पहले निलंबित किया गया था और इस मामले की पुलिस को भी सूचना दी गई थी।

(ख) कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे इन आरोपों की जांच करें और जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक प्रतिकारक उपाय करें।

ग्रामीण आवास योजना के लिए केन्द्रीय नियतन

3590. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ग्रामीण आवास योजना के लिये राज्यवार केन्द्रीय नियतन क्या है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में योजना के लिये राज्यवार प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी गई तथा राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ग) प्रत्येक राज्य ने कितने-कितने मकोनों के निर्माण की योजना बनाई तथा गत तीन वर्षों में कितने मकान बनाये ;

(घ) क्या प्रगति बहुत धीमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम जिसमें ग्रामीण मकानों के निर्माण की व्यवस्था है,

राज्य क्षेत्र में है। ग्रामीण आवास सहित, राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें, ग्रामीण आवास सहित राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की एक केन्द्रीय योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी जिसमें राज्य सरकारों को शतप्रतिशत सहायता देने की व्यवस्था है ताकि वे, जहां आवश्यक हो, भूमि का अर्जन कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को निःशुल्क आवंटन के लिये आवास स्थलों का विकास कर सकें। यह योजना भी 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई है। इस योजना के अधीन वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय अनुदान तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि का एक विवरण पत्र संलग्न है (अनुलग्नक I)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8292/74]**

(ग) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अधीन, वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक निर्माण के लिये विकास के लिये स्वीकृत मकानों/आवास स्थलों तथा निर्मित मकानों/विकसित किये गये आवास स्थलों के राज्यवार दो विवरण पत्र संलग्न हैं (अनुलग्नक II तथा III)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8292/74]**

(घ) तथा (ङ) समग्र संसाधनों के अभाव तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्चतर प्राथमिकता देने के कारण, इतनी अधिक राशि की निधियों का नियतन करना संभव नहीं हो पाया, जिससे देश की आवास समस्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सके। जहां तक, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना का संबंध है, राज्य सरकारों को इस योजना के कर्यान्वियन में कतिपय आंरभिक कठिनाइयां थीं जो इस प्रकार हैं:—

(1) राज्य सरकारों को योजना के कार्यान्वियन के लिये उचित प्रशासनिक तथा तकनीकी तंत्र की स्थापना करनी थी,

(2) योजना के लाभों के पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करना था,

(3) जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थी, वहां भूमि अधिग्रहण करने की कारंवाई करनी थी, और

(4) कुछ राज्य सरकारों को अकाल, सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा।

गेहूं के घटिया बीजों की सप्लाई

3591. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के किसान संगठनों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को "प्रमाणीकृत बीजों" के रूप में गेहूं के घटिया बीजों की सप्लाई करने के आरोपों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) दिल्ली के किसी कृषक संघ के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि उसने "प्रमाणित बीज" के रूप में विभिन्न राज्यों को खराब गेहूं सप्लाई किया है परन्तु कुछ समय पहले प्रेस में ऐसे कुछ मामलों की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों की फर्मों ने उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र से शुद्ध बीज के रूप में साधारण गेहूं की ढुलाई की है । उत्तर प्रदेश सरकार से पता चला है कि ऐसे मामलों की जांच की जा रही है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात

3592. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कितनी नौकाओं का आयात किया गया ;

(ख) जिन कम्पनियों को नौकाओं के आयात की अनुमति दी गई, उनके नाम एवं अन्य तथ्य क्या हैं और किस मूल्य पर आयात की अनुमति दी गई ;

(ग) क्या बड़े व्यापारिक गृहों के नियन्त्रणाधीन कुछ कम्पनियां और विदेशी नियंत्रित कम्पनियां मछली-निर्यात व्यापार में संलग्न हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम, पते और ब्यौरे क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी ने 1973-74 में कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य की मछलियों का निर्यात किया ; और

(ङ) बड़े गृहों और विदेशी कम्पनियों को मछली-निर्यात व्यापार करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1968 में प्रारम्भ की गई 30 ट्रालरों के आयात की योजना के अन्तर्गत अभी तक 10 ट्रालर आयात किये गये हैं ।

(ख) 30 जलयानों की योजना के अन्तर्गत जिन कंपनियों को ट्रालरों के आयात करने की अनुमति दी गई है, उनके नाम, लाईसेंस की कीमत तथा अन्य तथ्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल ०टी० 8293/74]**

(ग) जी, हां ।

(घ) विस्तृत ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ङ) कुछ बड़े प्रतिष्ठानों और विदेशी कंपनियों द्वारा होने वाले मछली निर्यात व्यापार का गहन समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के प्रयोग से गहरा संबंध है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के व्यापार में काफी पूंजी लगती है और इसमें काफी जोखिम रहती है । इस संबंध में सरकार का सरकारी, गैर-सरकारी या सहकारी क्षेत्र के उन समस्त लोगों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में सहायता देने का विचार है, जिनमें यह कार्य करने की क्षमता मौजूद है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक अधिकारी द्वारा सरकारी आवास का अप्राधिकृत रूप से किराये पर उठाया जाना

3593. **श्री विजयपाल सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने तिमंजिले भवन में चले जाने के बाद सरकारी आवास को अप्राधिकृत रूप से किराये पर उठा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसका मासिक किराया कितना है तथा अधिकारी को कुल कितना किराया प्राप्त हुआ है ; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के (आवास आवंटन) नियम 1960 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आवासीय निकाय (पूल) से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक डिप्टी-रजिस्ट्रार को दिसम्बर, 1972 में एक सरकारी मकान दिया गया था । ऐसी खबर है कि उक्त डिप्टी रजिस्ट्रार ने संस्थान द्वारा दिये गये उस आवास को उसी संस्थान के एक वैज्ञानिक को 5-1-74 से 375 रु० मासिक किराये पर दे दिया है । उक्त मुख्य आवास से लगे हुए नौकर के क्वार्टर को भी उसने 100 रु० मासिक किराये पर अगस्त 1973 से ही दे रखा है । मुख्य आवास और नौकर के क्वार्टर में रहने वाले व्यक्तियों के कथनानुसार क्वार्टर के मालिक को मुख्य आवास का 28-2-1974 तक का और नौकर के क्वार्टर का 31-3-1974 तक का किराया दिया जा चुका है । इस आधार पर कथित डिप्टी रजिस्ट्रार ने दोनों क्वार्टरों के किराये के रूप में कुल 1,501.60 रु० प्राप्त कर लिया है । लेकिन सम्बद्ध डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस बात से इंकार करते हुए कहा है कि उसने न तो क्वार्टर का कोई भाग किराये पर दिया है और न तो उनसे किराये के रूप में कोई रकम ली है । उसने कहा है कि उसने मुख्य आवास में अल्प अवधि के लिए उक्त वैज्ञानिक को मेहमान के रूप में तथा संस्थान के दो कर्मचारियों को नौकर के क्वार्टर में मुख्तया देख-रेख और निगरानी के उद्देश्य से रखा था ।

(ग) इस मामले में तथ्यों की पुष्टि के लिए निदेशक द्वारा नियुक्त समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके आधार पर निदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कथित डिप्टी रजिस्ट्रार ने सरकारी आवास को, आवंटन संबधी नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त वैज्ञानिक और कर्मचारियों को किराये पर दिया था और उसके खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की गयी हैं :

(1) 1-8-1973 से, जिस दिन से उसने नौकर के क्वाटर को किराये पर दिया था, उनके नाम सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है ।

(2) उक्त डिप्टी रजिस्ट्रार को आवंटन नियम के अन्तर्गत तीन वर्षों तक संस्थान में सरकारी मकान नहीं दिया जाएगा।

(3) अगस्त, 1973 से अर्थात् सरकारी आवास के आवंटन को रद्द करने की तिथि से, उक्त मकान को सरकार को सौंपने की अवधि तक का पैनल लाइसेंस फी उससे वसूल किया जा रहा है ।

(4) मकान में रहने वाले व्यक्तियों से लिया गया किराया उक्त डिप्टी रजिस्ट्रार से वसूल किया जा रहा है ।

(5) आचरण संहिता में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही भी आरंभ कर दी गयी है ।

Sansadiya Soudha

3594. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the work on the Sansadiya Soudha being constructed near Parliament House was started in June, 1969 and the same was to be completed in August, 1971 ;

(b) the reasons for delay in its completion and the time by which it will be completed ;

(c) the expenditure estimated initially to be incurred thereon and the present estimate ;

(d) the details of all additions and alterations made outside the intial desingn on which infructuous expenditure was incurred ;

(e) the names and designations of the persons on whose suggestions those alterations were made ; and

(f) the rules under which permission for such alterations involving infructuous expenditure was given ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes Sir.

(b) The contractor to whom the work was awared, stopped the work in January, 1973. The balance work, therefore, had to be retendered and awared to another contractor in April, 1973. The work of intrior designing and decoration entursted to specialist in the field has been delayed because these specialists have taken more time than anticipated to finalise their scheme of interior designing and decoration, Efforts will, however, be made to complete this building by June, 1975.

(c) The original estimate was Rs. 1.57 crores, the revised estimate Rs. 2.07 crores, It is, however, likely that in views of the rise in the cost of material, labour etc., and increase in the scope of work, this may have to be further revised. It is, therefore, not possible, at this stage, to assess the final cost of the project.

(d) (1) Dismantling of half brick masonry walls to VIP rooms as per requirements of user.

(2) Dismantling of certain construction to increase the utility area of the terrace.

(3) Dismantling of some brick partition walls to enlarge the toilet blocks.

(4) Dismantling of partition walls to increase utility of the VIP rooms where additional toilet was desired and cafeteria arrangement for interior design purposes. And

(5) Shifting of air-conditioning ducts to suit the rivised layout of kitchen and dining hall necessitated due to revised requirement of banquet hall and restaurant.

The rough cost of the extra expenditue on account of these alterations is Rs. 25,630. Final expenditure will be arrived at after scruitiny.

(e) & (f) Such additons/alterations cannot be attributed to any individual person, as these were carried out as a result of discussions in meetings held from time to time. The Government is competent to sanction such alterations while keeping in view the needs and requirements as for improving the utility of a building.

दिल्ली में गैर-सहायता प्राप्त स्कूल

3595. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों या प्रिंसिपलों द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं किए जाने पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जैसा कि माडर्न स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल और एयर फोर्स सेन्ट्रल स्कूल के मामले से प्रकट हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने आरोपों की जांच करने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक संघ ने शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और लोक सभा की याचिका समिति को प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापनों में, प्रश्न में उल्लिखित स्कूलों सहित कुछ स्कूलों में वित्तीय तथा अन्य प्रकार की अनियमितताओं का आरोप लगाया है । दिल्ली प्रशासन ने इन सभी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए कदम उठाए हैं और वे संबंधित स्कूलों के लेखों का विशेष रूप से निरीक्षण कर रहे हैं तथा उसके पश्चात् दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों व उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) जी, नहीं ।

उच्च शिक्षा के केन्द्र

3597. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक मूल्यांकन समिति ने विश्वभारती बनारस, मद्रास, कलकत्ता तथा पूना विश्वविद्यालयों के छः उच्च शिक्षा केन्द्रों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थाई समिति की सलाह पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, उच्च अध्ययन के विभिन्न केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की मूल्यांकन समितियां नियुक्त की थीं । इन समितियों की रिपोर्टों के आधार पर स्थाई समिति ने आयोग को सिफारिश की थी कि 1 अप्रैल, 1974 से निम्नलिखित केन्द्रों को कोई वित्तीय सहायता न दी जाए :—

(1) भौतिकी में उच्च अध्ययन केन्द्र, मद्रास विश्वविद्यालय ;

(2) भू-गर्भ शास्त्र में उच्च अध्ययन केन्द्र, सागर विश्वविद्यालय ;

(3) गणित में उच्च अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय ;

(4) इतिहास में उच्च अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय ;

(5) दर्शन शास्त्र में उच्च अध्ययन केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ;

(6) दर्शन शास्त्र में उच्च अध्ययन केन्द्र, विश्व भारती ;

(7) भाषा विज्ञान में उच्च अध्ययन केन्द्र, दक्कन उत्तर स्नातक-कालेज तथा अनुसंधान संस्थान, पूना विश्वविद्यालय।

आयोग ने 8 जुलाई, 1974 को हुई अपनी बैठक में स्थाई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और निर्णय किया कि 1 अप्रैल, 1974 से उच्च अध्ययन के उक्त केन्द्र अब मान्यता प्राप्त केन्द्र नहीं रहेंगे। इस मामले का संबंध आयोग से है।

गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली द्वारा वनस्पति घी के डिब्बों पर लिखी मात्रा से कम घी वाले डिब्बों की सप्लाई

3598. **श्री विक्रम महाजन :** क्या कृषि मंत्री गणेश फ्लोर मिल्स दिल्ली द्वारा डिब्बों में वनस्पति घी की कम मात्रा भरने के बारे में 22 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं 111 तथा गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली द्वारा वनस्पति के चार किलो के डिब्बे अधिक संख्या में बनाये जाने के संबंध में 29 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न सं० 117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुकानदारों से कहा गया कि यदि राशन कार्डों पर 1 किलोग्राम अथवा 2 किलोग्राम घी सप्लाई करना है तो वे चार किलोग्राम के वनस्पति घी के डिब्बे की सील तोड़ कर खुले घी की सप्लाई करें ;

(ख) क्या दुकानदारों से घी कम तोलने के लिए भी कहा गया क्योंकि मिलों द्वारा डिब्बों में घी पूरी मात्रा में नहीं भरा जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार दुकानदारों को जो घाटा होता है उसे किस प्रकार पूरा करने का विचार है ; और

(घ) इस कदाचार के लिए उत्तरदायी मिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) नियमानुसार, खुले वनस्पति की बिक्री 16.5 कि० ग्रा० के डिब्बों अथवा 25 से 45 किलोग्राम की क्षमता के जस्तेदार इस्पात के ड्रमों से घी निकालकर की जाती है। तथापि, गंभीर कमी की अवधि के दौरान, और वितरण के लिए सहज उपलब्ध डिब्बों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली प्रशासन ने 4 किलो ग्रा० और 2 किलो ग्रा० के डिब्बों में से भी घी की बिक्री करने की अनुमति दी है।

(ख) से (घ) जी नहीं। सभी डिब्बों की मात्रा घोषित निबल वजन के अनुसार पूरी होनी चाहिये। यदि किसी डिब्बे में कम मात्रा पायी जाती है, तो व्यापारी निर्माता से उपयुक्त मुआवजा प्राप्त कर सकता है, लेकिन संगत कानून के उल्लंघन के लिए निर्माता के विरुद्ध बिना भेद भाव के कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

Sale of Small Plots

3599. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the land khasra Nos. 726/629/217/1 and 726/629/217/2 of Ghazipur along the road of Khichripur (Patpadganj) had been acquired ;

(b) whether Delhi High Court had also given stay orders in private sector in regard to the said land ;

(c) whether the said land is being sold after making small plots thereof and complaints from some local people have also been received in this regard; and

(d) if so, the action taken by Government to stop the sale of this land ?

The Minister of State in the department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (d) : A total area of 37 bighas and 7 biswas of land comprising of Khasra Nos. 726/629/217/1, 726/629/217/1/1 and 726/629/ 217/ 1/2 was acquired in village Ghazipur. On the writ petion filed by the owner, Delhi High Court issued a stay order. At the order of the High Court, possession of the land has also been restored to the owner. The writ is pending in the Court.

Refusal of Admission to a Harijan student in Hindu College, Delhi

3600. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare And Culture** be pleased to state :

(a) Whether his attention has been drawn to the news item published in a local Hindi daily dated the 27th July, 1974 to the effect that a Harijan student was not given admission in M.A. Philosophy in Hindu College ; and

(b) The action taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Social Welfare And Culture (Prof. S Nurul Hasan) :

(a) Yes, Sir.

(b) According to the rules of the University, post-graduate students are not specifically allotted to any college. In this particular case, the student could have sought admission to any other college of the University instead of insisting on a particular college.

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की हुगली में स्नान न करने की सिफारिश

3601. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने यह सिफारिश की है कि हुगली नदी में 100 किलोमीटर की दूरी तक स्नान न किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) : जी नहीं । कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने कलकत्ता महानगर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से होकर बहने वाली हुगली नदी के प्रदूषण की मात्रा तथा इसके प्रदूषण के संभावित स्रोतों का सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान को लगाया है । अगस्त, 1973 में दी गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने कल्याणी से बिरलापुर के बीच बहने वाली हुगली नदी में प्रदूषण के स्रोतों की एक सूची तैयार की है । सर्वेक्षण अभी चल रहा है तथा आशा है कि संस्थान अगली रिपोर्ट यथा समय दे देगा ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री ज्योर्तिमय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :—

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अनुमति नहीं दी । मैं आपके बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : पश्चिम बंगाल में विशेषकर स्यालदह डिवीजन में रेलगाड़ियों में डकैती की घटनायें एक साधारण सी बात बन गयी है । इस संबंध में रेल मंत्रालय की कुछ जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई कानून और व्यवस्था की बात है तो इसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार है । आप यहां हर बात पर चर्चा नहीं कर सकते । मैं किसी को अनुमति नहीं देता । मैं अगले विषय की ओर जा रहा हूं । (**व्यवधान**)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : एक ही स्थान पर 7 अथवा 8 महीनों में 133 हत्यायें हुई हैं । यह एक असामान्य मामला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि अपराध रेलवे में होता है तो क्या रेलवे इसके लिये जिम्मेदार नहीं है ? रेलवे सुरक्षा बल पर प्रति वर्ष लाखों रुपये व्यय होते हैं । यह होने पर भी 7 महीनों के अंदर केवल स्यालदह डिविजन में 135 हत्यायें हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति ऐसी ही है (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह कानून और व्यवस्था का एक ही उदाहरण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर विषय और हर बात पर स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे स्थगन प्रस्तावों को टाल देते हैं । मेरे प्रति आपका व्यवहार कितना भेदभावपूर्ण है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दस्तावेज

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवेदन (1974—खंड 1 और 2)।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8271/74]

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): हर समय अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: इसमें 1400 पृष्ट हैं जिनका अनुवाद हो रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): सभा पटल पर रखी गयी रिपोर्ट में क्या इस बात का जिक्र है कि यह पूरा प्रतिवेदन नहीं बल्कि एक अंतरिम प्रतिवेदन है?

अध्यक्ष महोदय: इसके बारे में उस दिन निर्णय लिया गया था। इन्हें यह प्रश्न छोड़ देना चाहिये था, बार-बार खड़ा नहीं होना चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अन्तरिम रिपोर्ट है अथवा निष्कर्ष अंतिम नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: श्री सुब्रह्मण्यम क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: मैंन यह सारा प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है।

श्री समर गुह (कंटाई): मैं जानना चाहता हूं क्या रिपोर्ट का कोई अन्य भाग आ रहा है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: यह पूरा प्रतिवेदन है। कोई अन्य भाग नहीं आ रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 6031 के 8 अप्रैल, 1974 को दिये गए उत्तर में शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): मैं (एक) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु, में चीनी कारखानों द्वारा अदा किये गये गन्ने के मूल्य के बारे में श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण के अतारांकित प्रश्न संख्या 6031 के 8 अप्रैल 1974 को दिये गये उत्तर मे शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8272/74]

गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 को उदघोषणा के अन्तर्गत दस्तावेज

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति :—

(एक) सुरेन्द्र नगर जिले में लिम्बड़ी में 27 अप्रैल, 1973 को हुई घटनाओं तथा पुलिस की गोली-बारी संबंधी प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों के अंग्रेजी संस्करण के साथ उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखें जाने के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8273/74]

Snri P.G. Mavlankar (Ahmedabad) : Hindi version of the papers regarding Gujarat laid on the table have not been placed with these papers. Hindi translation should come simultaneously.

Shri R.V. Bade (Kasgone) : you said that Hindi translation will come but despite that hon. minister says........

Mr. speaker : This point is raised every now and then.

Shri Atul Bihari Vajpayee (Gwalior) : You should see whether the delay in Hindi Translation is justified?

Mr. Speaker: We will talk to them.

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, के अन्तर्गत जारी आदेश राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत निगम के वर्ष 1971–72 के लेखे तथा गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 को उद्घोषणा के अन्तर्गत बम्बई काश्तकारी तथा कृषि भूमि नियम, 1974 :

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (लाने-ले जाने पर नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० कां० नि० 360 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 8274/74)]

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8275/74]

(3) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई काश्तकारी तथा कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 82 के अन्तर्गत बम्बई काश्तकारी तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 26 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या जी०एच०एम०/74/143/टी०एन०सी०/1073/38622-जे० में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8276/74]

राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा०आ० 441 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

(2) सा०आ० 442 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8277/74]

बालकों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति पर सरकारी संकल्प

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं श्री अरविंद नेताम की ओर से बालकों संबंधी राष्ट्रीय नीति पर दिनांक 22 अगस्त, 1974 के सरकारी संकल्प (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8278/74]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8279/74]

श्री समर गुह : सरकार केवल एक ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट प्रस्तुत करती आ रही है उसके साथ अन्य संस्थानों की रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की जाती। इन सब संस्थानों की रिपोर्टें एक साथ प्रस्तुत होनी चाहियें। खड़गपुर संस्थान की रिपोर्ट सदन में क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी और इसमें क्यों विलम्ब हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: ज्योंही कोई रिपोर्ट तैयार हो जाती है। उसी समय उसे सभा पटल पर रख दिया जाता है।

Shri D.P. Yadav: I want to assure the hon. members that the remaining reports will be placed on the table of the house as soon as possible.

दिनांक 28 जुलाई, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 899 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित न करने के कारण

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं मारुती लिमिटेड के अंशधारियों को आयात हकदारी देने के बारे में दिनांक 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 899 के उत्तर में वाणिज्य उपमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियाविन्त न करने के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8280/74]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे पांच प्रश्न विचाराधीन हैं और सब से पहला प्रश्न 14 दिसम्बर, 1974 का है। ये सब प्रश्न मारुति के बारे में हैं। सबके उत्तर लगभग यही हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न यह है कि इस लड़के ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से 7 करोड़ रुपया का अनुरोध किया है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : After going through the old record, I have come to know that reply to my five questions have not come even after 4 years. Reply to one of the questions dated 4th August, 1974 has not come so far. Similarly another question dated 1st April, 1970 is still unreplied.

Mr. Speaker: You are talking about previons Lak Sabha.

Shri Madhu Limaye: Is it not a case of contempt of the house and a question of previlege?

Mr. Speaker: You were also not here for two or two and a half years after 1970.

Shri Madhu Limaye: These questions............**(Interruptions)**

A letter of import entitlement was issued to the share-holders as well as Directors of Maruti Limited. Has there been an interchange ? Most of the investors of Maruti Limited are corrupt. As no reply is forthcoming to my questions. I want ycur guidance in this dealing.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Why should there be delay in giving reply to the questions pertaining to Maruti. One year has passed and still no reply has been given to these questions.

Mr. Speaker: A figure no where in the picture.

Shri Atal Bihari Vajpayee: You should not avail it in this way. If this is the attitude of the Government then what is the significance of assurances in the House.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस पर चर्चा की अवश्य अनुमति मिलनी चाहिये। सभा में दिये गये आश्वासनों विशेषतः मारुति के बारे में पालन न किये जाने के बारे में सभा को चर्चा करने का अवश्य अवसर दिया जाना चाहिये। यह सभा का अपमान है। क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे समस्त तथ्यों का पता न चले तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं मारुति लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराधों की जांच के बारे में दि० 1 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1431 के उत्तर में उनके द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित न करने के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० 8281/74]

राज्य सभा से संदेश

Massage from Rajya Sabha

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देनी है :

"कि राज्य सभा ने 23 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने की अवधि राज्य सभा के 91वें सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाई गई है।"

Shri Madhu Limaya (Banka): Sir what have you decided on that point? I want to raise a point of order. No paper can be laid on the Table unless the speaker has seen it.

अध्यक्ष महोदय : पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने से रोका नहीं जा सकता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): How can you adopt double standard regarding laying paper on the Table? Members are not allowed to lay papers unless you have seen them. Are the different rules for the Ministers?

श्री समरगुह (कन्टाई) : मद संख्या 10 के बारे में मैं एक प्रक्रिया संबंधी मामला उठाना चाहता हूं । मारुति की स्थिति में इतनी तेजी से परिवर्तन होता रहता है कि इसके शेयर एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित हो रहे हैं। इसमें सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि इस मामले से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रधान मंत्री का नाम सम्बद्ध है **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस मामले के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं । .

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया

Calling attention to a matter of urgent Public Importance

नई दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली और बनारस आदि रेलवे स्टेशनों पर मालडिब्बों से माल का न उतारा जाना

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon. "The reported large number of railway wagons containing essential consumer goods awaiting unloading at New Delhi, Ghaziabad, Lucknow, Bareilly and Banaras railway stations etc. resulting in acute shortage of goods in the market and a chain reaction on the entire goods movement on railways."

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): It is a fact that a large number of wagons are held up for unloading in some yards and goods sheds of Northern Railway particularly the Goods Shed and the Mineral Sidings at New Delhi where the number of such wagons was 661 on 22-8-1974. These wagons contain all sorts of commodities such as foodgrains, cement, soap, match boxes, paper, tyres, machinery, iron & steel, rubber foam, miscellaneous smalls etc. In addition consignments to the extent of 302 wagon loads of various commodities already unloaded were lying on the ground in the Goods Shed and Mineral Sidings at New Delhi awaiting removal on 22-8-1974. Because of slower removal of unloaded goods lying on the ground by the consignees further placement of the loaded wagons in the goods shed has been adversely affected resulting in accumulation of wagons in the yard and restrictions on fresh booking. The number of loaded wagons awaiting placement and unloading at Ghaziabad, Lucknow, Bareilly and Varanasi was 90,300,135 and 22 respectively.

Wherever possible, consignees have been contacted for expeditious removal of goods from the shed premises and releasing the detained loaded wagons. Removal notices required under Section 56 of the Indian Railways Act are being served on the owners of the goods. If the goods are not taken delivery thereafter the goods are liable to be auctioned after giving fifteen days' notice of the intended auction through the newspapers under Sections 55 and 56 of the Indian Railways Act. Wharfage and demurrage as per rules is being levied.

As non-release of these wagons would result in delayed supply of essential commodities which in turn would cause avoidable hardship to the general public, it was considered necessary to inform the public through the press about the detentions caused by the trade.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, not only in the Northern Railway but in certain other Railways also wagons containing essential commodities are held up at the various stations pending clearance of consignments from the goods sheds. According to the press reports more than four hundred wagons have crowded in and around Jaipur station of Western Railway. May I know the number of such Loaded wagons held up at the various places of the country?

Secondly, is it not a fact that large number of loaded wagons which contain essential commodities which are in short supply in the country are stranded at the various stations and that the traders are not taking the delivery of these goods so that they may get increased prices by creating scarcity ? Is it also a fact that the rates of demurrage charges Railways are much lower than the rates of private godowns as a result of which traders take undue advantage of Railway godowns by not removing goods expeditiously?

Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government have become so helpless and powerless that they can not ask the traders directly to remove their consignments from the goods sheds and release the wagons in time. How is it that the Government had to inform the people of the country through press release that traders are not cooperating with the Government in making the essential goods available to them? May I know whether the Railways have no right to get the wagons released by the traders to aviod the situation of scarcity deliberately created by the traders? I would also like to know whether the government propose to amend the Railway Act and if so whether the amending measure will be brought in the current session. May I also know whether through the proposed amendment consignees will not be able to hold up the wagons for the period of 22 days? I would also like to know the reasons for which any action is not being taken against the traders under Misa or D.I.R. who create scarcity of essential goods by holding up the wagons.

I would also like to know from the hon. minister the name of the Railway Officer who told the hon. minister when he visited the Railway station that the traders could not remove their consignment due to the paucity of funds (*Interruptions*). Why he pleaded the case of traders? Is there any collusion?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: If it was the case of collusion then why should have he released a press report in this regard. It has been correctly observed that uncsurplous traders do not remove their goods in time from the Railway godowns wherever their is scarcity of goods in particular areas. Keeping there things in mind we increased the rates of demurrage in 1972 to Rs. 134.40 for one day. Rs. 295.68 for the second day and Rs. 510.72 for the thirdday in the case for Box Wagons. The rates of wharfare were also raised upward. Inspite of this increase traders do not get the delivery of enssential goods in time resulting in the present situation in Delhi. According to the present provisions removal notices are served on the owners of the goods after 7 days of the placement of the consignments. If they do not take delivery thereafter the goods are auctioned after giving fifteen days notice of the intending auction through the newspapers. But at this stage also traders manipulate the situation in such a way that Government do not get the due price of the things so auctioned. Now it has been decided that the period of 22 days is reduced to 7 days to deal with the situation. We also propose that the goods which are not removed within this period should be sent to Super Bazar or to the Co-operative stores for sale. For this step we will have to amend the existing rules so it is not correct to say that Government are not taking any steps to deal with the situation.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the hon. Minister is aware of the argument placed by a Railway Officer for the traders regarding bad economic condition of the traders ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It might be their genuine difficulty. But I have not accepted this argument. (Interruptions)

Shri S.M.Banerjee (Kanpur) : Sir, about 125 workers and leaders of the Communist party have been arrested in Delhi because of the fact that they wanted to get the wagons unloaded. But Government have not taken any steps against the five traders who are responsible for holding up the wagons unnecessarily.

It is a well known fact that the traders have developed a tendency to aggravate the situation of scarcity of essential goods by not taking delivery of their consignments in time thereby earning huge profits as a consequence of increase in price to a large extent. I charge the big officer of Railway Board of having their hands in these nefarious activities of the traders. I also demand that an enquiry should be made into the mătter. It should be found out whether these officers are not in collusion with the traders. When this matter was discussed here last time certain members demanded that mere time for the clearance of goods from the Railway godowns and goods sheds should be given to the traders. But the hon. Minister did not accept this demand. (Interruptions)

I appreciate the idea mooted out by the hon. Minister that the goods not cleared in time should be sent to Super Bazars. I request that the hon. Minister should be courageous enough to implement this effective proposal.

So far as the notices are concerned they were never served on the families of the striking employees of Railway before the poor persons, women and children had been thrown out of the quarters by the Railway Protection Force. What is the necessity of serving any notices to the traders when they do not take delivery of their goods within the stipulated period ? I have reasons for my contention that unless these unscrupulous traders are put behind the bars they will not mend their ways. It is unfair on the part of the Government that they have arrested the persons who took part in dehoarding campaign. May I know whether these persons will be released ? I want to mention one more point. If the wagons so held up are not released shortly and no action is taken by the Government in this regard we will again launch campaign against hoarding and the conspiracy hatched by the traders and the bureaucrats without any consideration of the consequences. May I know whether the hon. Minister will constitute a committee to investigate into the matter ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The hon. Member has mostly made the suggestion which are being implemented. Under the existing rules goods can not be confiscated by the Government. But we have decided that such goods should be sent to Super Bazars for sale and the State Governments are being directed accordingly.

So far as the punishment to the traders is concerned, this step is to be taken by the State Governments. We can give our fullest co-operation to the States.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कुछ अधिकारी व्यापारियों के साथ मिले हुये हैं ? मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच करने के लिये एक समिति या आयोग नियुक्त किया जाये ।

श्री मुहम्द शफी कुरेशी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । यह जानकारी प्रेस को रेलवे अधिकारियों ने ही दी है कि आवश्यक वस्तुओं को रेल गोदामों से उठाया नहीं जा रहा हैं । अतः उसमें किसी सांठ-गांठ का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Mohinder Singh Gill (Ferozepore) **:** The proposal regarding the sale of goods not taken away by the consignees within the prescribed time limit through Super Bazars or Co-operative Stores is praise-worthy. I would like to know whether enquiries have been held to find out if certain political parties or Jan Sanghis are not in league with the traders to create disorder in the country.

Mr. Speaker : Why should he mention the name of any political party ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I have already pointed out we have reduced the period for 22 days to 7 days to deal with the unscrupulous traders. I have no information regarding any collusion between the political parties and the traders.

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) **:** There was a statement of Deputy Minister for Railways Shri Mohd. Shafi Qureshi that Railways would take all possible steps to meet this new technique of hoarding. It can auction the goods only after 22 days. It does not have any power to forfeit the goods. It appears that there is some controersy in this regard between the Home Minister and Railway Minister. In the circumstances such things would continue.

It appears that there are many loopholes in Railways Rules. Traders make different excuses and their warfage or demurrage is waived. Some, times, they say that adequate labour is not available for unloading purposes and some time they make excuse of broken seals. It is all done with the collusion of traders, employees and leaders.

On the one hand, there is scaricity of essential commodities due to non-availability of wagons for their transportation, while, on the other hand, wagons are always found standing at different Railways Stations. Sometimes, it is said that these wagons need repairs. Has the Government taken any action to repair such wagons ?

Railways is not merely a Government Department. It is a commercial Department. Hence a study should be undertaken sabout the revenue earned by a rail wagon when it is in operation and then demurrage be levied on the traders to conpensate the loss of that revenue. Railways should employ permanent labour force so that traders are not able to say that unloading can not be done due to non-availability of labourers. There is a conspiracy in the Railways to complicate the problem of transportation of foodgrains. Therefore, a Parliamentary Committee should be set up to enquire into this.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is not correct to say that there is no co-ordination between Railway Ministry and the Home Ministry. However, it is a fact that certain unscrupulous traders are not lifting their goods from the railway godowns and wagons. Keeping this in view, we have taken a decision that the period of 22 days be reduced to 7 days. There is no collusion between traders and Railways employees. From 1st to 20th of September, demurrage charges totaling Rs. 16157/- were imposed on traders and out of these an amount of Rs. 15910/- was daily recovered. However, keeping in view the difficulties of tratders this recovery is waived in certain cases. So far as essential commkdities are concerned, the rules are being amended so that no recovery is waived.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) **:** The discussion has made it clear that scarcity in respect of essential commodities is not due to their shortage. In fact, it is due to unscrupulous traders who create unnatural scarcity.

The Railway Minister has assured that Railway Rules would be amended to provide for disposal of essential commodities during the seven days. May I know whether it would be possible to amend the provision by amending the Rules when Section 55 and 56 provide for a specified period ?

It is proposed that the goods not removed by the traders would be sent to Super Bazars or Government Co-operative Stores. May I know whether it is permissible under the Rules ? Merely disposing of goods through Super Bazars or Co-ops, is not going to solve the problem. The Government should be firm with those who are indulging in economic offences. If it is not possible to use DIR or MISA, the Government should amend Railway Act accordingly and these people should be put behind the bars.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Government has decided to amend the Rules to reduce the time-limit allowed to the Traders. So far as the utilization of Railway wagons is concerned, if it is considered necessary to amend the Rules to remove bottlenecks, if any it would also be done.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समीति

Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

28वां और 29वां प्रतिवेदन

श्री डी० बासुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग)—(एक) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (मुख्यालय गठन); (दो) भिलाई इस्पात संयंत्र; (तीन) राउरकेला इस्पात संयंत्र; (चार) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और (पांच) बोकारो स्टील लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियुक्ति के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(2) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन प्रभाग) —चुनिदा मुख्य पत्तनों अर्थात् पश्चिमी तट पर बम्बई, मरमुगांव तथा कोचीन; और पूर्वी तट पर मद्रास, विशाखापत्तनम तथा कलकत्ता पत्तनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियुक्ति के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

बागान उद्योग तथा व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में याचिका

Petition re. Nationalisation of Plantation Industry and trade.

श्री बीरेन दत्त (दीपू): मैं बागान उद्योग तथा व्यापार के राष्ट्रीय ऋण के बारे में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं। जिस पर अखिल भारतीय बागान श्रमिक संघ कलकत्ता के उप-प्रधान श्री रतन लाल ब्राह्मण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए हुए हैं।

उप कुलपतियों के चयन आदि में एकरूपता के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 668 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement Correcting answer to starred Question No. 668 re. Uniformity in Selection etc. of Vice Chancellors

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरूल हसन) : मैं (एक) उप-कुलपतियों के चयन, नियुक्ति तथा पदावधि में एकरूपता के बारे में श्री नारायण चन्द परासर के तारांकित प्रश्न संख्या 668 के 15 अप्रैल, 1974 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

श्री नारायण चन्द पराशर द्वारा 15 अप्रैल, 1974 को इस सदन में उप-कुलपतियों के चयन नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 668 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में यह बताया गया था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इस स्थिति में छोटी सी अशुद्धि थी। यद्यपि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्व-विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय तथा विश्व-भारती विश्व-विद्यालय के अधिनियमों में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की 65 वर्ष की अवस्था पर सेवानिवृत्ति का उपबन्ध किया गया है बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिनियमों में इस प्रकार का उपबंध करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

इस बात का खेद है कि इस गलती का पहले पता नहीं लगा।

सदस्य के आचरण के बारे में

Re. Conduct of Member

Mr. Speaker : An hon. member came in the House in a drunkard state and created a lot of fuss. An other Member has written to me in this regard. His conduct has not been approved by any body. On earlier occassions also, I had received complaints against him. Such a conduct can not be tolerated. Police can take action against such behaviour outside, but here I and the House can take action. I am thinking over the matter.

नियम 377 के अधीन मामले

Matters under Rule 377

पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में राजनीतिक कारणों से नजरबन्द किये गये लोगों के प्रति मानवीय व्यवहार करने और उन्हें राजनैतिक कैदियों का दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मैं सभा का ध्यान अमरीका, कनाडा और स्वीडन में रहने वाले भारतीय विद्वानों सहित, वहां के सैकड़ों प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के हस्ताक्षरों से युक्त जारी किए गए एक वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं। यह वक्तव्य न्यूयार्क में, 'मंथली रिव्यू' में प्रकाशित हुआ है और इसमें भारत सरकार से कहा गया है कि राजनैतिक कैदियों को राजनैतिक नजरबन्दियों का दर्जा दे तथा उन्हें तंग करने के अन्य तरीके छोड़ दे। सरकारी अनुमानों के अनुसार, केवल पश्चिम

बंगाल में ही लगभग 10,000 राजनैतिक बन्दी हैं। इन व्यक्तियों को बिना मुकदमें चलाएं व सजा दिये, जेलों में रखा गया है। जेलों में उन पर अनेक अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्यों व समाचारों से हमारे देश के नाम पर धब्बा लगता है। अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस प्रकार की बातें प्रकाशित हो रहीं है। अतः सरकार को इस प्रकार का रवैया छोड़ना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. Deputy Speaker in the chair.

लखनऊ की घटनाओं के बारे में

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं सभा तथा गृह मंत्री का ध्यान कल लखनऊ में हुई घटनाओं की ओर दिलाता हूं। समाचारों के अनुसार, जयप्रकाश नारायण की सभा में सम्मिलित होने के पश्चात् हजारों छात्रों ने तोड़फोड़ प्रारंभ कर दी। उन्होंने बस चालकों एवं कंडक्टरों को उनके बताये हुए रास्तों पर बसें चलाने को कहा। एक कंडक्टर को पीटा गया। उन्होंने रेलवे संपत्ति पर भी हमला किया।

Shri Madhu Limaye (Banka): Amnesty International has prepared a very damaging report about conditions in jails in India. In the circumstances, the Minister should be asked to give a statement about the matter raised by Shri Mukherjee.

आस्ट्रेलिया के बैंकों द्वारा राज्य व्यापार निगम को काली सूची में दर्ज करने के समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwailor): There are reports in some News papers that Austreli in Banks have black listed the State Trading Corporation. It has been done because the Corporation has adopted such methods for importing woo l into India which are considered un-bussinesslike by the Banks there. The Minister should make a Statement in this regard.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : पेरिस में गत वर्ष 'एमनेस्टी इन्टरनेशनल' का सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व में राजनैतिक बन्दियों के साथ किये जा रहे व्यवहार की समीक्षा की गई थी। उसमें भारत में राजनैतिक कैदियों के साथ किये जा रहे व्यवहार की भी निन्दा की गई थी। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उस पर एक वक्तव्य दें।

नेताजी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने 10-15 दिन पूर्व सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि खोसला आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उस समय श्री दीक्षित जी ने कहा था कि सत्र के समाप्त होने के 4-5 दिन पूर्व प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। उस दिन इस बिलम्ब का कारण यह बताया गया था कि हिन्दी अनुवाद तैयार नहीं। आज हिन्दी अनुवाद के बिना भी अनेक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गए हैं। फिर जब यह वक्तव्य दिया गया था उस समय सत्र 30 अगस्त, 1974 को समाप्त होना था। आज 26 अगस्त, 1974 हो गया, परन्तु अभी तक प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रखा गया है। महानतम क्रांतिकारी को मृत घोषित करने का षडयंत्र किया जा रहा है। अतः प्रतिवेदन शीघ्र पेश किया जाये जिससे उक्त षडयंत्र का पर्दाफाश करने का हमें अवसर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा अध्यक्ष महोदय को संबोधित 24 अगस्त 1974 का एक पत्र अभी प्राप्त हुआ है। उसमें कहा गया है कि प्रतिवेदन की अंग्रेजी भाषा की प्रतियां

आज ही प्राप्त होने की संभावना है। परन्तु हिन्दी संस्करण की प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं है और संसद् के सत्र के समाप्त होने से पूर्व उपलब्ध होना संभव नहीं। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रतिवेदन पर सरकार को अभी विचार करना है। अतः सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रतिवेदन देना भी संभव नहीं है। श्री दीक्षित ने आगे कहा है कि यदि अध्यक्ष की अनुमति हो तो वह 28 अगस्त, 1974 को प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपर) : यह प्रश्न सभा में श्री समर गुह ने अनेक बार उठाया है और हमने उनका समर्थन भी किया है। मेरा अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय को सभा के विचारों से अवगत कराया जाये। प्रतिवेदन संसद् के समक्ष प्रस्तुत होना ही चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा अनुरोध है कि 28 तारीख को प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाए। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का यह अर्थ नहीं कि सरकार उस पर तुरन्त कार्यवाही करें। सरकार मामले पर विचार करने के लिए काफी समय ले सकती है कई ऐसे प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जा चुके हैं जिन पर कार्यवाही काफी बाद में की गई। अतः इस प्रतिवेदन को भी सभापटल पर रखा जाए।

Shri Dhanshah Pradhan (Shahdol) : It has been reported in 'JHindustan' that crops in Sidhi, Shahdol and Rewa in Madhya Pradesh have been so badly damaged that people in those areas are compelled to eat grass and leaves. The Agriculture Minister should rush some foodgrains there so that the people have something to eat. I am raising this matter under 377.

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : पश्चिम बंगाल के बांकुरा-पुरलिया ज़िलों में गंभीर अकाल की स्थिति फैली हुई है और वहां पर लाखों की संख्या में लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। चोर बाज़ार में खाद्यानों के बहुत अधिक मूल्यों और उचित मूल्य की दुकानों पर उनके उपलब्ध न होने के कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है। यह एक गंभीर मामला है। संवद्ध मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

Shri Genda Singh (Padrena) : A discussion should be held on the report of the Sugar Commission.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस सभा के सदस्य श्री ईश्वर चौधरी को बिहार में हाल ही में हथकड़ी लगायी गयी थी। जब यह मामला सभा में उठाया गया था उस समय अध्यक्ष महोदय व गृह मंत्री को आदेश दिया था कि तथ्यों को सभा के समक्ष रखा जाए परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया। यह किया जाना चाहिए। मेघालय में पुलिस के व्यक्तियों को केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार करके पीटा गया है। मिजोराम में सुरक्षा बल के कर्मचारी ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहे हैं सरकार इस संबंध में पूरे तथ्य बताने वाला एक वक्तव्य दे।

Shri K.N. Madhukar (Kesaria) : There has been a serious flood in champalan. More than seven lakhs of people are affected. No foodgrains are available in the ration shops and people are starving. The centre should send foodgrains there so that those people could be saved.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक--जारी

Essential Commodities Amendment Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

Shri Madhu Limye: The P.I. B. officers are supposed to handover all these papers and statements that are laid on the table of the house to the press correspondents but today the papers relating to 'Maruti Ltd' have not been circulated among the press correspondents.

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उक्त विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं। यदि माननीय सदस्य को किसी बात के बारे में शिकायत है तो वह उसे उचित मौके पर उठाए। उसे प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करें अथवा अध्यक्ष महोदय को लिख भेजें।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : उपाध्यक्ष महोदय मजिस्ट्रेट को दी गई विवेकी शक्तियों के विरूद्ध आपत्ति उठाई गई है। मेरा निवेदन यह है कि जब तक हम मजिस्ट्रेट को कुछ विवेकी शक्तियां नहीं देते न्याय नहीं किया जा सकता। सदस्यों ने उपायों को कड़े किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है यदि कुछ अपराध तकनीकी स्वभाव के हैं और मजिस्ट्रेट यह महसूस करता है कि वह अधिकतम सजा न दे तो उसे सज़ा कम करने की विवेकी शक्ति प्रदान की गई है। ऐसी ढील की व्यवस्था कई विशेष कारणों को ध्यान में रखकर की गई है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करता हूं पर मेरा अनुरोध है कि उपायों को कठोर बनाने के साथ साथ न्याय निष्पक्ष भी होना चाहिए। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तु पुजा) : मूल अधिनियम के बार-बार अपराध करने पर एक मास का कारावास अनिवार्य था और मजिस्ट्रेट के पास कोई विवेकी शक्तियां नहीं थी। सरकार ने मजिस्ट्रेट को दण्ड के संबंध में विवेकी शक्तियां किस आधार पर प्रदान की हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : दण्ड जितना कठोर किया जाए स्वविवेक का प्रयोग उतना ही आवश्यक बन जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and nagatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

"खंड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया"

Clause 6 was added to the Bill

खंड 7

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं अपना संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन को सभा पटल पर रखने का उद्देश्य 'जमानत योग्य' शब्द को हटाना है संशोधन विधेयक में 'जमानत योग्य' शब्द को हटाने का अर्थ है कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत अपराधों की जमानत

नहीं की जा सकेगी। परन्तु मात्र 'जमानत योग्य' शब्द के हटाने से बात नहीं बनेगी जब तक कि इसका अगला विकल्प उसमें नहीं जोड़ा जाता क्योंकि तब जमानत संबंधी स्थिति दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आएगी। इसके अतिरिक्त पहले ही जमानत किए जाने की व्यवस्था भी उसमें है। इसलिए इस संशोधी विधेयक के अन्तर्गत उन उदार उपबन्धों का लाभ उस अपराधी को तब भी मिलता रहेगा जिसने जमानत न किए जाने योग्य अपराध किया है। यदि सरकार वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत अपराध करने वाले लोगों की जमानत किए जाने के संबंध में गंभीर है तो उसमें कुछ और जोड़ना होगा और न्यायालय की शक्तियों को बड़ी सीमा तक कम करना होगा। जिसमें वे जमानत स्वीकार न कर सके, यदि इस संबंध में प्रत्यक्ष मामला बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 41 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 7 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8

Shri Atal Bihari Vajpayee : I beg to move my amendments No. 7 and 8.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 और 8 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"।

खंड 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill.

खंड 9

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड संख्या 9 को लेंगे। इस पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि—

"खंड 9 विधेयक का अंग बने"

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill.

खंड 11

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

खण्ड 11 विधेयक का अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बाकी के खण्डों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं, प्रश्न यह है,

कि "खण्ड 12, 13 और 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 12, 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 12, 13, and 14 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"खण्ड 1 विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक को पारित किया जाए"।

Shri Madhu Limye (Banka) : Mr. deputy speaker, under this Bill fresh powers have been given to the government to deal with economic offences but these powers are never exercised.

In this context I want to site the example of salt. Salt is an essential commodity Recently there was shortage of salt in Bombay and its price went upto 3 rupees a kilogram The traders say that it is none of their fault. The shortage is due to the non-availability

of wagons. Huge quantity of salt is lying in the areas of Saurashtra and Maharashtra but due to non-availability of wagon that salt connot be lifted.

It appears that even after the Bill is enacted there will not be any substantial change in the condition of scarcity of goods.

I also want to refer to the whole sale price of wheat and the mlilling margin of Roller mills. In Punjab, Haryana and others surplus states the whole sale price of wheat has been fixed 150 rupees per quintal. But nowhere it is availab'e on this rate. The price varies between 190 rupees to 220 rupees per quintal. The extra money goes in the pockets of traders and ministers.

About the milling margin of Roller mills. Last year the centre had decided that the milling magrin will be paid 80 rupees per tonne. But with the introduction of a new policy this upper limit of Rs. 80 remained no more compulsory for the owners of roller mills. Now this milling margin has exceeded to Rs. 200 per tonne. The roller mills will be able to earn a profit of seven crores and twenty lakh through it. When the milling margin was eighty rupees the owners of the mills were still earning the profit. What is reason of exceed. ing it substantially. Unless there is strength and will to curb these economic offences enactment of such legislations will serve no purpose.

श्री ज्योतिमर्य बसु (डायमंड हार्बर) : यह विधेयक केवल एक दिखावा मात्र है और इसके द्वारा लोगों से चाल खेली जा रही है। यह सरकार एकाधिकारियों की सरकार है और उनके हित में कार्य करती है। इस विधेयक में कई मदों को सम्मिलित नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल में जमाखोरी रोकने का आन्दोलन इसलिए त्याग दिया गया क्योंकि यह सरकार जोतदारी, जमाखोरों और चोर बाजारियों के बलबूते पर खड़ी है अतः सरकार इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कैसे कर सकती है। उन्हें कुछ रियायते तो दी जानी चाहिये। यदि सरकार कमजोर वर्ग के बारे में गंभीर है तो सरकार द्वारा खाद्यान्न का वितरण 11 लाख टन प्रति मास से घट कर इस वर्ष 7 लाख टन प्रति माह क्यों कर हो गया। सरकार एक और तो आवश्यक वस्तुओं के सुचारन वितरण हेतु विधान बनाने की बात करती है और दूसरी ओर वितरण प्रणाली को खण्डित कर रही है।

इस सरकार ने आखिर किया क्या है हर आवश्यक वस्तु गेहूं, डालडा, कोयला, मिट्टी का तेल और कपड़े इत्यादि सभी के मूल्य बढ़ गए हैं। बड़ी बड़ी जितनी कम्पनियाँ है उनके मुनाफे दुगने हो गए है। 'हिन्दुस्तान लीवर' का मुनाफा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। बड़ी बड़ी कम्पनियाँ अपनी निर्धारित लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन कर रही हैं ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी के मद्रास यूनिट की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 12,000 टन है पर वह 3,500 टन का उत्पादन कर रही है। इन कम्पनियों को 1 रुपये 25 पैसे अथवा डेढ़ रुपये प्रति किलो मैदा मिलता है जिसमें थोड़ा सा सैकरीन मिलाकर अटोमैटिक मशीन द्वारा सेक कर 12-16 रुपये प्रति किलो तक बेच रहे है। आप ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे है जो अधिष्टापित लाइसेंस और मान्य क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है दिल्ली में 20,000 क्विंटल गेहूं राजसहायता प्राप्त दर पर सप्लाई किया गया फिर भी लोगों को डबल रोटी नहीं मिलती। उन्होंने एक नई चाल चली है कि डबल रोटी का वितरण सहकारी समितियों के जरिए किया जाएगा और इन समितियों का नियंत्रण किनके हाथों में है। यह आप लोग जानते हैं। डबल रोटी लोगों को न दी जाकर चोर बाजार में बेची जाएगी। सरकार छापे मारने की बात करती है। श्री एस० के० मोदी के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। यह अफवाह है कि 20 लाख रुपया

देकर वह छूट गए। इस प्रकार पूंजीपतियों को तो छोड़ दिया जाता है परन्तु छोटे आदमियों को तंग किया जाता है।

17 जून को खाद्य मंत्रालय ने यह संशोधन किया कि यदि पुलिस संदेहास्पद गोदाम पर छापा मारना चाहती है तो उन्हें पहले खाद्य तथा सिविल सप्लाई आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। ऐसा संशोधन इसीलिए किया गया है ताकि पुलिस पहुंचने से पूर्व माल गोदाम से हटा लिया जाए। यही बात है कि 200 गोदामों पर छापा मारकर भी कुछ भी बरामद नहीं किया जा सका।

तस्करी, कर अपवंचन, विदेशी मुद्रा, नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार के पास व्यापक कानून नहीं हैं।

अखबारी कागज की चोर बाजारी के लिए सरकार स्वयं प्रोत्साहन देती है।

सरकार मूल्य सूचकांक के जाली आंकड़े तैयार करके श्रमिक वर्ग को धोखा दे रही है। मध्यस्थ निर्णायक ने स्वयं माना है कि जिन मूल्यों के आधार पर मूल्य सूचकांक तैयार किया गया था, वे मूल्य विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त नहीं हुए। अतः इस प्रकार की धोखाधड़ी की जांच की जानी चाहिए। सरकार ने इस्पात व्यापारियों से भी काफी धन इकट्ठा किया है। मई, 1974 में भारतीय अधिकारियों ने जापान का दौरा किया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात का मूल्य कम होते हुए भी अधिकारियों ने ऊंचे मूल्यों पर इस्पात के लिए क्रयादेश दिए। इससे देश को 50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस संबंध में जांच की जानी चाहिए।

मेरे विचार में इस विधेयक से कमजोर वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि सरकार इसका दुरुपयोग करेगी।

†**वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :** सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का खंडन करता हूं। मैं विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं क्योंकि इस समय हम उन पर विचार नही कर रहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या औद्योगिक कच्चा माल अत्यावश्यक वस्तु है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत इस्पात अत्यावश्यक वस्तु है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी, हां। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा कि इस्पात आवश्यक वस्तु है अथवा नहीं, मैं तो उन आरोपों का विरोध कर रहा हूं जो हमारे दल के विरुद्ध लगाए गए हैं.... ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी भ्रम हो रहा है क्योंकि मैंने केवल संशोधन विधेयक पड़ा है। हमें अधिनियम को ध्यान से देखना होगा। यदि उसमें इस्पात को अत्यावश्यक वस्तु कहा गया है तो यह एक बहुत बड़ी बात है। मेरे विचार में औद्योगिक विकास के लिए यह एक आवश्यक वस्तु हो सकती है। भारत में कितने प्रतिशत लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं? इसलिए मैं तो इसे आवश्यक वस्तु नहीं समझता।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अत्यावश्यक वस्तुओं को सूची बहुत लम्बी है। सीमित क्षेत्र वाले इस विधेयक में सभी मदों पर चर्चा करने से बड़ी कठिनाई होगी। मैं लगाए गए झूठे आरोपों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा उद्देश्य अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को कठोर और प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करना है। इसलिए सदस्यों को पूरा अधिकार है कि वह इस संशोधन विधेयक के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे उनके अधिकार में कोई संदेह नहीं है। मैं तो केवल सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन कर रहा था।

इस विधेयक का उद्देश्य मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार के बीच तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा नियमों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करना है। इसके लिए एक सतर्कता विभाग भी बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक उल्लंघनों को रोकना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये के प्रश्न का खंडन करने की आवश्यकता है। क्या यह सच है कि उड़ीसा में चावल की पिसाई की दर 80 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि पश्चिम बंगाल में यह दर 200 रुपये है? यदि हां, तो इतने अन्तर के क्या कारण हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है और मिलने पर सदन में बता दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

संविधान (34वां संशोधन) विधेयक

Constitution (Thirty Fourth Amendment) Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए हमने 2 घंटे का समय निश्चित किया है। सदस्यों के बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे और तत्पश्चात् मतदान होगा।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

गत दो वर्षों में देश में अनेक राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार संबंधी कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। प्रस्तुत विधानों में भूमि संबंधी अधिकतम सीमा के उपबन्धों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। भूमि की अधिकतम सीमा घटा कर कम कर दी गई है। विभिन्न प्रकार की

भूमि पर दी जाने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई है। यह भी व्यवस्था की गई है कि अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में बांट दिया जाए। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य संविधान के सिद्धान्तों में परिवर्तन करना नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि भूमि सुधार के इतने अधिक महत्वपूर्ण उपायों को क्रियान्वित करना आसान नहीं हैं। जहां एक ओर इन कानूनों में व्यवस्था की गई है कि इनके क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद दीवानी न्यायालयों में नहीं जा सकते वहां गत दो वर्षों से समूचे देश में चिन्ता व्यक्त की गई है कि जब भी नए कानूनों का क्रियान्वयन होगा वहां प्रभावित पक्ष कानून के क्रियान्वयन के विरुद्ध न्यायालयों में रोकादेश की मांग करेंगे। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों में की गई सिफारिशों में भी ऐसी चिन्ता व्यक्त की गई है। कई राज्यों से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनमें कहा गया कि लोगों ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले नियमों को क्रियान्वित न करने के बारे में न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं।

सरकार भूमि सुधार उपायों को केवल सामाजिक न्याय प्राप्ति का ही साधन नहीं समझती है। यदि साधन समझती हो तो भी सरकार सामाजिक न्याय के उपायों की क्रियान्वित के लिए आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के हेतु आवश्यक कदम उठाने में न्यायसंगत है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तर्क को और भी बल मिलता है तथा भूमि की अधिकतम सीमा और भूमि सुधार संबंधी कानूनों की क्रियान्विति की आवश्यकता सिद्ध होती है।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करनें सम्बन्धो कानूनों के अतिरिक्त इस विधेयक में नवीं अनुसूची में तीन और अधिनियमों अर्थात् गुडालूर जानमाम सम्पदा (उत्पादन तथा रैयतवाड़ी में परिवर्तन) अधिनियम, 1969, विहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 तथा बम्बई काश्तकारी तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1972 को शामिल करने की व्यवस्था है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी दल या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने का भारत सरकार का कोई आशय नहीं है किन्तु यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है कि समाज के शोषित और पिछड़े वर्ग को पूरा संरक्षण मिले। इन कानूनों को नवीं अनुसूची में शामिल करने से न्यायालयों के निर्णयों को जांच करने में सरकार के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। हम इन निर्णयों का उस सीमा तक पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे जहां तक वे हमारी नीति के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं जाते।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को स्वीकृति दे देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार भूमि सुधार नियमों को नवीं अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से संविधान (35वां संशोधन) विधेयक लाना चाहती है। न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण सरकार इस विधेयक को नहीं ला रही बल्कि सरकार बड़े बड़े भूमिपतियों के दबाव में ऐसा कर रही है। सरकार ऐसे नियम नहीं बनाना चाहती जिससे भमिहीनों और निर्धनों को लाभ हो।

त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम में त्रिपुरा के आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की व्यवस्था की गई है । धारा 187 के अन्तर्गत आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के नाम कलक्टर की पूर्व अनुमति लिए बिना नहीं की जा सकती और यदि अनुमति नहीं ली जाती तो खरीदने वाले का भूमि पर वैध कब्जा नहीं समझा जाएगा । लेकिन इस नियम की अवहेलना की जा रही है । आदिवासियों को उनकी जमीन से निकाला जा रहा है । इससे पता चलता है कि नियम तो है पर सरकार उसे क्रियान्वित नहीं करना चाहती । वर्तमान विधेयक भी शायद इसी उद्देश्य से लाया जा रहा है । मैं इस बात से तो सहमत हूं कि यह विधेयक पास किया जाना चाहिए परन्तु साथ ही मुझे आशंका है कि इस विधेयक का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा ।

अधिनियम में स्पष्ट कहा गया था कि 14 फरवरी, 1961 के बाद जो जमीन आदिवासी से गैर कानूनी ढंग से गैर आदिवासी के नाम किया जाएगा, तो वह भूमि आदिवासी को वापिस लौटा दी जाएगी । लेकिन वर्ष 1974 में इस अधिनियम में संशोधन करके यह तिथि 1 जनवरी, 1969 कर दी गई । मैं सभा को बताना चाहूंगा कि इस बीच आदिवासियों की 75,000 एकड़ भूमि पहले ही गैर आदिवासियों को हस्तान्तरित की जा चुकी है और इस हस्तान्तरण को कानूनी रूप देने के लिये त्रिपुरा सरकार ने 1960 के भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया था और उन्होंने 14 फरवरी, 1961 की तारीख के बजाय 1, जनवरी 1969 की तारीख डाली थी । अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लोग सामान्यतः कुछ क्षेत्र विशेष में रहते हैं अतः उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये । इसके साथ ही उस क्षेत्र का विकास करने के लिये अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहियें । इसके अतिरिक्त जहां कहीं सम्भव हो स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की जानी चाहिये । इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लोगों के भूमि सम्बन्धी हितों की रक्षा की जा सकती है । आसाम की तरह हमारे राज्य में भी जनजातियों के लिये अनुसूचित क्षेत्र आरक्षित कर दिये जाने चाहियें और उन्हें ऐसा घोषित कर देना चाहिये ताकि वहां पर स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की जा सकें और जनजातियों के लोग अपने भाग्य को स्वयं बना सकें । परन्तु यह सरकार उनको इस अधिकार से वंचित रख रही है । वे भूमि सम्बन्धी कानून में शब्दों का कुछ हेरफेर करना चाहते हैं इससे जनजातियों के लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती ।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून में अनेक त्रुटियां हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि भू-स्वामियों और दफ्तरशाहों की सांठगांठ है जिसके कारण यह कानून उपहास मात्र बनकर रह गया है । भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून लागू किये जाने से पूर्व भू-स्वामियों ने भूमि का विभाजन करना और जाली नामों में हस्तान्तेरित करना आरम्भ कर दिया है । कृतिक दल ने भी अपने प्रतिवेदन में यही कहा है । फिर भूमि की अधिकतम सीमा भी अलग-अलग है । आन्ध्र प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा 27 एकड़ से लेकर 324 एकड़ तक निर्धारित की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का सीमित उद्देश्य कुछ विधियों को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करना है जो राज्यों द्वारा पारित है ताकि न्यायालय उनके बारे में कोई निर्णय न देने पायें ।

श्री दशरथ देव : जब हम इन अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो मुझे अधिकतम सीमा में विभिन्नता का उल्लेख करना ही चाहिये । आन्ध्र प्रदेश की तरह अन्य राज्यों में भी भूमि की अधिकतम सीमा भिन्न-भिन्न है । इसीलिये मैं कहता हूं कि भूमि कानून सम्बन्धी नीति पर चर्चा की जानी चाहिये । फालतू भूमि के वितरण में ये विभिन्नताएं बाधक रहेंगी । वर्ष 1971

में सरकार की ओर से कहा गया था कि 400 लाख एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध होगी, वर्ष 1972 में उन्होंने उसको घटाकर 320 लाख एकड़ बताया परन्तु वर्ष 1974 में सरकार इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े देने से इन्कार करती है ।

आज भी हज़ारों भूमिहीन श्रमिक हैं । उनको भूमि नहीं मिल रही है क्योंकि भूमि सम्बन्धी कानून पास होने से पहले सरकार भूमि हस्तान्तरित करने अथवा कानून का अपवचन करने के लिये बड़े भू-स्वामियों को काफी समय दे दिया गया है । यदि सरकार आंकड़ों पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि केरल 5 प्रतिशत भू-स्वामियों के पास 36 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है । भू-सम्बन्धी कानून केवल कुछ ही लोगों के हाथों में ज़मीन रहने से रोक नहीं सके ।

मैंने भूमि सुधार अधिनियमों का अध्ययन किया है । उनमें बागान, गन्ना, फार्म, ढोर प्रजनन फार्म, यंत्रीकृत फार्म आदि के लिये छूट दी गई है । यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथापि मुझे इनकी नीयत पर सन्देह है क्योंकि वे उन बड़े भू-स्वामियों से सांठगांठ किये हुए हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं और वे कुछ सीमित उपबन्धों को भी लागू नहीं कर सकते जिनसे भूमिहीन श्रमिकों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंच सकता हो । यदि सरकार जनता का सहयोग प्राप्त करे तो फालतू भूमि का पता लगाया जा सकता है ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकारों ने अनेक भूमि सुधार अधिनियम पास किये हैं परन्तु न्यायालय इन पर निर्णय दे सकता था और न्यायालयों के हस्तक्षेप के कारण उनकी क्रियान्वित नहीं किया जा सका । कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के विचार में राज्य विधान मण्डलों द्वारा निर्धारित भूमि की अधिकतम सीमा अधिक है । इसलिए वर्ष 1971 में एक संकल्प पारित किया गया कि इस सीमा को कम किया जाये । तदनुसार विभिन्न राज्य सरकारों ने अधिकतम सीमा कम कर दी है । उड़ीसा में भूमि को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया था और श्रेणी I की भूमि की अधिकतम सीमा कम करके 10 एकड़ कर दी गई थी । जब उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम पास किया गया तो 200 से अधिक लेख याचिकाएं दायर की गई जो उड़ीसा उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं और राज्य सरकार उस अधिनियम को क्रियान्वित नहीं कर सकती । यही स्थिति अन्य राज्यों में है । अतः राज्य सरकारों की नीयत पर सन्देह नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को दिये गये अधिकारों के कारण न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिये जाते हैं और भूमि सुधार लागू नहीं किये जा सकते । इसलिये राज्य विधान मण्डलों द्वारा पास किये गये भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को कार-गर ढंग से क्रियान्वित करने के लिये अनुच्छेद 31बी के अधीन संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है । जब तक ऐसा नहीं किया जाता ये अधिनियम कागजी कार्यवाही मात्र रह जायेगी । इसीलिये सरकार ने कुछ भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया है । हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति खेतों में परिश्रम करते हैं उन्हें अपने परिश्रम का पूरा लाभ मिले । भूमि सुधार सम्बन्धी तब तक पूरा नहीं होगा जब तक भूमि खेती करने वाले व्यक्ति को नहीं दी जाती। भू-स्वामियों की आय के अन्य साधन भी हो सकते हैं परन्तु काश्तकार की आय का और कोई साधन नहीं होता । अतः गरीब काश्तकार के हितों की रक्षा की जानी चाहिये । भूमि अधिकतम सीमा कानून इस दिशा में पहला कदम है ।

मैं इस कथन से सहमत हूं कि त्रिपुरा में ही नहीं अन्य राज्यों में भी आदिवासियों का शोषण होता है । भूतपूर्व मद्रास प्रेज़ीडेंसी में ऐसा विनियम था कि कलक्टर की पूर्व अनुमति के बिना आदिवासी

31 LSS/74—11

की भूमि को किसी गैर-आदिवासी को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता था। उड़ीसा में वर्ष 1956 के विनियम संख्या 1 का भी यही प्रयोजन है। श्री दशरथ देव को त्रिपुरा सरकार पर जोर देना चाहिये कि वह इस आशय के विनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वित करें। मैं संविधान के इस संशोधन का स्वागत करता हूं।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): I agree with the object of the Bill but I believe that the purpose for it has been introduced, will not he served because land ceiling and Land Reform Acts passed so far have not been implemented. The reason for non implementation is that there are zamindars and big farmers who have great influence in the ruling party.

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापतनम) : देश की प्रगति के लिये ज़मीनदारी उन्मूलन अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों को क्रान्तिकारी प्रस्तावों के रूप में क्रियान्वित नहीं किया है। मैं बताना चाहूंगा कि जापान में केवल 3 एकड़ की जोत है फिर भी विश्व में जापान सबसे अधिक कृषि उत्पादन करने वाले देशों में एक है। हमें अमरीका की नकल न करके जहां पर 200-300 एकड़ के फार्म हैं, जापान का अनुसरण करना चाहिये। जापान में लगभग 3 एकड़ की जोत है। अतः हम छोटी जोत से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मेरे विचार में अधिकतम उत्पादन के लिये भी 5-6 एकड़ से अधिक जोत रखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कृषि राज्य का विषय है तब तक श्रम प्रधान कृषि क्रियान्वित करना कठिन होगा। यदि सरकार श्रम प्रधान कृषि चाहती है तो कृषि विषय को केन्द्रीय सरकार के अधीन लाना होगा। इसराइल में भूमि के तल के तीन फुट नीचे भूमि को समतल कर दिया जाता है उस पर प्लास्टिक की चादरें डाल दी जाती हैं और फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। इस प्रकार जड़ें मिट्टी में 3 फुट तक जा सकती हैं और वे कम पानी से काम चला लेते हैं। आस्ट्रेलिया में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। मेरे विचार में हमारी सरकार को भी कृषि के मामले में निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। राजस्थान, गुजरात और मेरे राज्य के रायलसीमा क्षेत्र में, जो मरुस्थल हैं, यही तरीके अपनाये जा सकते हैं। पंजाब में प्लास्टिक चादरों वाला तरीका अपनाया जा चुका है। बारानी खेती में इस तरीके के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

मेरे विचार में समस्त देश में 5-10 एकड़ से अधिक जोत नहीं होनी चाहिये। इस उद्देश्य के लिये दूसरा भूमि सुधार विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है। यह मेरी राय है इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Only such person should be given land who takes individual interest and where future is linked with farming. The country has to be made self sufficient in food and with this in view he should examine our agricultural policy. No doubt land reform are necessary but the point is whether mere legislation is sufficient to action this object? Much is said about these reforms but no effective steps are taken to implement them. If courts stand in the way of implementation then safeguards have to be provided. But it has been observed that in spite of safeguards several legislature have not been implemented.

(श्री नवल किशोर सिन्हा पीठासीन हुये)

[Shri Naval Kishhe on the Chair.]

The Government of Uttar Pradesh had set up a committee which has submitted it's report on 30-3-1974. If we go through it, it would be observed that land reforms have

not been implemented seriously. Several examples have been given in which land owners have tried, to transfer the land to their near and dear ones. They have tried their best to see that their land is not declared as surplus. When we see such cases these provisions look to be ridiculous. In these circumstances I would like to say that if land reforms are not implemented earnestly then the purpose for which these legislation are being enacted will not be served inspite of best intention of the Government. In case land reforms are once implemented seriously then hon'ble Minister should declare that there will be no change in the land holdings for 10-15 years so that there is not uncertainty in the minds of the farmers. If uncertainty is removed, the farmers would be able to invest more money in agriculture and increase food production. I do not oppose this Bill although I knew that these provisions will not be implemented because ruling party is not sincere.

My second point is that land should be given to the landless but besides land they have to be provided which necessary inputs, agricultural equipment and credit facilities. Co-operative societies of landless farmers should be formed to achieve this end. These so cieties should be given all the necessary resources so that they may work in cooperative sprit.

It wll not be out of place to mention that we have created demand for land in the minds of people but in fact we do not have sufficient land to quench their thirst. We should have put these people in industry but we do not have any net work of agro-based industries. Had our country been industrialised people might not have depended on agriculture so much. In order to solve the problems of villages Government should explore the possibility of setting up agro-based industries in rural areas.

Land ceiling is necessary but I have observed that minimum land has not been mentioned in these legislations. If there are prorivions for maximum land then there should be provision for minimum land also otherwise mere fragmentation of land would not be sufficient. The purpose of increasing production will not be achieved in this manner. Government should go into various exceptions and plug the loopholes, if any. Government should be complacent by getting these legislations passed, which cannot be challanged in the court of law, because mere passing them will not solve the food problem. It will not achieve the purpose of land reforms.

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : The speeches of prominent leaders of CPM, CPI and Jana Sangh reveal that they have no difference of opinion on the policy of the Government in respect of this 34th Amendment of the constitution. However, they have got certain doubts about the implementation thereof. It is also very wrong on their part to say that congress party is acting in collusion with the landlords. On the contrary, the Jana Sangh has been supporting the interests of ex-rulers of states, being landlords etc. and so are the Swatantra and B.K.D. parties.

Here, I would like to appreciate the very clever wordings of Shri Atal Bihari Vajpayee in which he has supported the cause of the landlords, as also he has clamoused for the interests of landless people. The House is quite aware that the All India Congress Committee has always been striving for removal of social and economic disparities throughout the coun try including rural areas. The land ceiling is not only aimed at increasing production but also at removing social and economic disparities. Earlier, in many States, There were individual holdings and we had put ceilings on that basis. This resulted in different counts for different individiels in the same family, and such families had to knock at the doors of the courts. This happened only because there had been no clear definition of Family. Now, the present Bill strives to do that and therefore it is certainly a commendable step by the Government.

Besides that the big landlords and ex-rulers used to put hindrances in our efforts by securing intervention of courts on the matter of compensation. Now, in this Billl this aspect has also been specifically deal with.

This Bill has come as a showing measures to promote the cause of the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as also the landless labour. The surplus land whould now be distributed among them. Therefore, this one is also a commendable step taken by the Government. In addition to that, this Bill has been framed after taking into account the difficulties expressed by the Chief Ministers in implementing the land reforms

in their respective States. Besides, the Bill is amied at plugging several other loopholes which were left out earlier or developed later. The Government's intention is, therefore, amply clear and obviously very honest also.

Finally, I would appeal to our men particularly those belonging to Scheduled Castes/ Tribes and other backwards classed as also the poor and landless labour not to be misled by the mischievious propoganda of certain opposition parties which are wedded to supporting the cause of the big landlords and capitalists.

We are destined for a change.

We are determined to bring almost a revolution.

Shri Bhogendra Jha (Bhavnagar) : I rise to support this Bill on the ground that it is aimed at incapacitating the big landlords in their efforts to block through court proceedings the steps to bring about land reforms in the country which are a must so as to secure social justice for the poor. Government's concern in this respect is well proved. For the last about 2500 to 3000 years, the big landlords in our country have been having their full without doing anything and by exploiting the poor landless labour. This menace was not prevalenty when there was not difference between a rich and a poor, when there was no touchability or, in one word, when there was no social and economic disparity in our country. So we should not have the system of self-cultivator. The farmer has not realised his identity and capacity and he is all out against landlordism. The U.P. Government too has seen the consequences of siding with the big landlords and has seen that the poor farmers was not prepared to vote for the Government which sided with the landlords at any cost or even under any kind of pressure and duress. But the Government is still working on these lines to appease these landlords and Zamindars and to crush the poor landless and agricultural labour. So, they should stop it and provide land to only those who cultivate it themselves. This is very essential for our democratic values which do not tolerate any kind of landlordism or Zamindari system.

Mr. Chairman, more production is very essential for meeting the shortage of essential raw materials viz, sugar cane, oil seeds, cotton seeds etc. etc. It is a general complaint that the agricultural workers are not inclined to work most heartily in the fields. The reason, is obvious i.e, they have no lone for these working in other's fields. On the other hand had that land been their own, they must have put their full sweat in to that to bring out maximum production. And, the increased production, it is needless to say, would have helped a lot in our industrialisation. Therefore, the landshould be snatched away from the non-agriculturist landlords and given over to the actual cultivators i.e. agricultural labour.

Our industrial products do not find adequate market because of lesser purchasing power of most of our people who do not have enough for food, shelter and clothing. So, the distribution of land is a must. It would help increase production all round. Large scale producers sometimes destroy their insured produce so as to keep prices always soaring.

Thus, the land reforms are very necessary not only to remove economic and social disparities but also to increase production on both agricultural and industrial fronts as also to bring about attractive market for the produce as a result of a boost in the purchasing power of our economically paralysed country men. Economic progress would also be a blow to our traditional exploiters, viz money lenders, Mahajans, hoarders, blackmarketers and profiteers who are making all out efforts at present to destroy the country for their own selfish motives.

One hon. friend has pointed out the reforms made in the U.S.S.R. I won't discuss that example here since I find that some hon. Members are very alergic to the very mention off the U.S.SR. So, even, if we adopt land reforms as has been done in Farmosa wherein the real cultivators are allowed to own land, we are sure to come very closer and bring about economic equality to a very large extent. This would help in alround development of the country.

But, unfortunately, almost all political parties—not only the opposition but the ruling congress party also heart of theie reforms during elections only and dolittle, later on some of these parties even work against such reforms. Congress too has enough of element of such type among them. These elements provide protection to landlords and capitalists. U.P. has been one prominent example of this sort. where our 18 friends lost theit lives in their effort to implement land reforms. 100 people were killed in Bihar. The murdeiers of these people were previously in Jana Sangh, Cong(O) and Socialist parties but now they are all in the ruling congress. Despite that, we in Madhubani have implemented the land reforms measures fully and are going ahead despite all grave risks. The labour class is prepared to weight its might even to bring about land reforms. The cultivator has now risen to uproot landlordship and zamindari in Bihar, there by abolishing in full and in reality the 3000 year old blood-sucking landlordship which in other words could be termed as open starving. Now, no power can stop them from going ahead.

Since this Bill is also aimed at bringing about land reforms, I extend my full support to it. This would remove at least one major hindrance in bringing about deholding and land reforms.

In this context, I would request that our new legislation of 1970 in Bihar should also be covered under this Bill. The Ministry of Agriculture has shown his inability to do so since the Government of Bihar has not requested him to do so. I, on my part; have talked about it and the Government of Bihar has already written to him and, rerefore, he should accommodate. With these words, I request the Government to include this amendment also.

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये दो घन्टे का समय निर्धारित किया गया था । मेरे विचार से सामान्य धारणा विधेयक के पक्ष में है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक सदस्य विधेयक के उपबन्धों को स्वीकृति देने में पांच मिनट से अधिक समय न ले ।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मैं संविधान (34वां संशोधन) विधेयक, 1974 का स्वागत करता हूं । मुकदमेबाजी को रोकने के लिये सरकार को यह विधेयक प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है ।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद फालतू भूमि भूमिहीन किसानों में वितरित करने के लिये सरकार के अधिकार में आ जायेगी । यह समाजवादी उद्देश्य की उपलब्धि का एक भाग है ।

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में सहकारी कृषि प्रणाली कार्य कर रही है । निज़ामाबाद ज़िले में तालुक अरमोर में सहकारी प्रणाली असफल रही है । अतः मेरा यह सुझाव है कि यदि निर्धन किसानों को अतिरिक्त भूमि वितरित कर दी जाये तो उनके पास उस भूमि में उचित ढंग से कृषि कार्य करने के लिये आवश्यक धन नहीं होगा । अतः निर्धन भूमिहीनों में फालतू भूमि अधिक मात्रा में वितरित करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । यदि हम इस बारे में कोई स्थायी हल चाहते हैं तो सरकार को सहकारी प्रणाली अपनानी होगी ।

यदि सरकार सामान्य जनता की सहायता नहीं करती है और सहकारी कृषि प्रणाली नहीं अपनाती है तो भूमि की अधिकतम सीमा का लक्ष्य समाप्त हो जायेगा । सरकार संयुक्त सहकारी प्रणाली अपना सकती है । इससे उत्पादन में वृद्धि होगी । जब तक यंत्रीकृत खेती सम्भव नहीं होगी उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा ।

भूमि सुधार नियमों द्वारा प्राप्त भूमि सरकार को अपने पास रखनी चाहिये और उस पर निवेश करना चाहिये । उस भूमि पर सहकारी आधार पर खेती की जानी चाहिये जिससे सामान्य जनता को वास्तविक लाभ हो सके ।

***श्री जे० एम० गौडर** (नील गिरी) : तमिलनाडु के लोग गुदालुर जनमन सम्पदा (उत्सादन तथा परिवर्तन रेयतवारी) अधिनियम, 1969 (1969 का तमिलनाडु अधिनियम 24) से बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि इसके अन्तर्गत उन्हें संरक्षण देने की व्यवस्था है । इस सम्बन्ध में मैं एक और महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करूंगा । तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजे गये एक विधेयक को वापिस कर केन्द्रीय सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है । तमिलनाडु काश्तकार मुजारे (भू-स्वामियों के क्रय का अधिकार) विधेयक, 1973 तमिलनाडु विधान सभा को पुनर्विचार के लिये लौटा दिया गया था । यह सामान्य ज्ञान की बात है कि तथाकथित न्यासों तथा धार्मिक संस्थाओं के पास हज़ारों एकड़ भूमि है । वे जन साधारण के बल पर ऐसी भूमि से हर प्रकार का लाभ उठाते हैं । स्वीकृत समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार चार करोड़ तमिल लोगों के प्रतिनिधियों ने भूमि के समान वितरण की लोगों की बहुत समय से चली आ रही आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये तमिलनाडु काश्तकार मुजारे (भू-स्वामियों के अधिकारों के क्रय का अधिकार) विधेयक, 1973 पारित किया और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजा था । यह विधेयक तमिलनाडु विधान सभा द्वारा एक मत से पारित किया गया था । कृषि मंत्री को तमिलनाडु की जनता की भावनाओं को समझना चाहिये और इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति दिलानी चाहिये ।

विधेयक को तमिलनाडु विधान सभा को भेजने के लिये मुख्य कारण यह बताया गया है कि अन्य न्यासों और धार्मिक संस्थाओं के पास न्यासों और धार्मिक संस्थाओं के लिये आवश्यक पर्याप्त वित्तीय साधन हैं । तमिलनाडु के लोगों को विधेयक पारित करने से पूर्व इन सब बातों की जानकारी थी ।

यह दुःख की बात है कि भारत सरकार ने इस मामले में धार्मिक गुरुओं की बात मानी है और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के जिनके हित में यह विधेयक पारित किया गया है, के विचारों की अवहेलना की है ।

शंकराचार्य मठ की बहुत अधिक एकड़ भूमि है । वह इस विधेयक से प्रभावी होता है क्योंकि फालतू भूमि का किसानों में वितरण कर दिया जायेगा । माननीय कृषि मंत्री कृपया यह बतायें कि तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजी गई प्रति राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पूर्व शंकराचार्य के पास कैसे पहुंच गई ।

निर्धन भूमिहीन व्यक्तियों के हित में यह बहुत उपयोगी विधान है । यदि विधेयक वापिस न लौटाया जाता तो इसे संविधान संशोधन विधेयक में स्थान प्राप्त होता और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता । यह और भी दुःख की बात है कि केरल सरकार द्वारा भेजे गये इसी प्रकार के एक विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है ।

मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह उक्त विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति दिलवाने में अपने पद का उपयोग करें ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं संविधान के 34वें संशोधन का स्वागत करता हूं । मैसूर भूमि सुधार संशोधन अधिनियम में ऐसे न्यायाधिकरण गठित करने की व्यवस्था है जो इस बात पर

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

***English Translation of the Speech delivered in Tamil.**

ध्यान दे कि अधिनियम की आवश्यक बातों को उचित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक तालुक अथवा तहसील के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण नियुक्त करेगी।

लोग भूमि सुधारों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के पास आते हैं। संसद सदस्यों को न्यायाधिकरणों में शामिल करना उचित होगा। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय को राज्यों को आवश्यक आदेश देने चाहियें।

मैसूर औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम से छोटे काश्तकारों और किसानों को बहुत कठिनाइयां हो गई हैं।

भूमि सुधार विधान बहुत ही उचित कदम है। भूमि वितरण के मामले में सामाजिक न्याय पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सरकार को निजी तौर पर खेती करने वाले किसानों को पूरी सुरक्षा देनी चाहिये, क्योंकि देश की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने में ये बहुत सहायक हैं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : हम भूमि जोतने वाले को भूमि देने के पक्ष में हैं। लेकिन जिस ढंग से विधेयक प्रस्तुत किया गया है और भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है वह बहुत आपत्तिजनक है। हम ऐसी प्रणाली नहीं चाहते जिससे व्यथित-व्यक्तियों के लिये न्यायालयों के द्वार बन्द हो जायें। सरकार समूची न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रही है जिससे व्यथित व्यक्ति न्याय के लिये न्यायालयों में न जा सके।

हम किसानों को समृद्ध देखना चाहते हैं। लेकिन इसके लिये उन्हें पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कृषि के लिये उन्हें आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये और इसके लिये पंजीकृत खेती आरम्भ की जानी चाहिये।

हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में जहां पानी उपलब्ध है और किसान समृद्ध है अधिकतम सीमा 7.5 हेक्टेयर निर्धारित की गई है परन्तु उड़ीसा में यह केवल 10 एकड़ है, जहां समस्त फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अतः उड़ीसा के बारे में अधिकतम सीमा में भारी कमी करने की बात समझ में नहीं आती।

आदिवासियों के विरुद्ध हजारों अतिक्रमण के मामले आरम्भ किये जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने ऐसी भूमि पर खेती की है जहां वन नहीं है।

हरियाणा और पंजाब भूमि सुधार विधेयक को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। कुछ अधिनियमों के मामले में अमल भूतलक्षी प्रभाव से होगा। अतः वास्तविक हस्तान्तरण को भी रद्द कर दिया गया है। एक वास्तविक खरीदार को कैसे मालूम होगा कि कुछ समय बाद उक्त अधिनियम लागू होगा।

अधिकतम सीमा निर्धारित करने के मामले में विभिन्न जिलों की उत्पादिकता और भूमि आदि की स्थिति की ओर ध्यान दिया गया है। उड़ीसा के कटक जैसे जिलों में उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1145.82 है जबकि फूलबनी जैसे जिलों में यह 292.42 हेक्टेयर है। अतः जलवायु में अन्तर और भूमि के उत्पादन में विभिन्नता और सिंचाई सुविधाओं में अन्तर होने आदि के कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है जो संविधान का उल्लघंन करती है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये । हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि जिस उद्देश्य को लेकर राज्यों ने यह विधान बनाया था क्या उसकी पूर्ति हो गई है । इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार करना और भूमि की अधिकतम सीमा उसी स्तर पर बनाये रखना है जिससे वास्तविक किसानों को भूमि पर खेती करने का अधिकार दिया जा सके । लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है । सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा, मैसूर और राजस्थान जैसे राज्यों में वितरण के लिये एक एकड़ भूमि भी उपलब्ध नहीं है । बिहार में केवल 700 एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध थी ।

यह स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों ने अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले भूमि सुधार अधिनियम पारित कर दिये थे लेकिन वास्तव में भूमि को बेनामी ढंग से हस्तान्तरित कर दिया गया था ।

कानून के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वित करने के कारण बेनामी भूमि बरामद नहीं की गई है । लोगों को पता तक नहीं होता और उनके नाम में भूमि का हस्तान्तरण कर दिया जाता है । उक्त हस्तान्तरण अवैध है । यदि सरकार वास्तव में भूमि सुधार करना चाहती है तो उसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे किसी कल्पित व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण न किया जा सके ।

यह वास्तविक स्थिति है इसलिये मैंने कहा था कि भूमि सुधार केवल मात्र एक बड़ा धोखा है । इसका उद्देश्य भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित करना था लेकिन फालतू भूमि का आधा भाग भी अभी तक वितरित नहीं किया गया है । वास्तविक किसानों से भूमि वापिस ली जा रही है । वर्ष 1950-55 में भूमि वाले लोगों की प्रतिशतता 49.3 थी; 1956-57 में इनकी प्रतिशतता 42.8 थी और 1963-64 में 38.85 प्रतिशत थी । भूमिहीन किसानों का अनुपात बढ़ता जा रहा है । बटाईदारों के विरुद्ध 45,000 मामले विचाराधीन हैं । जब तक बटाईदारों को कुछ वास्तविक तथा कानूनी लाभ देने के लिये कार्यवाही नहीं की जाती भूमि सुधार अधिनियम के पारित करने से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा ।

भू-राजस्व विभाग भूमि सुधार उपायों के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करता है । इसके परिणामस्वरूप गांवों में लोगों को लाभ नहीं होता है । जब कभी फालतू भूमि उपलब्ध होती है भू-राजस्व विभाग निहित स्वार्थों से सांठगांठ कर भूमि उन्हें दे देता है । विभिन्न राज्यों में पारित भूमि सुधार अधिनियम में त्रुटियों का पता लगाने के लिये कार्यकारी दल की स्थापना की जानी चाहिये ।

बटाईदारों को नये कानूनों का लाभ मिलना चाहिये और जमींदारों के दमन का उन्हें शिकार नहीं बनने देना चाहिए । योजना आयोग के कार्य दल के अनुसार भूमि सुधार कानून पास होजाने के बाद भी जमींदार बटाईदार को जबर्दस्ती ज़मीन से बेदखल कर सकते हैं । जमींदार द्वारा लगाई जाने वाली आर्थिक और सामाजिक पाबन्दियों का भी बटाईदार सामना नहीं कर सकते । अगर सरकार वास्तविक भूमि सुधार लाना चाहती है, तो वर्तमान भूमि सुधार कानूनों की त्रुटियों का अध्ययन करके सरकार को आदर्श कानून बनाकर राज्यों में प्रचारित करना चाहिये ।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : I welcome this amendment for providing protection to the Land Reforms Acts from the interference of the courts. But, so far, the object of the land reform laws of the centre as well as the States have been to prescribe land ceiling. The land should be treated as raw material and not as capital. As a member of the Bhoodan Committee, I had allotted agricultural land to thousands of people, but it is a matter of regret that the stronger people could retain the land, whereas the people of the weaker section of the society do not own even a single inch of land. A village Patwari renders ineffective all the land reforms Acts. The people, for whom the land Reforms Act, were passed, have not been benefited.

The lands, under the land Reforms Acts, have been allotted to small farmers in small sizes. When they go to the Banks for loan, they are not given the loan at the ground that their holdings are uneconomic. The Government should provide the resources to the small farmers also.

The pressure on land should be minimised. The land should belong to the tillers. Nowadays, high officials, members of Political parties and Ministers do own the land, but they do not personally supervise the land, this, we have encouraged absentee land lordlism. If absentee land lordism is done away with, there would not be any necessity of enforcing land ceiling laws.

The minimum guarantee in Rajasthan is about Rs. 2500/- even for a small farmer. They can not consume so much power. The small, farmers should also be provided with power, co-operative Societies should be formed to provide agricultural inputs to small farmers at cheaper rates.

The lands have been allotted to the small farmers, but they have not taken possession of the lands due to the attitude of bureaucracy towards them. It should be ensured that the people, who are allotted the land, also occupy it.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति प्रदान करना है । दूसरे शब्दों में, भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वियन का काम ग्राम-स्तर के छोटे-मोटे अधिकारियों की मन मर्जी पर छोड़ दिया जायगा । मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध करता हूं कि इस के द्वारा हम ऐसी व्यवस्था को कार्य सौंपने जा रहे हैं जो भ्रष्ट, अक्षम और पक्षपातपूर्ण है । इस साल 26 जनवरी को जब भूमिहीन लोगों को पट्टे वितरित किये जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने तहसीलदार के हाथ से इसलिए पट्टा छीन लिया, कि जिस व्यक्ति को पटटा दिया जा रहा था, वह विरोधी पार्टी का था ।

मैं मंत्री महोदय और इस सदन से यह अनुरोध करता हूं कि वे भावनाओं में बहने के बजाय राज्य सरकारों से यह कहें कि वे ऐसे कानून बनायें, जिन्हें न्यायालय रद्द ही न कर सके । कांग्रेस पार्टी के सामाजिक लक्ष्यों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि शहरी सम्पत्ति, कम्पनी लाभांश, बैंक खातों में जमा धनराशि और कम्पनी शेयरों की अधिकतम सीमा निश्चित की जाय और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कानून बनाने का क्या नैतिक अधिकार है ?

इस विधेयक के "उद्देश्यों और कारणों के विवरण-पत्र" में यह कहा गया है कि मुख्य मंत्री सम्मेलन के सुझाव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के संशोधन के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं । ये मार्गदर्शी सिद्धान्त एक समान होने चाहिएं थे । पंजाब में न्यूनतम सीमा 20 एकड़, अधिकतम सीमा और बाहरी सीमा 60 एकड़ है । पश्चिम बंगाल में न्यूनतम सीमा 14 एकड़, अधिकतम सीमा 20 एकड़ और बाहरी सीमा 20 एकड़ है । उड़ीसा के मामले में बाहरी सीमा न्यूनतम सीमा की 1.45 गुनी है । इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह विधेयक सरकार की सनक पर आधारित है ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार काननों को नवीं अनूसूची में शमिाल किया गया है और मैं इसका स्वागत करती हूं परन्तु इस विधेयक के बारे में मैं महिलाओं की कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करना चाहती हूं।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम जब पास हुआ था, तब प० नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि मैं महिलाओं को अधिक देना चाहता था, परन्तु उन्हें इस विधेयक द्वारा बहुत कुछ नहीं दे सकता हूं। इस समय मिताक्षर और दया भंग दो प्रकार के सम्पत्ति अधिकार प्रचलन में हैं । दयाभंग केवल बंगाल

और असम में प्रभावी हैं, जबकि मिताक्षर सारे देश में प्रभावी है और इसके अनुसार लड़की को लड़के के बराबर सम्पत्ति अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।- लड़की को पिता की मृत्यु के बाद ही अपने भाई के साथ साथ सम्पत्ति का कुछ भाग मिलता है । मैं भूमि सुधार कानूनों के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु मूल प्रश्न यह है कि लड़कों के बराबर ही लड़कियों को भी अधिकार दिये जायं । भूमि की अधिकतम सीमा लड़के और लड़कियों के लिए बराबर होनी चाहिए । नवीं अनुसूची में शामिल करने के बाद, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । जब तक ऐसी कार्यवाही नहीं की जायगी, महिलाओं का भविष्य अन्धकारमय ही रहेगा ।

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा ने ठीक ही चेतावनी दी है और किसी अन्य विधेयक में इसका ध्यान रखा जायगा, परन्तु भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयक पर विचार करते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

दो माननीय सदस्य श्री पी० के० देव और श्री महन्ती को छोड़कर, लगभग सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है । ऐसा लगता है कि ये सदस्य समय के साथ नहीं चल रहे हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात भूमि सुधार कानूनों को प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से क्रियान्वित करने की है ।

भूमि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में अनेक कानून बनाये गये हैं । भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में एक समान स्तर नहीं था कहीं 15 एकड़ था, तो कहीं 25 एकड़ और कहीं पांच सौ एकड़ की अधिकतम सीमा थी । यह सोचा गया कि भूमि की समान सीमा होनी चाहिए और और उसके आधार पर सभी राज्यों को कानून बनाने चाहिए । यह सीमा 10 एकड़ से 54 एकड़ के बीच होनी चाहिए—10 एकड़ प्रथम श्रेणी की साल भर सिंचित रहने वाली और दो फसलें देने वाली भूमि के लिए तथा अन्य प्रकार की भूमि के लिए 54 एकड़ तक की अधिकतम सीमा होनी चाहिए । इसमें दो अपवाद हैं: एक तो राजस्थान के संबंध में है जहां अर्धमरू भूमि और मरू भूमि है । वहां अपेक्षाकृत अधिक भूमि निर्धारित की गई है । यही स्थिति हिमाचल देश की भी है ।

इन दो अपवादों को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को जिन्हें अब नियमित किया जा रहा है, नौवीं अनुसूची में सम्मलित किया जा रहा है । इन सभी कानूनों में 10 एकड़ और 54 एकड़ के बीच भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का तरीका अपनाया गया है । केवल भूमि की अधिकतम सीमा ही निर्धारित नही की गई है, बल्कि परिवार की सदस्य संख्या का भी उचित रूप से निर्धारण कर दिया गया है । परिवार की एक यूनिट में प्रति पत्नी और तीन अवयस्क बच्चों को शामिल किया गया है, भले ही उनके परिवार का बटवारा हुआ हो या न हुआ है और चाहे उनकी सम्पत्ति पैतृक हो या खरीदी गई हो ।

फालतू भूमि के वितरण के मामले में हमने उचित मार्गदर्शी सिद्धांत संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं कि फालतू भूमि भूमिहीन मजदूरों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ही दी जानी चाहिए। समाज के पिछड़े वर्गों को भूमि वितरित करने के साथ-साथ हमने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यवाही करनी है कि उन्हें साधन, ऋण तथा अन्य दूसरी सुविधायें प्राप्त हों, जो उनकी खेती के लिए आवश्यक हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठायेंगी ।

यह तर्क भी दिया गया है कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों से उत्पादन या उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना है । कृषि का आधुनिकीकरण करके कम भूमि में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है । सयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अधिक भूमि में भी सघन खेती की जा सकती है, परन्तु वह प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कृषि में सुधार करने की दृष्टि से बीज,

उर्वरक, कीटनाशी औषधियां खरीदने सबंधी कृषकों की क्षमता में विकास करना होगा। उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से भूमि में अधिक पूंजी निवेश के लिए योजना में अधिक महत्व दिया है। भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन से भूमि के स्वामित्व के बारे में निश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे कृषि के क्षेत्र में इससे गतिशीलता भी आयगी।

श्री वाजपेयी जी ने यह कहा कि सरकार प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक को भूमि उपलब्ध नहीं कर सकेगी। मैं श्री वाजपेयी जी की इस बात से सहमत हूं, परन्तु बहुत से लोगों को जीविका प्रदान करने के लिए अन्य साधन उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा। लेकिन वह एक अलग पहलू है। मुझे विश्वास है कि भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन से खाद्य के मामले में हम आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। मेरे विचार में भूमि सुधार अधिनियम उसी प्रक्रिया की शुरुआत है।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : If their party remains in power for the coming 15 to 20 years. are they prepared to commit that no change would be made in the ceiling which has been in force uptill now and they will give a fillip to the production capacity of the farmer.

According to the prevalent law in Orissa and some other States, if a farmer installs tube well in his field, the ceiling of his field would be reduced to ten acres. If the Hon. Minister will not make the position clear in this regard the farmers will not be induced to invest.

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : मंत्री महोदय ने जोतों की चकबन्दी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के साथ साथ चकबन्दी कों भी लिया जाए।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनागर) : क्या सरकार की नीति खेती ने करने वाले जमींदारों की व्यवस्था को समाप्त करने की है? दूसरे क्या सहकारी समितियों के जरिए छोटे किसानों को, जिनकी जोतों का आकार छोटा है और जो यंत्रीकृत खेती करने में असमर्थ हैं, संयुक्त खेती करने का अवसर दिया जाएगा?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सत्तारूढ़ दल का विचार है कि भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय अगले 10--15 वर्षों तक लागू किए जाएं, जिससे कि भूमि के स्वामित्व में निश्चितता आ सके और किसानों को भी भूमि की उत्पादिता बढ़ाने हेतु उसमें सुधार के लिए कुछ प्रोत्साहन मिल सके।

अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे विभिन्न राज्यों के कानूनों के उपबन्धों को देखना पड़ेगा, तभी मैं ठीक उत्तर दे सकता हूं।

मैं इस बात को मानता हूं कि खेती न करने वाले जमींदार की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। परन्तु भूमि सीमा कानून के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता।

जोतों की चकबन्दी भी भूमि सुधार अधिनियम के समान महत्वपूर्ण है। जहां कहीं जोतों की चकबन्दी हुई है वहां पर उत्पादन बढ़ा है। हम इसे बहुत महत्व देते हैं। दुर्भाग्यवश सहकारी खेती इस देश में सफल नहीं हुई है। सेवा सहकारी समितियां अधिक महत्वपूर्ण हैं जो छोटे किसानों के लिए सेवा उपलब्ध कर सकेंगी। हमें खेती के इसी ढंग को महत्व देना है।

सभापति महोदय : चूंकि यह संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसलिए विचार करने के लिए प्रस्ताव रखने से पूर्व मत-विभाजन द्वारा मतदान किया जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

पक्ष में 320 विपक्ष में 3

Ayes Noes

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार शुरू करेंगे। खण्ड दो पर कुछ संशोधन हैं। श्री डी० के० पंडा उपस्थित नहीं हैं। श्री अर्जुन सेठी संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे। इस पर एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 23 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

84. The Bombay Tenancy and Agricultural Lands (Gujarat Amendment) Act, 1972 (Gujarat Act 5 of 1973).

85. The Orissa Land Reforms (Amendment) Act, 1974 (Orissa Act 9 of 1974).

86. The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment), Act, 1974 (Tripura Act 7 of 1974). (No. 3) (Shri C. Subrahmaniam)

["84 बम्बई अभिधृत और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम 5)।

85. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 1974 (1974 का उड़ीसा अधिनियम 9)।

86. त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का त्रिपुरा अधिनियम 7)] (संख्या 3) (**श्री सी० सुब्रह्मण्यम**)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं। विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल करना आवश्यक है। यह बटाईदारों के सम्बन्ध में है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में काफी मुकद्दमेबाजी चलती है। इस संशोधन द्वारा यह मुकद्दमेबाजी दूर हो सकती है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। हमें अभिधृत कानून की उचित रूप से जांच करनी होगी। मैं इसकी जांच कराऊंगा। यदि उचित लगा तो इसे बाद में भी शामिल किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं खण्ड 2 के सम्बन्ध में श्री भोगेन्द्र झा का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में 324 विपक्ष में 1

Ayes Noes

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majoriy of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड दो, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

उभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री बाजपेयी :

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We are going to pass Constitution (thirty Fourth Amendment) Bill. Every body has supported it. I want to submit that only enactment of the law is not going to serve the purpose. A Committee of the Members of Parliament should be constituted to examine as to what extent the land reform laws passed by the State Governments are being implemented. The Committee should submit a report to the Parliament to the effect whether the Land reform laws which have given protection against the jurisdiction of law courts, under this Constitution Amendment Bill, are being properly implemented.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : जहां तक उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम का सम्बन्ध है, उसमें निजी साधनों से सिंचित भूमि और सरकारी साधनों से सिंचित भूमि में कोई अन्तर नहीं किया गया। इन दोनों वर्गों में भेद करने हेतु एक संशोधन जल्द ही लाया जाए।

फालतू भूमि का वितरण केवल उन लोगों को ही किया जाए जो भूमिहीन हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ भूमिहीन लोगों को जमीन देकर बाद में इसलिए छीन ली गई कि वे विरोधी दल के थे। अगर आपकी यही नियत है तो जिस उद्देश्य हेतु यह विधान बनाया जा रहा है वह कभी पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरु) : यह प्रसन्नता की बात है कि भूमि सुधार सम्बन्धी काफी उपायों को अनुसूची में रखा जा रहा है। किन्तु केवल अनुसूची में रखने से भूमि सुधार लागू नहीं किये जा सकते। यह कोई निश्चित नहीं कि राज्य सरकारें इन्हें गंभीरता से लागू करेंगी। मेरे ही राज्य में जब सरकार ने फालतू भूमि लेने का कार्य आरम्भ किया तो लोगों ने सरकार को बंजर भूमि देकर पैसा ले लिया और उसे धोखा दिया। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा।

श्री बाजपेयी ने भूमि सुधारों के लागू किए जाने का निरीक्षण करने के लिए एक संसदीय समिति बनाने का सुझाव दिया है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

आप जिस प्रकार जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर रहे हैं, उसी प्रकार अन्य आय पर भी सीमा लगाई जानी चाहिए, तभी हमारे उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह आरोप लगाया गया है कि भूमिहीन लोगों को दिए गए पट्टे राजनीतिक आधार पर वापिस लिए जा रहे हैं। यह बात सरासर गलत है। उड़ीसा सरकार का उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम सबसे सफल कदम है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस उपाय का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत अच्छा और आवश्यक उपाय है। लेकिन इस विधेयक को मात्र पारित कर देने से हमारे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। सत्ताधारी दल एक बात कहता है परन्तु जब उसे लागू करने की बात आती है तो वे उसे लागू

नहीं करते। आज 1974 में वह स्थिति न होती यदि कांग्रेस दल ने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में वे सब बातें क्रियान्वित की होतीं जिसकी वह शिक्षा देता रहा है। यह एक प्रगतिशील विधान है और मेरा कर्तव्य है कि मैं हर प्रगतिशील विधान का समर्थन करूं। आशा है इसे गंभीरता और ईमानदारी से लागू किया जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, इस विधेयक को एकमत से सबने स्वीकार किया है। सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है कि वह देखे कि इसका सफल क्रियान्वयन हो। किसी भी राज्य का भूमि सीमा अधिनियम संतोषजनक नहीं है। पुराने अधिनियमों में बहुत सी कमियां थीं। हम चाहते हैं कि जो भी कानून बनाए जाएं उन्हें भली प्रकार और गंभीरता से लागू किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में केन्द्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। वह इसकी शुरूआत करे जिसे केन्द्र शासित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदर्श के रूप में लिया जाए। मैं आशा करता हूं कि सत्तारूढ़ दल इस मामले में विलम्ब नहीं करेगा और अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा सदन द्वारा समय समय पर की जाएगी।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्म) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय इस विधेयक को पृथक विधयक कह कर एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी ताकि भूमि सुधार कानूनों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के समान लाकर औरतों को भी भूमि का अधिकार दिया जा सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सभापतिमहोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी सदस्यों ने अधिनियम के क्रियान्वयन पर बल दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह राज्य का विषय है। यह सदन इन कानूनों की सुरक्षा प्रदान करता है। संसद की यह जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि इन अधिनियमों का उचित क्रियान्वयन हो रहा है। क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु कोई समिति गठित की जाए अथवा कोई अन्य तंत्र बनाया जाए, इस पर बाद में विचार किया जा सकता है।

फालतू भूमि के विरण के बारे में उचित रवैया अपनाया जाना चाहिए।

माननीय सदस्या श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा द्वारा उठाए गए मामले पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इस कानून द्वारा औरतों को भूमि का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कानून एकमत से पारित किया जाए।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशेष बहुमत की आवश्यकता है।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

सभापति महोदय : मत-विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में	326	विपक्ष में	कोई नहीं
Ayes		Noes	

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्युन बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried. by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 अगस्त, 1974/5 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, August 27, 1974/ Bhadra 5, 1896 (Saka).

MGIPRRND—Sec. –VIII—31 LSS/74—20-11-74—490